मीडिया विधि एवं आचार संहिता

वाग्देवी तामुपास्महे

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY

बी.जे.एम.सी.

मीडिया विधि एवं आचार संहिता

म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,
भोपाल

© *Madhya Pradesh Bhoj (Open) University*

All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University.

The views expressed in this SIM are that of the author(s) and not that of the MPBOU.

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY

Raja Bhoj Marg (Kolar Raod) Bhopal - 462016. Tel: (0755) 2492095.

Fax: (0755)-2424640.

email: bedspc@rediffmail.com or bed@bhojvirtualuniversity.com

website : http://www.bhojvirtualuniversity.com

INDEX

मीडिया विधि एवं आचार संहिता

इकाई -1	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	5
इकाई - 2	न्यायालय की अवमानना	99
इकाई - 3	श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम	180
इकाई -4	प्रेस आयोग	259
इकाई -5	विज्ञापनों की आचार संहिता	305

इकाई–1 भारतीय संविधन की विशेषताएँ

प्रेस की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान में वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005

निजता का अधिकार

इकाई–2 मानहानि

न्यायालय की अवमानना

शासकीय गुप्त बात अधिनियम

प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

संसदीय विशेषाधिकार

इकाई–3 पत्रकारों से संबंधित अधिनियम

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम

केबल टी.वी. अधिनियम

इकाई—4 **फिल्म सेंसर बोर्ड**

प्रेस आयोग —

प्रेस परिषद —

प्रसार भारती —

इकाई—5 **पत्रकारिता की आचार संहिता**

विज्ञापनों की आचार संहिता

जनसम्पर्क की आचार संहिता

रेडियो एवं टी.वी. के लिए आचार संहिता।

- प्रेस के उक्त अधिकारों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप उसकी स्वतंत्रता का हनन माना जाएगा। यह हस्तक्षेप उसी सीमा तक कानूनी होगा जिस सीमा तक कानूनी हो, और जो जाँचने का अधिकार न्यायालय का है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत घोषित कानूनों को छोड़कर सभी कानूनों की वैधता तथा युक्तियुक्तता का न्यायिक पुनरावलोकन (निगरानी) करने का अधिकार।
- प्रेस की स्वतंत्रता में पुस्तिकाएँ, पत्रक और सूचना के अन्य माध्यम भी सम्मिलित हैं।[2] मुद्रण के समान प्रसारण भी प्रेस स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय प्रसारण माध्यमों का उल्लेख नहीं किया था लेकिन अन्य माध्यमों में टेलीविजन, रेडियो एवं फिल्म को सम्मिलित किया जा सकता है।
- मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। वह भारतीय संघ क्षेत्र में रह कर भारतीय नागरिकों के लिए कार्य करता है। अतः कुछ आवश्यक कानून मीडिया को भी मानने पड़ते हैं। कुछ कानूनों से मीडिया को मुक्ति नहीं दी गई है, ताकि वह राष्ट्र और जनता के खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं कर सके। संविधान ने मीडिया को स्वतंत्रता तो दी है लेकिन उन्मुक्त स्वच्छन्दता नहीं दी है। मीडिया की स्वतंत्रता और इस पर लगे प्रतिबंधों के मध्य एक संतुलन होना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को ठेस न पहुंचे। लोकतंत्र में

[2] श्रीमती प्रभादत्त बनाम भारत संघ, ए.आई.आर, 1982 एस.सी.–5

मीडिया को नियंत्रित करने का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। इसलिए जब--जब विधायिका द्वारा मीडिया को किसी कानून के दायरे में लाया जाता है तो न्यायपालिका उसकी उपादेयता और प्रभाव की समीक्षा करता है और फैसला करता है। किसी निर्बन्धन को वैध ठहराये जाने की पहली शर्त यह है कि वह युक्तियुक्त हो क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अनुसार मौलिक स्वतंत्रताओं पर केवल युक्तियुक्त निर्बन्धन ही लगाये जा सकते हैं। क्या युक्तियुक्त है और क्या नहीं, इसका निर्णय स्पष्टतः न्यायालय पर छोड़ दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने युक्तियुक्तता की जो कसौटी निर्धारित की है, वह यह है : जिस अधिकार के अतिक्रमण की बात कही गई हो उसका प्रकार, लगाए गए निर्बन्धन का मूल उद्देश्य, उसके द्वारा जिस बुराई को दूर करना वांछित हो उसका विस्तार और आत्यन्तिकता, लगाई गई रोक का अनुपात और समकालीन परिस्थितियां इन सबको ध्यान में रखकर निर्णय किया जाना चाहिए। (मद्रास राज्य बनाम वी.जी.राव, ए.आई.आर. 1952, एस. सी. 196)।

वैसे न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तता के परीक्षण का कोई ऐसा संक्षिप्त मानक या व्यापक स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है जो समस्त परिस्थितियों में उपयुक्त हो। हर मामले में इसे अलग से लागू करने की आवश्यकता होगी। निर्बन्धन ऐसा

विनियमन नहीं होना चाहिए जो सम्बद्ध मूल अधिकार को ही समाप्त कर दे।

उदाहरणार्थ, उच्चतम न्यायालय ने पंजाब विशेष शक्तियाँ (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उससे कुछ समाचार पत्रों के पंजाब में प्रवेश पर जो रोक लगाई थी उसकी अधिकाधिक अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। उसने इस धारा को सारवान न होने के कारण तो अवैध करार दिया ही इसके साथ ही इसे इसलिए भी अवैध घोषित किया कि इसमें रोक से प्रभावित पत्रों को शिकायत करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के युक्तियुक्त न होने के आधार पर भी इस धारा को रद्द कर दिया। इसके विपरीत उसने धारा 2 (1) को वैध करार दिया क्योंकि उसमें कुछ प्रकार के समाचारों को छापने पर रोक के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ सुनवाई का प्रावधान किया गया था। पर, इतना काफी नहीं है कि सम्बद्ध कानून या नियम में सुनवाई का प्रावधान रखा जाए बल्कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का प्रभावी और वास्तविक अवसर सुलभ किया जाना चाहिए।

दूसरी शर्त यह है कि लगाये गये निर्बन्धनों का संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित उद्देश्यों में से उस उद्देश्य से घनिष्ठ या निकट का संबंध होना चाहिए जिसके लिए निर्बन्धन लगाये जा रहे हों। उदाहरणार्थ, डॉ. राम मनोहर लोहिया (ए.आई.आर., 1960, एस.सी. 633) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विशेष शक्तियाँ

अधिनियम, 1932 की धारा तीन को अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर असंवैधानिक निर्बन्धन लगाए जाने के आधार पर रद्‌द कर दिया था। राज्य सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल कर के डा. लोहिया को इस अभियोग में बंदी बनाया था कि उन्होंने किसानों को नहरी पानी पर लगाये गये कर न चुकाने के लिए उकसाया था। राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने के खतरे के आधार पर यह कार्रवाही की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस कानून की धारा तीन के अधीन पूर्णतः निर्दोष भाषण को भी अपराध बना दिया गया है। सरकार की यह आलोचना कि अमुक कर अनुचित है या उसकी दरें ऊँची हैं जनतांत्रिक प्रणाली में अपराध नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार की आलोचना का "सार्वजनिक व्यवस्था से 'निकट' या 'घनिष्ठ' संबंध नहीं है। (ए.आई.आर. 1960, एस.सी. 896,899)।

- उच्चतम न्यायालय ने सकाल पेपर्स बनाम भारत सरकार (ए. आई.आर. 1962, एस.सी. 305,313) के मामले में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि राज्य को नागरिक के कारोबार या उद्योग के मौलिक अधिकार पर एकाधिकार या अनुचित स्पर्द्धा को रोकने के लिए निर्बन्धन लगाने का अधिकार है। न्यायिक निर्णयों से यह सुस्थापित हो चुका है कि केवल उन्हीं विषयों के संबंध में प्रेस पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं जिनका साफ–साफ उल्लेख अनुच्छेद 19 (2) में है; इनसे बाहर या अधिक किसी संबंध में नहीं।

- प्रेस की स्वतंत्रता इस धारणा पर अवलम्बित है कि विभिन्न और परस्पर–विरोधी स्त्रोतों से सूचनाओं का यथासंभव सर्वव्यापक प्रसार जनकल्याण में आवश्यक है। ..... प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति का प्रयोजन सार्वजनिक प्राधिकरणों (सरकार आदि) को जनता के दिमाग का अविभावक बनने से रोकना है। ... इस स्वतंत्रता में सम्पादकीय विभाग में नियुक्तियों पर किसी तरह की रोक से स्वतंत्रता भी शामिल है। (एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1958, एस.सी. 578)
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि अमेरिका के संविधान की तरह भारत के संविधान में प्रेस का उल्लेख अभिव्यक्ति रूप से अनुच्छेद 19 (1) (क) में नहीं किया गया है। (ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य, ए.आई.आर., 1960 एस.सी. 554)
- विज्ञापन निश्चय ही अभिव्यक्ति का एक प्रकार है, लेकिन अगर इसका प्रयोग व्यापार और विक्रय बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वह संविधान के अनुब्छेद 19 (1) (क) के अर्थ में 'अभिव्यक्ति नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या साहित्यिक अथवा मानव–विचारों को आगे बढ़ाने संबंधी विचारों का प्रचार करना नहीं होता। (हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1960, एस.सी. 554)
- अगर प्रेस उद्योग के विनियमन का समाचार पत्रों के प्रसार पर या उनके माध्यम से की जाने वाली अभिव्यक्ति के प्रकार या

मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को असंगत नहीं माना जाएगा। एकाधिकार या अनुचित स्पर्द्धा को रोकने के उद्देश्य से राज्य को नागरिक के उद्योग या कारोबार चलाने के मूल अधिकार पर निर्बन्धन लगाने का अधिकार है। परन्तु उसे यह अधिकार नहीं है कि ऐसा करते समय वह नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करे। (सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1962 एस. सी. 305)

- समाचार–पत्रों को अपनी इच्छानुसार पृष्ठ छापने और पत्रों का प्रसार करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अविभाज्य अंग है। (उपर्युक्त मामला)
- न्यायालय इस विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि कितना अखबारी कागज बाहर से मँगाया जाए और इसे किस तरह से वितरित किया जाए क्योंकि यह शासन की नीति का प्रश्न है। लेकिन, शासन ऐसे निर्बन्धन नहीं लगा सकता है जिससे यह तय करने का प्रयत्न किया गया हो कि कौन से अखबार अपनी प्रसार संख्या बढ़ा सकेंगे तथा कौन से अपनी पृष्ठ संख्या में वृद्धि कर सकेंगे तथा कौन से नहीं कर सकेंगे। समाचार–पत्रों को अपनी प्रसार संख्या कम करने या बढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पत्र की प्रसार संख्या और पृष्ठ संख्या को देख कर उसके लिए अखबारी कागज की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। पर, मात्रा निर्धारित कर देने के बाद पत्रों की अपनी पृष्ठ

संख्या और प्रसार संख्या में तालमेल बिठाने की आजादी होनी चाहिए। (बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी बनाम भारत संघ, ए.आई. आर. 1973, एस.सी. 106)।

- प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में बिना किसी पूर्व निर्बन्धन के स्वतंत्र प्रचार और प्रसार (सरक्युलेशन) का अधिकार शामिल है। प्रसार की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है। प्रसार के बिना प्रकाशन मूल्यहीन है। (एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1960, एस. सी. 554)
- संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता समस्त जनतांत्रिक संगठनों की आधारशिला है क्योंकि खुले राजनीतिक वाद–विवाद के बिना जनशिक्षण जो कि जनता के शासन की प्रक्रियाओं के समुचित कार्यकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, संभव नहीं है। (रमेश थापड़ बनाम मद्रास राज्य, ए.आई.आर. 1950, एस.सी. 896)
- यदि किसी सीमावर्ती राज्य में चल रहा आन्दोलन गंभीर साम्प्रदायिक रूप लेने लगे तथा सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग करे तो एक सीमित कालवधि के लिये ऐसे निर्बन्धन लगाने अयुक्तियुक्त नहीं, वैध होंगे, अगर उनके खिलाफ याचिका दायर करने का प्रावधान रखा गया हो। लेकिन, इन रक्षा उपायों (सीमित अवधि और याचिका दायर करने का अधिकार)

के बगैर लगाए गए निर्बन्धन अवैध होंगे। (वीरेन्द्र बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1957, एस.सी. 896)।

- प्रेस की स्वतंत्रता का सार्वजनिक हित में न्यून नहीं किया जा सकता है। यदि न्यून करने वाले कानून को चुनौती दी जाए तो उसका जवाब यह नहीं हो सकता है कि ऐसा अनुच्छेद 19 की धाराओं (3) से (6) के अंतर्गत किया गया है। 19 (1) (क) के अंतर्गत दी गई वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल वही निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं जिनकी अनुमति उपधारा (2) देती है, और किसी धारा के अधीन नहीं। (सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1962, एस.सी. 305)।
- युक्तियुक्त निर्बन्धन ऐसे नहीं हो सकते जिनसे वह लुप्त हो जाए जिसे विनियमित करने के लिए निर्बन्धन लगाए जाते हैं। युक्तियुक्तता की परीक्षा इसी कसौटी पर की जाएगी। (बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी, ए.आइ.आर. 1973, एस.सी. 106)

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :

संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कई मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की है। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में यह कहा गया है कि यही वह तार्किक और

आलोचनात्मक शक्ति है जिसका अस्तित्व लोकतांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है।[3]

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है– शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों आदि के माध्यम से अपने विचार को अभिव्यक्त करना। इसमें "प्रेस की स्वतंत्रता" भी सम्मिलित है।[4] कोई भी व्यक्ति समाचार पत्रों में लेख, विज्ञापन, कार्टून आदि के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इस अधिकार में जानने का अधिकार भी सम्मिलित है।[5] फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय केवल अपने विचारों के प्रचार–प्रसार तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें दूसरों के विचारों के प्रचार–प्रसार की स्वतंत्रता भी निहित है, जो मात्र प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है।[6]

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है –

- व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होना।
- सत्य की खोज में सहायक होना।

---

[3] रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास (ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 124)
[4] लावेल बनाम ग्रिफिन, (1938), 303 यू.एस. 444)
[5] एस.पी.गुप्ता और अन्य बनाम भारत का राष्ट्रपति और अन्य (ए.आई.आर. 1982, एस.सी. 14)
[6] श्री निवासन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास (ए.आई.आर. 1951 मद्रास 79)

- व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना एवं स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्ति–युक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होना।[7]

उल्लेखनीय है कि भाषण, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की यह स्वतंत्रता भी अबाध नहीं है। कतिपय परिस्थितियों में इन पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में एक परिस्थिति न्यायालय के अवमान की भी है। न्यायालय की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखना न केवल प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, अपितु प्रेस का भी कर्तव्य है। प्रेस को भी अपने समाचार–पत्र, पत्रिका आदि में ऐसा कोई लेख, आलेख, कार्टून आदि प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिससे न्यायालय की अवमानना हो। न्यायालय की अवमानना में मुख्यतः निम्नांकित विषय आते हैं–

- न्यायालय या न्यायाधीश की निन्दा करना,
- उनके प्राधिकार को कम करने वाला कोई कार्य करना,
- उन पर पक्षपात का लांछन लगाना,
- न्यायिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करना,
- न्याय प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करना,
- न्याय प्रशासन के कार्य में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न करना आदि।

[7] इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ((1985) 1 एस.सी.सी.641)

यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे न्यायालय की अवमानना होती है तो उसे विभिन्न विधियों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक कृत्यों के निर्वहन के दौरान न्यायाधीशों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा अभद्र भांषा का प्रयोग करने वाले अधिवक्ता को चार माह की अधिक के कारावास तथा 1000/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।[8]

एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एक मामले के संबंध में भ्रामक समाचार प्रकाशित कर दिये जाने पर सम्पादक को न्यायालय के अवमान का दोषी माना गया।[9]

अरूंधती राय का मामला[10] : इस संबंध में अरूंधती राय के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की गरिमा को बनाये रखना विधि के शासन का एक मूलभूत सिद्धांत है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की गरिमा को आघात पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में न्यायालय (न्यायपालिका) की गरिमा पर प्रहार करता है तो उसे न्यायालय के अवमान के लिए दण्डित करना ही एकमात्र उपाय है। इस मामले में

[8] इन रि अजय कुमार पाण्डे, एडवोकेट (ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 3299)
[9] इन रि चण्डीगढ़ न्यूज लाइन (इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप) (ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 144)
[10] ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1375

'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' की अग्रणी अरूंधती राय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की न केवल आलोचना की थी, अपितु न्यायाधीशों पर कई अनर्गल आरोप भी लगाये थे। न्यायालय ने इसे अवमान मानते हुए अरूंधती राय को एक दिन के कारावास एवं 2,000/– रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।

अपवाद :

लेकिन निम्नांकित को न्यायालय का अवमान नहीं माना गया –

- न्यायिक कार्यवाहियों का उचित एवं सही प्रकाशन।
- न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना।
- निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण।
- न्यायाधीशों के विरूद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी शिकायतें आदि।

अपेक्षा यही है कि दुर्भावनापूर्वक ऐसी आलोचना नहीं की जाये जिससे न्यायिक कृत्य के निर्भीकतापूर्वक एवं निष्पक्षता के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हो जाये। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा प्राथमिकता रखती है; लेकिन वहां नहीं; जहां न्यायालय को अवमान प्रकट रूप से रिष्टिपूर्ण तरीके से अथवा सारभूत रूप से किया गया हो।[11]

वरदकान्त के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां तक अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों पर भी

[11] ई.एम.एस. न्बूदरिपाद बनाम टी.एन.नम्बियार (1970) 2 एस.सी.सी. 325)

अवमानात्मक आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों का संबंध किसी न किसी रूप में न्यायिक कार्यों से जुड़ा होता है। न्याय प्रशासन की शुद्धता एवं निष्पक्षता कायम रखने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुशासन आवश्यक है।[12]

प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य भी समुचित न्याय प्रशासन में उतना ही सहायक होता है जितना कि विधि–स्थापना या पक्षकारों के मध्य न्याय निर्णयन। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उच्च न्यायालय का यह कार्य न्याय–प्रशासन अभिवृद्धि से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों पर भी अवमानात्मक आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं।

दाण्डिक प्रावधान : न्यायालय की अवमानना के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में भी प्रावधान किये गये हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 क में जो कि राजद्रोह के संबंध में है, राज्य के प्रति घृणा अथवा अवमान पैदा करने वाले लेखों, आलेखों, शब्दों, और संकेतों का दण्डनीय अपराध माना गया है। परिभाषा यह कहा गया है कि "जो कोई बोले गये, किये गये या लिखे गये शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेंगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अपराध प्रदीप्त करने

[12] ए.आई.आर 1974 एस.सी. 710

का प्रयास करेगा वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। यद्यपि यह व्यवस्था न्यायालय के अवमान के लिए नहीं है लेकिन चूंकि यह अध्याय अवमानना का है इसलिए इसमें राज्य के प्रति अवमानना को भी सम्मिलित करना उचित समझा गया है।

यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों के द्वारा देश की एकता और अखण्डता को कमजोर करता है तो वह दण्डनीय अपराध होगा। पाकिस्तान जिन्दाबाद अथवा आजाद कश्मीर जिन्दाबाद के नारे लगाना विध्वंसक गतिविधि है।[13]

इस संबंध में **अमृत बाजार पत्रिका**[14] का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में दिनांक 10 एवं 12 अप्रैल सन् 1912 के दो अंकों में "भारत किसका है" तथा "श्री गांधी की गिरफ्तारी अधिक निर्लज्ज है" नाम से दो लेख प्रकाशित किये गये। सरकार ने इन दोनों लेखों को घृणा एवं अवमान पैदा करने वाला माना और इसके लेखक पर मुकदमा चलाया गया। इस प्रकार किसी भी पत्र अथवा पत्रिका में ऐसे कोई लेख, आलेख आदि प्रकाशित नहीं किये जा सकते हैं जो राज्य के प्रति घृणा या अवमान पैदा करने वाले हों।

इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसमें समाचार–पत्रों के लेखक, सम्पादक, मुद्रक आदि भी सम्मिलित हैं, न्यायालय के आदेश

---

[13] मूलचन्द्र बनाम स्टेट (क्रि.ला.रि. 1991 एस.सी. 552)

[14] अमृत बाजार पत्रिका प्रेस लि. (आई.एल.आर. 47 कलकत्ता 190)

की पालना नहीं करना, न्यायालय के समक्ष शपथ लेकर बयान देने से इंकार करना आदि भी न्यायालय की अवमानना माना गया है। मिथ्या साक्ष्य देने अथवा गढ़ने के लिए कोई दस्तावेज आदि तैयार करना भी दण्डनीय अपराध होने के साथ–साथ न्यायालय की अवमानना में ही आता है। इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का अवमान करेगा अथवा उसके कार्य में विघ्न डालेगा तो उसे दंडित किया जा सकेगा।

पी.सी.जोस बनाम नन्दकुमार का मालवी[15] :

जब न्यायालय कक्ष में बैठने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं को खड़े रहना पड़ता है तब कोई भी व्यक्ति चाहे वह उस न्यायालय के किसी मामले में पक्षकार ही क्यों न हो, न्यायालय कक्ष में बैठने की सुविधा का उपयोग करने का क्लेम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह पक्षकारों को उठाकर अधिवक्ताओं का बैठने का निर्देश दें। ऐसा किया जाना न्यायालय की गरिमा को बनाये रखने के लिये आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के तथाकथित निर्देशों को नहीं मानता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत न्यायालय के अवमान का दोषी होता है। यह विचार केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति

[15] ए.आई.आर. 1997 केरल 243

के.टी. थॉमस के है जो उनके द्वारा "पी.सी.जोस बनाम नन्द कुमार" के मामले में अभिव्यक्त किये गये हैं।

हुआ यह कि मुंसिफ न्यायालय के किसी सिविल मामले में एक पक्षकार अपने मामले की स्वयं पैरवी कर रहा था। दिनांक 16.07. 1992 को वह न्यायालय की अगली वाली पंक्ति में आकर बैठ गया। उस समय बार के कई वरिष्ठ सदस्य खड़े हुए थे क्योंकि उनके लिये बैठने का स्थान नहीं था। तब मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने पिटीशनर पक्षकार को स्थान छोड़ने के लिये कहा ताकि अधिवक्ता बैठ सकें। लेकिन पिटीशनर ने उठने से मना कर दिया और कहा कि वह तभी उठ सकता है जब उसे लिखित में ऐसा आदेश दिया जाये। मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने इसे अपना अपमान तथा न्यायालय की कार्यवाही में विघ्न माना और पिटीशनर को कारण बताओं नोटिस दिया कि क्यों न उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत कार्यवाही की जाये। पिटीशनर के पास कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं होने से मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर 150/– रूपये के अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया गया। इसी आदेश को पिटीश्नर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

केरल उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह था कि क्या पक्षकारों को भी न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं की तरह बैठने का समान हक प्राप्त है ? न्यायालय ने कहा कि–यद्यपि न्यायालय कक्ष में बैठने के लिए अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दिये

जाने का कोई नियम नहीं है लेकिन अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 23, 29 एवं 33 अधिवक्ताओं को एक विशेष हैसियत एवं विशेषाधिकार प्रदान करती है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत अधिवक्ताओं को न्यायालय का अधिकारी माना गया है। समाज में उनका विशिष्ट स्थान है। वे किसी भी न्यायालय में प्राधिकृत रूप से प्रेक्टिस करने के हकदार हैं। यही कारण है कि न्यायालय में भी विशेष सुविधाएं पाना उनका एक विशेषाधिकार है।

न्यायालय ने कहा– न्यायालय भीड़ और कोलाहल पैदा करने का स्थान नहीं है। वह कोई आराम–स्थल भी नहीं हैं। **फांसिस बेकन** के अनुसार न्यायालय न्याय का पवित्र मंदिर है। न्यायालय कक्ष में अनुशासन बनाये रखना न्यायालय की गरिमा के लिए अपेक्षित है। न्याय प्रशासन तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब न्यायिक प्रक्रिया गरिमा के साथ संचालित हो। न्यायालय ने **"प्रयागदास बनाम सिविल ज़ज"**[16] के मामले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तनिक मात्र भी ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि यदि ऐसी ढील दी जाती है तो अधिवक्ता भी विभिन्न तरह की वेशभूषाओं में आने लग जायेंगे।

न्यायालय ने और भी कई मामलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे निर्देश देते समय न्यायालय अति संवेदनशील नहीं हो जाते हैं। अपितु ऐसे निर्देश देना न्यायालय की गरिमा और अनुशासन बनाये रखने के लिये आवश्यक होता है। **"टी. वेंकन्ना बनाम मैसूर**

---

[16] ए.आई.आर. 1974 इलाहाबाद 133

हाई कोर्ट"[17] के मामले में एक बड़ा रोचक प्रश्न उठा था कि क्या कोई अधिवक्ता अपने ही मामले की पैरवी गाऊन पहनकर कर सकता है ? न्यायालय ने इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अधिवक्ताओं को भी उसी स्थान से और उसी तौर–तरीके से पैरवी करनी चाहिए जैसी एक सामान्य जन द्वारा अपने ही मामले में की जाती है। **"एस.एन.मूर्ति बनाम स्टेट ऑफ मैसूर"**[18] का एक और रोचक मामला है जिसमें न्यायालय के स्टेनो ने मुंसिफ द्वारा बुलाये जाने पर आने में थोड़ा विलम्ब कर दिया। स्टेनो ने विलम्ब का कारण निर्णय टाईप करने में समय लग जाना बताया। लेकिन मुंसिफ ने उसके स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना और स्टेनो को धारा 228 के अंतर्गत दण्डित कर दिया।

न्यायालय द्वारा शब्द "**बार**" की भी विस्तृत व्याख्या की गई। **कोरपस ज्यूरिस सेकन्डम** के अनुसार "बार से अभिप्राय न्यायालय कक्ष के उस स्थान से है जहां अधिवक्ता एवं विधि सलाहकार बैठते हैं।" **बोवियर्स लॉ डिक्शनरी** के अनुसार' "बार से तात्पर्य न्यायालय कक्ष के उस विनिर्दिष्ट स्थल से है जहां वकील बैठते हैं।" **एन्साईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका** के अनुसार– "बार के संदर्भ में न्यायालय कक्ष दो भागों में बंटा होता है, एक न्यायालय के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के उपयोग के लिये और दूसरा जनसाधारण के लिये।" **एन्साईक्लोपीडिया अमेरिकाना** में यह कहा गया है कि–"शब्द बार से

[17] ए.आई.आर. 1973 मैसूर 127
[18] 1974 क्रिमिनल लॉ जर्नल 211

अभिप्राय न्यायालय कक्ष के उस स्थान से है जो अधिवक्ताओं, विधि सलाहकारों, जूरियों आदि के लिये आरक्षित रहता है।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में अधिवक्ताओं का एक विशिष्ट स्थान है। सामान्य जन अधिवक्ताओं के समतुल्य सुविधाओं का क्लेम नहीं कर सकता। न्यायालय की गरिमा और उसमें अनुशासन बनाये रखने के लिये पीठासीन अधिकारी को समुचित व्यवस्था देने का अधिकार है। इस दृष्टि से केरल उच्च न्यायालय का यह निर्णय देश के न्यायिक इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। दंडित किये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी न्यायालय के समक्ष उसकी अवमानना करने वाला कोई भी कृत्य करता है तो न्यायालय अपराध का संज्ञान लेकर दोषी व्यक्ति को 200 रूपये तक के जुर्माने से दंडित कर सकेगा। यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। इस प्रकार दाण्डिक विधि में भी न्यायालय और राज्य के प्रति कारित अवमानना को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

न्यायालय का अवमान अधिनियम : न्यायालय की अवमानना के बारे में 1971 का न्यायालय अवमान अधिनियम एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें न्यायालय का अवमान करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किये जाने के बारे में प्रावधान किया गया है।

अवमान में सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के अवमान सम्मिलित किये गये है[19] कई बार प्रश्न उठता है कि न्यायालय के अवमान के मामलों में क्या दोषी व्यक्ति के आशय को ध्यान में रखा जाना चाहिए ? यद्यपि ऐसा आवश्यक नहीं है लेकिन यथासंभव आशय को ध्यान में रखा जाना न्याय संगत है।[20] साथ ही यह भी कहा गया है कि न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए।[21]

एम मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय के जमानत के आदेश की उपेक्षा कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी को माफी नहीं दी गई।[22]

इसकी धारा 3 में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी ऐसे प्रकाशन और उसके वितरण के लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए जिसके पीछे कोई दुराशय नहीं रहा हो। लेकिन यदि जान बूझ कर न्यायालय अथा न्यायाधीशों को कलंकित करने वाला कोई प्रकाशन निकाला जाता है तो इसके लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाना ही उचित होगा।[23]

---

[19] ठठेरा कॉटन जीनिंग कम्पनी लि. बनाम काषीनाथ गंगाधर नामजोषी (आई.एल.आर. 1940 नागपुर 69)
[20] एस. अब्दुल करीम बनाम एम.के. प्रकाष (1976 एस.सी.सी.आर 120)
[21] सुखदेव सिंह बनाम तेजासिंह (ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 186)
[22] विजय कुमार महन्ती बनाम जदू उर्फ रामचन्द्र साहू (ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 657)
[23] सी.के. दफ्तरी बनाम ओ.पी. गुप्ता (ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1132)

एक मामले में तो यहां तक कहा गया कि यदि कोई प्रकाशन न्याय प्रशासन में अवरोध पैदा करता है तो वह भी न्यायालय का अवमान ही माना जायेगा।[24]

न्यायालय के अवमान के लिए दोषी व्यक्तियों को धारा 12 के अंतर्गत छह माह तक की अवधि के कारावास अथवा दो हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

न्यायालय का अवमान (संशोधन) अधिनियम, 2006 :

धारा 13 में संशोधन करते हुए कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति अपने कृत्य को सत्य द्वारा न्यायोचित ठहराना चाहता हो, वहां उसे प्रतिरक्षा के तौर पर ऐसा करने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि—

- ऐसी अनुज्ञा दिया जाना लोकहित में हो; तथा
- प्रतिरक्षा पेश करने की प्रार्थना सद्भावपूर्ण हो।

रामप्रीति यादव बनाम महेन्द्र प्रताप यादव[25] के मामले में कहा गया है कि न्यायालय अवमान के अवमान के असाधारण मामलों में केवल माफी पर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। लेकिन जहां मामला उच्च

[24] के.एल. गोबा (ए.आई.आर, 1941 लाहौर, 105)
[25] ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 3156

अधिकारियों से संबंधित हो, वहां उनके द्वारा क्षमायाचना कर लिये जाने पर उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उदारता बरती जा सकती है।[26]

निजता का अधिकार :

निजता (एकान्तता) का अधिकार एक तेजी से विकसित होती हुई अवधारणा है। लगभग एक शताब्दी पहले जब निजी गोपनीयता की अवधारणा आकार ले रही थी, उस समय अमेरिकी विद्वान थामस कूले ने इसे 'अकेले छोड़ दिए जाने का अधिकार' परिभाषित किया। तब से अब तक व्यक्ति के स्वतंत्र होने और उसे प्रचार की जबरदस्त चका–चौंध से बचाने जैसे कुछ पहलू न सिर्फ तलाश लिए गए हैं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाड़ा, डेनमार्क और नीदरलैण्ड जैसे देशों में उन्हें मान्यता भी दी गई है।

मनव अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन (1948) में निजी गोपनीयता के अधिकार को मान्यता मिली। इस सम्मेलन में जारी मानव अधिकारों के घोषणापत्र के अनुच्छेद 12 में (जिसे 1978 में परिशोधित किया गया), लिखा गया 'किसी भी व्यक्ति की एकान्तता पर उसके परिवार, घर अथवा पत्राचार पर निरंकुश ढंग से बन्धन नहीं लगाए जाएंगे और उसके सम्मान और ख्याति पर हमला नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के हमलों और व्यवधानों के विरूद्ध हर एक को विधि द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार होगा'।

[26] ऑल बंगाल एक्साइज लाइसेंसी एसोसियेषन बनाम राघवेन्द्र सिंह (ए.आई.आर. 2007, एस.सी. 1386)

गोविन्द बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1975, 3 एस.सी.आर. 946) में उच्चतम न्यायालय ने ठहराया–''यदि हम यह मान भी लें कि दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार और वाक् स्वातंत्र्य से मिल कर एकान्तता का अधिकार. स्वतंत्र रूप में उत्पन्न होता है जिसे मूल अधिकार भी कहा जा सकता है तो भी यह नहीं सोच सकते कि यह एक स्वसम्पूर्ण अधिकार है,'' अनेक अन्य विद्वान भी जिनमें अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीश (के.के. मेथ्यूसः ''द राइट टू बी लेफ्ट अलोन'') एकान्त में रहने का अधिकार'' (1979) 4, एस.सी.सी. (जर्नल), वी.आर. कृष्णा अय्यर ''प्राइवेसी इज ए ह्यमन राइट'' (एकान्तता मानव अधिकार है) (पी.सी.आई. जर्नल जिल्द I, जुलाई, 1990, पृष्ठ 15 में ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' से पुनर्मुद्रित उद्धत) सम्मिलित है, खड़क सिंह के प्रकरण में न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा दिए गए मत पक्षधर ही प्रतीत होते हैं।

ब्रिटेन की कालकट ''कमेटी ऑन प्राइवेसी एण्ड रिटलीज्ड मैटर्स'' ने अपनी रिपोर्ट (1990) में स्वीकार किया कि ''एकान्ता'' की नपी–तुली या व्यापक परिभाषा दी जा सके, इस बात की संभावना बहुत कम है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् लगातार मांग की जाती रही कि लोगों की निजी जिन्दगी में, उनकी एकान्तता पर विवेकहीन समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों, जासूसों (गुप्तचरों) या अन्य लोगों द्वारा अधिकृत आक्रमण और अप्राधिकृत अतिक्रमणों के विरूद्ध किसी भी हालत में आंशिक रूप में ही सही इस अधिकार का संरक्षण किया जाए।

द्वितीय प्रेस आयोग (1982) ने समाहार करते हुए, विचार–विमर्श में प्रगति के उन मुद्दों का अत्यंत स्पष्टता से कुछ इस तरह पेश किया :– "हाल के वर्षों में एकान्तता के मूल विचार पर विशद् विचर–विमर्श हुआ, इसके पीछे दो कारण हैं –

- आधुनिक राज्य का एक ऐसा शक्तिशाली प्रशासकीय निकाय के रूप में उदय हुआ, जो अपने नागरिकों के जीवन के हर पहलू को शासित करने में सक्षम है।
- तकनीकी क्रांति जिसने हमें ऐसे उपकरण प्रदान किए हैं जिनके कारण यह संभव हो सका है कि हम विलक्षण तरीकों से किसी व्यक्ति के घर की टोह उसकी जानकारी के बिना ही ले सकते हैं। माचिस की तिली के सिरे के बराबर छोटे माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को पकड़ कर उन्हें कनसुई करने वाले, टोह लेने वाले व्यक्ति तक प्रेषित कर सकते हैं। इन्फ्रा रेड (अवरक्त) प्रकाश तकनीक की सहायता से किसी कमरे की निगरानी की जा सकती है और वहां के फोटो समीपस्थ कमरे में बैठकर अपारदर्शी दीवारों के आर पार से भी ले सकते हैं। फोटोग्राफी के अत्यंत उन्नत तथा संवेदनशील उपकरणों से काफी दूर से फोटो लेना संभव है।

फ्रांस : फ्रांस में एकान्तता से संबंधित विधि का विकास न्यायालयों द्वारा अलग–अलग मामलों में दिए गए फैसलों के आधार पर विकसित सिविल कोड, 1959 के आर्टिकल 1382 के निर्वचन के माध्यम से हुआ

है। प्रेस द्वारा वैयक्तिक एकान्तता पर बढ़ते हुए हमलों के जवाब में बीसवीं सदी के पांचवे तथा छठवें दशक के दौरान इस प्रक्रिया में एकाएक बहुत तेजी आई। इस प्रकार न्यायालयों द्वारा जो सिद्धांत विकसित हुए उन्हें 17 जुलाई, 1970 के कानून में समाविष्ट किया गया। इस संहिताबद्ध विधि के आर्टिकल 9 में यह उपलब्ध है कि ''प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसकी एकान्तता का सम्मान रखा जाए'' 1970 के कानून में ''एकान्तता'' की सामान्य परिभाषा उपबन्धित नहीं की गई। इसकी व्याख्या न्यायालयों पर छोड़ दी गयी। सामान्यतया कौटुम्बिक, वैयक्तिक तथा यौन संबंधी मामले एकान्तता के अधिकार में शामिल हैं। एकान्तता के अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही के लिए अपने आप मे ''लोकहित'' ''सद्भावपूर्वक'' और ''सत्य'' बचाव के रूप में पेश नहीं किए जा सकते ।

जर्मन संघीय गणराज्य : पश्चिमी जर्मनी में दंड संहिता के जरिए एकान्तता के कतिपय मिले–जुले अतिक्रमणों को एक अपराध के रूप में दण्डनीय बनाया गया है; अर्थात–

- किसी दूसरे व्यक्ति के घर में तथा कतिपय अन्य निजी (प्राइवेट) स्थानों में अतिचार (ट्रेसफस)।
- निजी बातचीत को बिना अनुज्ञा अभिलिखित करना।
- चोरी से किसी की अन्दरूनी बातचीत सुनने के उपकरणों (बंगगि) का प्रयोग करके कनसुई करना।

- कतिपय निजी जानकारी (जैसे—चिकित्सकीय अभिलेख) बिना अनुज्ञा के प्राप्त करना, और
- कोई ऐसी निजी जानकारी जो किसी कम्प्यूटर में संग्रहीत हो, अभिप्राप्त करना।

उपरोक्त मामलों के कतिपय अपवाद भी हैं। उदाहरणार्थ, समकालीन इतिहास की परिधि में आने वाले चित्र, सार्वजनिक जुलूसों के चित्र और वास्तविक रूप से कलात्मक प्रयोजनों के लिए बनाए गए चित्र।

अमेरिका :

नार्थ केरोलिना विश्वविद्यालय, चेपल हिल के प्रो. फिलीप मेयर तथा रूथ वाल्डेन ने पत्रकारिता सदाचार पर अनुसंधान किया है। उनका निष्कर्ष है कि अमेरिका में प्रेस को शासित करने वाले कानून आमतौर पर एकान्तता संबंधी विधि के क्षेत्र में भ्रमोत्पादक और भावनिष्ठ है। वाल्डेन क`मत में थोड़े से अपवादों को छोड़कर मीडिया द्वारा एकान्तता के अतिक्रमण को शासित करने वाला कोई फैडरल कानून नहीं है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का अपना कानून है। एकान्तता संबंधी लगभग पचास विभिन्न कानून हैं जो मीडिया से संबंधित हैं। हालांकि, 1890 के वारेन एण्ड ब्रैण्डीज़ आर्टिकल के कारण लगभग पूरे संयुक्त राज्य में किसी व्यक्ति की एकान्तता पर अतिक्रमण अपकृतय के रूप में धीरे—धीरे अपनी पहचान बना चुकी है। इसके बावजूद इसकी परिभाषा अलग—अलग दी गई है। विशेषज्ञ

की राय में ऐसा प्रतीत होता है कि अपकृत्य के अंतर्गत निम्नलिखित चार प्रकार के 'एकान्तता के अतिक्रमण' आते हैं। यद्यपि इनके बारे में यह समझा जाता है कि ये चारों सुभिन्न अधिकार हैं और एक के दूसरे से बहुत कम संबंध हैं–

- किसी व्यक्ति की दैहिक एकान्तिकता पर अतिक्रमण
- सामान्य शिष्टता का आक्रमण करने वाले निजी मामलों का प्रकाशन।
- किसी व्यक्ति के बारे में मिथ्या प्रचार करना
- किसी व्यक्ति के नाम का या उसकी पसन्द का उपयोग करना (सामान्यतया वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए)

ब्रिटेन :

देश में कॉमन लॉ के अधीन एकान्तता के सामान्य अधिकार को मान्यता नहीं दी गई। फिर भी, मीडिया, विशष्टितया 'पुड़िया छोड़ने वाले' प्रेस द्वारा एकान्तता पर आक्रमण के रूप में इस आक्रमणकारी धावे के विरूद्ध बढ़ती हुई शिकायतों के बारे में ब्रिटिश समाज के अनेक वर्गों ने अपनी आवाज बुलन्द की है। अध्ययन के लिए ''यंगर कमेटी ऑन प्राइवेसी'' का गठन किया गया था। जुलाई, 1972 में पेश रिपोर्ट में कमेटी ने एकान्तता के कानूनी अधिकार के विरूद्ध सिफारिश की थी, जिसका कारण उसने यह दिया था कि उसके समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य (सबूत) नहीं है कि कोई ऐसा सारवान् दोष

विद्यमान है जिसका मार्जन करने के लिए हम विवश होते। रिपोर्ट में जिक्र कि चूंकि एकान्तता पर आक्रमण की शिकायतों में हितों का टकराव हो सकता है। अतः जनता को जानकारी देने की आवश्यकता और प्रत्येक व्यक्ति की एकान्तता का सम्मान करने की आवश्यकता–प्रत्येक मामले में इन दोनों हितों के संतुलन का कार्य प्रेस परिषद के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। कमेटी ने मूल मुद्दे को बराबर का महत्व दिए जाने की सिफारिश की है। परिषद एकान्तता के बारे में अपने न्याय निर्णयों को संहिताकरण की सम्भावनाओं का पता लगाए जिससे इस व्यवसाय में लगे व्यस्त पत्रकारों को और उसमें हितबद्ध जनता को तैयारशुदा और तुरन्त मार्गदर्शन दिया जा सके। समिति ने ऐसी संहिता को अद्यतन बनाए रखे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके परिणामस्वरूप परिषद ने अपने सामान्य न्याय–निर्णयों के संहिताकरण का कार्य आरंभ कर दिया, किन्तु इस संबंध में किसी औपचारिक आचार–संहिता के प्रकाशित किए जाने का अपना विरोध कायम रखा।

1976 में प्रेस परिषद ने ''एकान्तता के सिद्धांत'' संबंधी निम्नलिखित घोषणा जारी की जिसमें सम्पादकों के इस संबंध में विनिश्चय करने के समय मार्गदर्शन के नियम दिए गए थे कि लोगों की निजी जिन्दगी के बारे में खबरें कब प्रकाशित की जाए और कब नहीं।

- व्यक्तियों की निजी जिन्दगी या सम्बंधों के बारे में उनकी सम्मति के बिना जानकारी का प्रकाशन केवल उसी स्थिति में मान्य है जब कोई ऐसा विधि–सम्मत लोकहित का प्रश्न सामने हो जो एकान्तता के अधिकार से भारी हो।
- यह सम्पादकों का उत्तरदायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति की निजी जिन्दगी या उसके संबंधों को प्रभावित करने वाले मामलों में जांच केवल उसी स्थिति में की जाती है जब कोई विधि–सम्मत लोकहित का प्रश्न उपस्थित हो। फिर भी उस स्थिति में एकान्तता का अधिकार अन्तर्वलित नहीं माना जाएगा यदि संबंधित व्यक्ति ने जांच के कामकाज के लिए और उसके प्रकाशन के लिए स्वतंत्र रूप से तथा स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति दे दी है।
- ऐसे प्रकाशन या जांच के जो कि एकान्तता के दावे के विरूद्ध बताई जा रही है, न्यायोचित बहाने के रूप में जिस लोकहित का आसरा लिया जा रहा है वह न्याय–सम्मत और उचित लोकहित ही होना चाहिए न कि कामुक और विकृत उत्सुकता। "लोक के महत्व" का और "लोकहित में" यह दोनों शब्द/भाव समानार्थी नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अर्थ उस व्यक्ति द्वारा अपने निजी कार्यकलापों में एकान्तता का अधिकार खो देना नहीं है, सिवाय उस स्थिति के जबकि ऐसा व्यक्ति की जो किसी विशिष्ट लोक पद पर प्रतिष्ठित है, निजी जिन्दगी की

परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके कारण उस व्यक्ति के अपने कर्तव्य पालन के या उसके प्रति या उसके पद के प्रति जनता के विश्वास के प्रभावित होने की संभावना है।

- फिर भी प्रवंचनापूर्वक (धोखे से) कनसुई करके या ऐसे तकनीकी साधनों के जो स्वयं में अविधिपूर्ण नहीं है, माध्यम से एकान्तता पर आक्रमण केवल उसी दशा में न्यायोचित कहा जा सकता है जबकि ऐसा आक्रमण ऐसी जानकारी, जो कि हर हालत में लोकहित में प्रकाशित की जाना चाहिए, लेने के सिलसिले में किया गया हो, और उसे प्राप्त करने या उसकी पुष्टि करने के लिए और कोई अन्य युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य तरीका नहीं है।
- परिषद् यह अपेक्षा करती है कि समाचार या चित्र अभिप्राप्त करने का कार्य सहानुभूति तथा विवेकपूर्ण ढंग से किया जाएगा। रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों को तब तक ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि शोक संतप्त या मुसीबत से घिरे लोगों को नुकसान पहुंचे या उन्हें अपमानित होना पड़े। जब कि यह बात स्पष्ट न हो कि ऐसे समाचार या चित्र के प्रकाशन से एक विधि–सम्मत लोकहित की पूर्ति होगी और उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य तरीका नहीं है।
- सम्पादक अपने समाचारपत्रों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे और उनका यह कर्तव्य होगा

कि वे सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित कर्मचारी वैयक्तिक एकान्तता के विधि सम्मत दावे का आदर करने के महत्व से पूर्णतया अवगत है।

प्रेस के संबंध में तीसरे रायल कमीशन ने भी, जिसके अध्यक्ष लार्ड मेकग्रेगोर थे, अपनी रिपोर्ट (जुलाई, 1977) में लगभग वही मार्ग अपनाया है जो यंगर कमेटी ने अपनाया था। कमीशन की राय में भी इस संबंध में विधान बनाया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि इस कार्य के लिए प्रेस परिषद उपयुक्त विकल्प है। उसने यह सिफारिश की कि प्रेस परिषद को प्रेस के लिए एक व्यापक आचार–संहिता बनानी चाहिए।

प्रेस शिकायत आयोग (प्रेस कम्प्लेन्ट्स कमीशन) –

कालकट समिति ने सिफारिश की कि "प्रेस को एक अंतिम अवसर यह सिद्ध करने के लिए जरूर दिया जाना चाहिए कि स्वयमेव विनिमयन का कार्य स्वतः किया जाना संभव है। फिर भी हम नहीं समझते कि प्रेस परिषद को, भले ही वह अपने आन्तरिक पुनर्विलोकन में प्रस्तावित किए गए अनुसार स्वयं सुधार लेती है, इस प्रणाली के हिस्से के रूप में रखा जाना चाहिए। अतएव हम सिफारिश करते हैं कि प्रेस परिषद्, को भंग करके उसके स्थान पर एक नया निकाय स्थापित किया जाए जिसको विनिर्दिष्टि रूप से प्रेस संबंधी अनाचार

की शिकायतों पर न्याय–निर्णय देने का अधिकार दिया जाए। हमें यह देखना होगा कि ऐसा निकाय प्राधिकार युक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसे पर्याप्त रूप से धन दिया जाना चाहिए और इसे अतिक्रमण करने वाली सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए एक सक्षम साधन के रूप में विकसित होना चाहिए। हमारा विचार है कि इस बात पर विशिष्ट रूप से जोर दिया जाना चाहिए कि जो बीत गया हो सो बीत गया। अब हमें एक नया रास्ता अपनाना चाहिये। अतएव इस नए निकाय का नाम प्रेस शिकायत आयोग (जिसे आगे पी.सी.सी. कहा गया है) होना चाहिए।''

कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि पी.सी.सी. को प्रेस और जनता दोनों के मार्गदर्शन के लिए एक व्यापक व्यवहार–संहिता को प्रकाशित, मॉनीटर और कार्यान्वित करना चाहिए। पी.सी.सी. को 24 घण्टे में शिकायतों के निराकरण की निश्चित समय–सीमा के आधार पर कार्य करना चाहिए। पी.सी.सी. को कतिपय मामलों में अपने न्यायनिर्णयों में यह सिफारिश भी सम्मिलित करनी चाहिए कि शिकायतकर्ता के क्षमा याचना की जाए, क्षमा याचना का एक निर्धारित

प्रारूप भी दिया जा सकता है जिसमें यह भी निदेश सम्मिलित हो कि ऐसी क्षमा याचना सार्वजनिक रूप से की जाए या व्यक्तिगत तौर पर।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।[27]

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये अनिवार्य है ;

[27] भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2, अनुभाग 1–क में दि. 28.10.2015 को पृष्ठ 685 से 710 पर प्रकाशित।

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अतंर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिये, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12 , धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं — इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) **"समुचित सरकार"** से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो—

(1) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित,गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित पोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(2) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्त--पोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) **"केन्द्रीय सूचना आयोग"** से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) **"केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी"** से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(घ) **''मुख्य सूचना आयुक्त''** और **''सूचना आयुक्त''** से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ड.) **''सक्षम प्राधिकरी''** से अभिप्रेत है–

(1) लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या विधान परिषद की दशा में सभापति ;

(2) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(3) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायूमूर्ति ;

(4) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ;

(5) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक ;

(च) **''सूचना''** से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल,

आंकड़ों से संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है ;

(छ) **"विहित"** से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) **"लोक प्राधिकारी"** से,–

(1) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;

(2) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(3) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(4) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है ;

और इसके अंतर्गत–

(1) कोई ऐसा निकाय है, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;

(2) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार,द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) **''अभिलेख''** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(1) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(2) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे या प्रतिकृति प्रति;

(3) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या या न हो); और

(4) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री ;

(ञ) **''सूचना का अधिकार''** से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है–

(1) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ;

(2) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;

(3) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;

(4) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;

(ट) **''राज्य सूचना आयोग''** से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) **''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त''** और **''राज्य सूचना आयुक्त''** से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ड) **''राज्य लोक सूचना अधिकारी''** से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ढ) **''पर व्यक्ति''** से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, औ इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं :

3. सूचना का अधिकार – इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं – (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी–

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटररीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर–

(1) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो;

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(14) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलम्ब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण – उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए ''प्रसारित'' से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना संसूचित कराना अभिप्रेत है।

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम – (1) प्रत्येक लोक सूचना प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियम के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट

वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिये, पदाभिहित करेगा :

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधकारी समझा जाएगा।

6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध — (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,—

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ; को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा : परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,—

(1) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(2) जिसकी विषय—वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसकों ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और एसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

7. **अनुरोध का निपटारा** — (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर,

ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में ये किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(क). उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकलाने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए

कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने क संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन किसी पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,–

(1) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण ;

(2) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी ; और

(3) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकार के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

8. सूचना के प्रकट किए जाने से छूट – (1) इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंड़ता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो ;

(ग) सूचना जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा ;

(घ) सूचनां, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता, या बौद्धिक संपदा, सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है; जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं

हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(ड.) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;

(छ) सूचना, जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिये विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चिय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चिय किए गए थे, विनिश्चिय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे :

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में सूचीबद्ध छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे ;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसकी प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान–मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) या खण्ड (झ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन

कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिये उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. **कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार**— धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा।

10. **पृथक्करणीयता** — (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त

है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि –

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने क पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है ;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगठित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है, और

(ङा.) सूचना के भाग को प्रकट न किये जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच

का प्ररूप, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

11. पर व्यक्ति सूचना – (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिये पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन की बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर–व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर–व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर–व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर–व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर–व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर–व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है।

केन्द्रीय सूचना आयोग :

12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) मुख्य सूचना आयुक्त और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी–

(1) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(2) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और

(3) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में

मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी सबसे बड़े एकल समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

13. **पदावधि और सेवा शर्तें** – (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारित करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुर्नर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए

उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगाः

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है ;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी जो निर्वाचन आयुक्त की हैं :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन को ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर,

सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य के सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कम्पनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

14. मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना– (1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त और किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए, निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलम्बित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, किसी मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या।

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ ; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ.) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कम्पनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

राज्य सूचना आयोग :

15. राज्य सूचना आयोग का गठन – (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा .... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,–

(1) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(2) विधानसभा में विपक्ष का नेता; और

(3) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमण्डल का सदस्य।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधानसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐंसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसम्पक, प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

16. **पदावधि और सेवा की शर्तें –** (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा : परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपने पद रिक्त करन पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा : परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा : परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है ;

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन. किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य

सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कम्पनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए

आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना– (1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जायेगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलम्बित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या।

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अन्तवर्लित है ; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ड.) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से सम्बद्ध या हितबद्ध है या किसी निगमित कम्पनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों क लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

सूचना आयोगों की शक्तियों और कृत्य, अपील तथा शास्तियां :

18. सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य – (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करें,–

(क) जो, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है ;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है;

(ङ.) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या—सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रियां संहिता, 1908 (1980 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्—

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

19. **अपील** – (क) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाईल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर–व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर–व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव

में प्राप्त किया गया था नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चिय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर–व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर–व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जायेगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है –

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(1) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;

(3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

(4) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबन्ध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(5) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबन्ध को बढ़ाना;

(6) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरिक करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अभियान के अधीन उपबन्धित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारीको, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

20. शास्ति – (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है

या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जान बूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय था या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है

या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जान बूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय था या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, ऐसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाही के लिए सिफारिश करेगा।

प्रकीर्ण :

21. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण – कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भापूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशियत है, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना – इस अधिनियम के उपबन्ध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम

से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

23. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन — कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

24. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना— (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा से अपवर्जित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना, केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का, उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस धारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना, राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

25. **मानीटर करना और रिपोर्ट करना** – (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के सम्बंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के सम्बन्ध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबन्ध, जिनके अधीन ये

विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबन्धों का अवलंब लिया गया था ;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां;

(ङ.) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनिमय की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान–मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना– (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धि की सीमा तक–

(क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिये प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ;

(घ) लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और नीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) इस अधिनियम के उद्‌देश्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्रारूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ड.) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग की अपील फाइल करने की रीति भी है;

(छ). धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

27. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति – (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् –

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ङ.) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

28. **नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति–** (1) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्त–

(1) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य;

(2) धारा 6 की उपधारा (1) के अधिन संदेय फीस;

(3) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस; और

(4) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

29. **नियमों का रखा जाना–** (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद से सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि

ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात् यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान--मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

30. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों:

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधियिम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धरा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

31. निरसन – सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 (2002 का 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

इकाई–2

न्यायालय की अवमानना :

विधि शास्त्री **आस्टिन** के मत में –सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षक का कार्य सौंप कर उसे सामाजिक क्रांति के संरक्षक का दायित्व सौंपा गया है। यह सामाजिक हित एवं व्यक्तिगत हित के बीच सामन्जस्य स्थापित करने वाली कड़ी का कार्य करता है।

अतः जन–साधारण का भी यह कर्तव्य है कि वह न्यायालयों का सम्मान करे। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे न्यायपालिक की गरिमा को आंच आये। यदि कोई व्यक्ति न्यायपालिका की गरिमा के प्रतिकूल कार्य करता है तो उसे अवमानना का दोषी माना जाता है। अवमानना के संबंध में विभिन्न विधियों में व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे– संविधान, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, न्यायालय का अवमान अधिनियम आदि।

एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि न्यायालय के अवमान का प्रश्न किसी एक न्यायाधीश की गरिमा का प्रश्न नहीं है, अपितु सम्पूर्ण न्यायपालिका की गरिमा का प्रश्न है।

न्याय–प्रशासन की गरिमा को अक्षुण बनाये रखना न्यायपालिका का कर्तव्य है।[28]

संवैधानिक व्यवस्था : संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को व अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 129 के अनुसार– "उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपन अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की समस्त शक्तियाँ होंगी।"

अनुच्वेछ 213 के अनुसार –" प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की समस्त शक्तियाँ होंगी।"

इस प्रकार अभिलेख न्यायालय में दो बातें समाहित हैं –

(1) इसके समस्त निर्णय एवं इसकी समस्त कार्यवाहियां लिखित में होती हैं और इनको सदा के लिए संरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में इनका अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व–निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

(2) ऐसा न्यायालय अपने अवमान के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित कर सकता है। [29]

---

[28] सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेषन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर 1998 एस.सी. 1895)

अवमान के लिए दण्डित करने के लिए यह एक विशेष शक्ति है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति न्याय–प्रशासन में हस्तक्षेप अथवा अवरोध उत्पन्न करता है। जन–हित में यह आवश्यक भी है। न्याय–प्रशसन में हस्तक्षेप अथवा अवरोध को रोकने के लिए कारावास का दण्डादेश भी दिया जा सकता है ; यदि अर्थदण्ड पर्याप्त न हो।[30]

उल्लेखनीय है कि न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिये जब न्याय–प्रशासन में सारभूत हस्तक्षेप अथवा बाधा उत्पन्न की जाये।[31]

न्यायालय के अवमान के मामलों में अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में किया गया है। इसमें अवमान दो प्रकार के माने गये हैं– (1) सिविल; एवं (2) आपराधिक।

न्यायालय का अवमान सुनिश्चित करने के लिए मार्ग–निर्देशक सिद्धांत :

सी.के. दफ्तरी बनाम ओ.पी. गुप्ता[32] के मामले में न्यायालय को अवमान सुनिश्चित करने वाले कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ये सिद्धांत हैं –

---

[29] अश्विनी कुमार घोष बनाम अरविन्द बोस (ए.आई.आर. 1953 एस.सी.75)
[30] हीरालाल दीक्षित बनास स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेष (ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 743)
[31] रिजवान –उल–हसन बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेष (ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 185)

- न्यायाधीशों पर बेईमानी का आरोप लगाने के लिए कोई कारण नहीं होना; चाहे निर्णय में कितनी ही त्रुटियाँ स्पष्ट क्यों न लगती हों;
- अवमान कारक आरोपों का औचित्य साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं देना;
- अवमान की कार्यवाही के लिए संक्षिप्त किन्तु उचित प्रक्रिया अपनाना;
- अवमान का स्पष्ट एवं साधारण आरोप होने की दशा में औपचारिक रूप से आरोप विरचित किये जाने की आवश्यकता नहीं होना; एवं
- उच्चतम न्यायालय अभिभाषक–संघ के अध्यक्ष द्वारा अवमान की कार्यवाही का संस्थित किया जाना; आदि।

"प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालयों के आदेशों का पालन करना चाहिये। आम आदमी को न्याय सुलभ कराने के लिए आवश्कय है।"[33]

——न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी,

पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय,

इसी में न्यायालय की गरिमा निहित है। न्यायालयों के आदेशों की पालना नहीं करना अथवा न्यायालयों एवं न्यायाधीशों के लिए अवांछनीय शब्दों का प्रयोग करना न्यायालय का अवमान है।

[32] ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1132

[33] राज्य विधि आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में दिये गये भाषण का अंष (1–7–1995)

न्यायालय के अवमान को रोकने एवं दोषी व्यक्तियों को समुचित दण्ड देने के प्रयोजन से ही यह अधिनियम बनाया गया है।

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार** — (1) यह अधिनियम **न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971** कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत है :

परन्तु यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा, सिवाय उस सीमा तक कि जहाँ तक इस अधिनियम के उपबन्धों का संबंध उच्चतम न्यायालय के अवमान से है।

2. **परिभाषाएं** — इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"न्यायालय अवमान"** का तात्पर्य "सिविल अवमान" या "दांडिक अवमान" से है ;

(खं) **"सिविल अवमान"** का अर्थ है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री, निर्देश, आदेश, रिट या आदेशिका की कामतः अवज्ञा अथवा किसी न्यायालय से किए गए किसी वचन का कामतः भंग;

एक मामले में न्यायालय ने समाचार पत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि समनुदेशित करने के आदेश की पालन नहीं किये जाने को न्यायालय का अवमान माना।[34]

राम नारंग बनाम रमेश नारंग[35] के मामले में न्यायालय को दिये गये किसी वचन अथवा आश्वासन को भंग किये जाने को उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अवमान माना गया है।

(ग) "**दांडिक अवमान**" का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन (चाहे बोले गये या अंकित किए गये शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा, अथवा अन्यथा) या किसी प्रकार के अन्य कार्य का किया जाना, जिससे–

(1) किसी न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगाता है या लांछन लगाने को प्रवृत्त होता है, या उसको घटाता है, या उसको घटाने को प्रवृत्त होता है; अथवा

(2) किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक् अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या उसमें अड़चनें पैदा करता है या अड़चन पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है; अथवा

[34] गवर्नमेन्ट आफ आन्ध्रप्रदेष बनाम महर्षि पब्लिषर्स प्रा.लि. (ए.आई.आर., 2003 एस.सी. 296)
[35] ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 2029

(3) किसी अन्य रीति से न्याय प्रशासन में अड़चन पैदा करता है या अड़चन पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है;

अधिवक्ता द्वारा न्यायाधीश को खुले न्यायालय में धमकियां देना, उस पर निराधार आरोप लगाना तथा आदेश को वापस लेने हेतु दबाव डालना दाण्डित अवमान है।[36]

(घ) **"उच्च न्यायालय"** का अर्थ है कि किसी राज्य अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय और उसमें किसी संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय सम्मिलित है।

3. विषय का निर्दोष प्रकाशन तथा विवरण अवमान नहीं होता—(1) कोई व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय अवमान का दोषी न होगा कि उसने (चाहे बोले गये या अंकित किए गये शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपणों द्वारा, अथवा अन्यथा) कोई विषय प्रकाशित किया है, जो प्रकाशन के समय लम्बित किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के संबंध में न्याय के अनुक्रम में अड़चन पैदा करता है या अड़चन पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसको बाधित करता है या बाधित करने की प्रवृत्ति रखता है, यदि उस समय उसे यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार न हो कि वह कार्यवाही लम्बित थी।

[36] कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोषन बनाम के.के. झा (ए.आई.आर. 2007 झारखण्ड 67)

(2) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में यथा सम्मिलित किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के, जो कि प्रकाशन के समय लम्बित न हो, सम्बन्ध में ऐसे किसी विषय के प्रकाशन के बारे में यह न समझा जाएगा कि उससे न्यायालय अवमान गठित होता है।

(3) कोई व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय अवमान का दोषी न होगा कि उसने किसी ऐसे प्रकाशन का वितरण किया है जिसमें उपधारा (1) में यथा उल्लिखित कोई विषय अन्तर्विष्ट हो, वितरण करते समय उसके पास यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त, आधार न हो किस उसमें यथा पूर्वोक्त कोई विषय या तो अन्तर्विष्ट था या उसके इस प्रकार अन्तर्विष्ट होने की संभावना थी :

परन्तु यह उपधारा किसी ऐसे प्रकाशन पर,–

(1) जो कि ऐसी पुस्तक हो जो, पुस्तक व प्रेस रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 3 में अन्तर्विष्ट नियमों की अनुरूपता से भिन्न अन्यथा प्रकाशित या मुद्रित हुई हो,

(2) जो कोई ऐसा समाचार–पत्र हो तो उपरियुक्त अधिनियम की धारा 5 में अन्तर्विष्ट नियमों की अनुरूपता से भिन्न अन्यथा मुद्रित हुआ हो, लागू न होगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायिक कार्यवाही तब लम्बित कही जाएगी–

(क) जबकि, किसी सिविल कार्यवाही, की दशा में वह वाद पत्र दाखिल करके या अन्यथा संस्थित की जाय,

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अन्यथा किसी अन्य विधि के अधीन दांडिक कार्यवाही की दशा में –

(1) जहाँ उसका सम्बन्ध किसी अपराध के किए जाने से हो, जबकि आरोपपत्र या चालान, दाखिल किया जाय, या जबकि न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध, यथास्थिति, सम्मन या अधिपत्र जारी करे और

(2) किसी अन्य दशा में, जबकि न्यायालय उस विषय का संज्ञान करे जिससे कार्यवाही का सम्बन्ध हो, और

किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही की दशा में, वह तब तक लम्बित समझी जाएगी जब तक कि उसकी सुनवाई न हो जाय और वह अन्तिम रूप से विनिश्चित न हो जाए अर्थात किसी ऐसे मामले में जहाँ अपील या पुनरीक्षण सक्षम हो, तब तक जब तक की अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई न हो जाय और वह अंतिम रूप से विनिश्चित न हो जाय, या जहाँ कोई अपील या

पुनरीक्षित दाखिल नहीं किया जाता, जब तक जब तक कि ऐसी अपील या ऐसे पुनरीक्षण के लिए विहित अवधि का अवसान न हो गया हो ;

(ख) जो सुनवाई की जाकर अंतिम रूप से विनिश्चित की जा चुकी हो, केवल इस कारण से लम्बित नहीं समझी जायेगी कि उसमें पारित डिग्री, आदेश या दंडादेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही लम्बित है।

4. **न्यायिक कार्यवाही का उचित एवं सही प्रतिवेदन न्यायालय अवमान नहीं होता**— धारा 7 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही या उसके किसी अवस्था का उचित एवं सही प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए न्यायालय अवमान का दोषी न होगा।

5. **न्यायिक कार्य की उचित आलोचना अवमान नहीं होती** — कोई व्यक्ति किसी ऐसे मामले के, जो सुनवाई किया जाकर अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हो, गुणागुण पर किसी उचित आलोचना का प्रकाशन करने के लिए अवमान का दोषी नहीं होगा।

6. **अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध परिवाद कब अवमान की कोटि में नहीं आता** — कोई व्यक्ति किसी ऐसे कथन के बारे में जो उसने सद्भावना के किसी

ऐसे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सम्बन्ध में किया हो, जो–

(क) किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय, या

(ख) उस उच्च न्यायालय के अधीन हो, जिसके वह अधीनस्थ हो, न्यायालय के अवमान का दोषी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, **"अधीनस्थ न्यायालय"** का अर्थ है, कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो।

7. कतिपय दशाओं को छोड़कर अवकाशागार या बन्द कमरे में की गई कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचना का प्रकाशन अवमान नहीं होता– (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सिवाय निम्नलिखित दशाओं के, कोष्ठ अथवा बंद कमरे में बैठने वाले किसी न्यायालय के समक्ष किसी न्यायिक कार्यवाही के उचित एवं सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा, अर्थात् :–

(क) जहाँ प्रकाशक तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के विरूद्ध हो,

(ख) जहाँ लोक नीति के आधारों पर या उसमें निहित किसी शक्ति के प्रयोग में, न्यायालय कार्यवाहियों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं या उस अभिवर्णन की सूचना को, जो

प्रकाशित हुई हो, के प्रकाशन को अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध करें,

(ग) जहाँ लोक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा से सम्बधित कारणों से न्यायालय कोष्ठ या बन्द कमरे में बैठे, उन कार्यवाहियों से सम्बधित सूचना का प्रकाशन,

(घ) जहाँ सूचना किसी ऐसी गुप्त प्रक्रिया, खोज या आविष्कार से सम्बन्धित हो जो कार्यवाहियों में एक विवाद्यक हो।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति कोष्ठ या बंद कमरे में बैठने वाले न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के पाठ अथवा सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के उचित एवं सही संक्षिप्त वितरण का प्रकाशन करने के लिए तब तक न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा जब तक कि न्यायालय ने अभिव्यक्त रूप लोक–नीति के आधार पर, या लोक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारणों से, या इस आधार पर कि उसमें किसी गुप्त प्रक्रिया, खोज या आविष्कार अन्तर्विष्ट है, या उसमें निहित किसी शक्ति के प्रयोग में उसका प्रकाशन प्रतिषिद्ध न कर दिया हो।

8. अन्य प्रतिरक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी — इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि उसमें वह विवक्षित है कि कोई अन्य प्रतिरक्षा जो न्यायालय

अवमान के लिए की गई किसी कार्यवाही में विधिमान्य प्रतिरक्षा होती, उसका केवल इस अधिनियम के कारण उपलब्ध होना समाप्त हो गया है।

9. अधिनियम में यह विवक्षित नहीं है कि अवमान के क्षेत्र को परिवर्धित किया जाय– इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि उसमें या विवक्षित है कि कोई ऐसी अविज्ञा, ऐसा भंग, प्रकाशन या अन्य कार्य न्यायालय अवमान के रूप में दण्डनीय है जो इस अधिनियम से अलग इस प्रकार दण्डनीय न होगा।

10. अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए उच्च न्यायालय की दंड देने की शक्ति – प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां तथा प्राधिकार, उसी प्रक्रिया और परिपाटी के अनुसार, रखेगा और प्रयोग करेगा, जिसका प्रयोग उसने स्वयं अपनी अवमानना के संबंध में किया है :

परन्तु कोई उच्च न्यायालय किसी ऐसी अवमानना जिसका उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय के संबंध में किया जाना अभिकथित हो, संज्ञान नहीं करेगा जहाँ ऐसी अवमानना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन एक दण्डनीय अपराध हो।

11. अधिकारिता के बाहर किए गए अपराधों या पाए गये अपराधियों के परीक्षण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति– उच्च न्यायालय की स्वयं अपनी अवमानना अथवा अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय की अबमानना की जाँच अथवा उसका परीक्षण करने की अधिकारिता होगी, चाहे अवमानना उसको अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या उसके बाहर की गई अभिकथित हो, और चाहे अवमानना का अभिकथित दोषी व्यक्ति ऐसी सीमाओं के भीतर हो या बाहर।

12. न्यायालय अवमान के लिए दंड – (1) इस अधिनियम में या किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर, न्यायालय अवमान के लिए सादे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी परन्तु न्यायालय का समाधान हो जाने पर क्षमा याचना पर अभियुक्त को उन्मुक्त किया जा सकेगा अंथवा दिए गये दंड में छूट दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण – यदि अभियुक्त सद्भावनापूर्वक क्षमा याचना करता है तो उसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जायेगा कि वह सापेक्ष अथवा सशर्त है।

(2) तत्पश्चात् प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय किसी अवमानना के लिए, चाहे वह स्वयं उसकी हो अथवा उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय की हो, इस

दंडादेश से जो कि उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट है, अधिक अधिरोपित नहीं करेगा।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति किसी सिविल अवमान का दोषी पाया जाय, यदि न्यायालय का यह विचार हो कि जुर्माने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति न होगी, और कारावास का दंड जरूरी है, जो वह उसको सादे कारावास का दंड देने के बजाय यह निदेश कर सकेगा कि उसको सिविल कारागार में छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए निरूद्ध किया जाय जिसे वह ठीक समझे।

(4) जहाँ किसी न्यायालय को दिये गये वचन के संबंध में न्यायालय के लिये दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो अवमानना किए जाने के समय कम्पनी के कारोबार के संचालन का भार साधक था तथा संचालन के लिए कम्पनी को उत्तरदायी था, और कम्पनी को भी, अवमानना का दोषी समझा जाएगा, और न्यायालय की अनुमति से दंड को ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सिविल कारागार में निरूद्ध करके प्रवृत्त किया जायेगा, परन्तु इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दण्ड के लिए दायित्वाधीन नहीं करेगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अवमानना उसके ज्ञान के अभाव में की गई थी, या यह कि उसने उसका किया जाना रोकने के लिए सब सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(5) उप–धारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ उसमें निर्दिष्ट न्यायालय अवमान किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि अवमानना कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से अथवा उसकी उपेक्षा के कारण हुई है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, या सचिव या अन्य अधिकारी भी अवमानना का दोषी समझा जायगा, और न्यायालय की अनुमति से दण्ड को ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को सिविल कारागार में निरूद्ध करके प्रवृत्त किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण – उपधारा (4) और (5) के प्रयोजन के लिए–

(क) **"कम्पनी"** का अर्थ है कोई निगमित निकाय, जिसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टि संगम भी है, तथा

(ख) किसी फर्म के संबंध में **"निदेशक"** का अर्थ है फर्म में कोई साझीदार।

दण्ड के संबंध में **"विजय कुमार महन्ती** बनाम **जदू उर्फ रामचन्द्र साहू**[37] का एक अच्छा मामला है। इसमें पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय के जमानत के आदेश की उपेक्षा कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी को माफी नहीं दी गई।

[37] ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 657

[38] **13.कतिपय दशाओं में अवमानना दण्डनीय नहीं होती**— तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के अवमान के लिए न्यायालय द्वारा कोई दण्डादेश तब तक अधिरोपित नहीं किया जायेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि अवमानना इस प्रकार की है कि वह न्याय के सम्यक् अनुक्रम में या तो सारभूत रूप से हस्तक्षेप करती है या सारभूत रूप से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है।

(ख) न्यायालय के अवमान की किसी भी कार्यवाही में न्यायालय प्रतिरक्षा के रूप में सत्य द्वारा न्यायोचित ठहराने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा किया जाना लोकहित में है तथा ऐसी प्रतिरक्षा की प्रार्थना सद्भावपूर्वक की गई है।

14. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अवमानना किए जाने की दशा में प्रक्रिया — (1) जब यह अभिकथित किया जाय, या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को स्वयं अपने विचार से यह प्रकट हो, कि कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति या सुनवाई में की गई अवमानना का दोषी हुआ है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निरूद्ध कराएगा, और न्यायालय उसी दिन उठने से पूर्व किसी समय, या तत्पश्चात् यथाशीघ्र संभव—

[38] न्यायालय का अवमान (संषोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उस अवमानना से जिसका उस पर आरोप है, उसको लिखित रूप में सूचित करायेगा,

(ख) आरोप के प्रति उसको अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा,

(ग) ऐसा साक्ष्य जो जरूरी हो, या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाय, और उसकी सुनवाई करने के पश्चात् या तो तत्काल स्थगन के पश्चात् आरोप के विषय का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा और

(घ) ऐसे व्यक्ति के दण्ड या उन्मोचन के लिए ऐसा आदेश करेगा जो कि न्याय संगत हो।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी, जब उस उपधारा के अधीन अवमानना से आरोपित कोई व्यक्ति मौखिक रूप में या लिखित रूप में यह आवेदन करे कि उसके विरूद्ध आरोप के परीक्षण उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों से जिनकी उपस्थिति या सुनवाई में अपराध का किया जाना अभिकथित है, भिन्न किसी न्यायाधीश द्वारा किया जाय, और न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा करना साध्य है और यह कि उचित न्याय प्रशासन के हित में आवेदन को मन्जूर किया जाना चाहिये, तो वह उस विषय को मामले के तथ्यों के एक विवरण सहित मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसलिये रखवाएगा कि वह उसके परीक्षण के संबंध में ऐसे निदेश करें जिनका जारी किया जाना वह ठीक विचार करें।

(3) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अवमानना से आरोपित व्यक्ति के किसी परीक्षण में, जो उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी निर्देश के अनुसरण में उस न्यायालय या उन न्यायाधीशों से जिनकी उपस्थिति या सुनवाई में अपराध का किया जाना अभिकथित है भिन्न न्यायाधीश द्वारा किया जाय, तो उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों के लिए, कि जिनकी उपस्थिति या सुनवाई में अपराध का किया जाना अभिकथित है, यह जरूरी न होगा कि व साक्षी के रूप में हाजिर हो, और उपधारा (2) के अधीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे गए विवरण को मामले में साक्ष्य के रूप में माना जायगा।

(4) आरोप का अवधारण लम्बित रहने तक न्यायालय यह निर्देश कर सकेगा कि इस धारा के अधीन अवमानना से आरोपित व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में निरुद्ध किया जायगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु उसको जमानत पर विमुक्त कर दिया जायेगा यदि कोई बन्ध पत्र ऐसी धनराशि के लिये जिसे न्यायालय पर्याप्त विचार करें, प्रतिभुओं सहित या रहित इस शर्त के साथ निष्पादित कर दिया जाय कि आरोपित व्यक्ति बन्ध पत्र में उल्लिखित समय और स्थान पर हाजिर होगा और इस प्रकार तब तक हाजिर होता रहेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए:

परन्तु यह और भी कि न्यायालय यदि वह ठीक विचार करें, ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय, उसको यथापूर्वोक्त अपनी हाजरी के लिये प्रतिभुओं रहित बन्ध पत्र निष्पादित कर देने पर उन्मुक्त कर देगा।

15. अन्य मामलों में दाण्डिक अवमान का संज्ञान —(1) धारा 14 में निर्दिष्ट अवमान से भिन्न किसी दाण्डिक अवमान के मामले में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय स्वयं अपने प्रस्ताव पर अथवा—

(क) महाधिवक्ता, या

(ख) महाधिवक्ता की लिखित सम्मति से, किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा किए गए प्रस्तावों पर कार्यवाही कर सकेगा।

(2) किसी अधीनस्थ न्यायालय की दाण्डिक अवमानना के मामले में, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको निर्देश किए जाने पर, या महाधिवक्ता द्वारा या, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध मं, ऐसे विधि अधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त सरकारी गजट के अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी, किए गए प्रस्तावों पर कार्यवाही कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक प्रस्ताव या निर्देश में वह अवमानना विनिर्दिष्ट की जाएगी कि जिसके लिए आरोपित व्यक्ति का दोषी होना अभिकथित हो।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, **"महाधिवक्ता"** पद का अर्थ है,–

(क) उच्चतम न्यायालय के संबंध में, महा न्यायवादी या महा सालिसिटर,

(ख) उच्च न्यायालय के संबंध में, उस राज्य का या ऐसे राज्यों में से जिनके लिए वह उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, किसी राज्य का महाधिवक्ता,

(ग) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के सम्बन्ध में, ऐसा विधि अधिकारी जिसको केन्द्रीय सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

16. न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा अवमान– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट व न्यायिक रूप से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति भी स्वयं अपने न्यायालय की या किसी अन्य न्यायालय की अवमानना के लिए उसी रीति से दण्डनीय होगा जैसे कि कोई अन्य व्यक्ति दण्डनीय होता है, और इस अधिनियम के उपबन्ध तदनुसार यथासंभव लागू होंगे।

(2) इस धारा में की कोई बात किसी अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में किसी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के समक्ष उस अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या

निर्णय के विरूद्ध लम्बित किसी अपील अथवा पुनरीक्षण में, ऐस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी संप्रेक्षण या की गई किसी टिप्पणी पर लागू नहीं होगी।

17. संज्ञान के पश्चात् प्रक्रिया – (1) जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों में जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, अन्यथा निर्देश न करे, धारा 15 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही का नोटिस आरोपित व्यक्ति पर वैयक्तिक रूप में तामील किया जायगा।

(2) नोटिस के साथ–

(क) प्रस्ताव पर आरंभ की गई कार्यवाहियों की दशा में, प्रस्ताव की एक प्रति तथा शपथपत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, जिन पर ऐसा प्रस्ताव आधारित हो, और

(ख) किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर आरंभ की गई कार्यवाहियों की दशा में, निर्देश की एक प्रति,

प्रेषित की जायगी।

(3) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि धारा 15 के अधीन आरोपित व्यक्ति के विषय में ऐसी संभावना है कि वह नोटिस की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा या सामने नहीं

आएगा, तो वह उसकी उतने मूल्य या रकम की सम्पत्ति की, जितनी वह युक्तियुक्त समझे, कुर्की का आदेश कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक कुर्की को उसी रीति से प्रभावी किया जाएगा जो धन की अदायगी के लिए किसी डिग्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उपबन्धित है, और यदि ऐसी कुर्की के पश्चात् आरोपित व्यक्ति हाजिर हो और न्यायालय के समाधान पर यह संदर्शित करे कि वह नोटिस की तामील से बचने के लिए फरार नहीं हुआ तो सामने नहीं आया, तो न्यायालय उसकी सम्पत्ति को कुर्की से, खर्चों के संबंध में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जिसे वह उचित विचार करे, विमुक्त किए जाने का आदेश देगा।

(5) धारा 15 के अधीन अवमान से आरोपित कोई व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में शपथपत्र दाखिल कर सकेगा, और न्यायालय आरोप के विषय का, या तो दाखिल किये गये शपथ पत्र पर या और ऐसा साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् जो जरूरी हो, अवधारण कर सकेगा, और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि मामले में न्याय द्वारा अपेक्षित हो।

18. दाण्डिक अवमान के मामले में सुनवाई न्यायपीठ द्वारा की जाएगी– (1) धारा 15 के अधीन दाण्डिक अवमान का प्रत्येक मामला दो न्यायाधीशों से अन्यून की न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय पर लागू नहीं होगी।

19. अपीलें – अवमानना के लिए दंड देने क अपनी अधिकारिता के प्रयोग में किए गए उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय से साधिकार तब अपील होगी–

(क) न्यायालय के दो से अन्यून न्यायाधीशों की न्यायपीठ को होगी जबकि आदेश या विनिश्चय एक न्यायाधीश का हो,

(ख) उच्चतम न्यायालय को होगी जबकि आदेश या विनिश्चय किसी न्यायपीठ का हो ;

परन्तु जब आदेश या विनिश्चिय किसी संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का हो तो ऐसी अपील उच्चतम न्यायालय को होगी।

(2) अपील लम्बित रहने के दौरान, अपील न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि –

(क) उस दंड या आदेश का जिसके विरूद्ध अपील की गई है, निष्पादन निलम्बित किया जाय,

(ख) यदि अपीलार्थी परिरूद्ध हो तो उसको जमानत पर विमुक्त कर दिया जाय, और

(ग) इस बात के होते हुए भी कि अपीलार्थी ने अपनी अवमानना का मार्जन नहीं किया है, अपील की सुनवाई की जाए।

(3) यदि ऐसे किसी आदेश से जिसके विरूद्ध अपील दायर की जा सके, व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का यह समाधान करे कि उसका अपील दायर करने का विचार है, तो उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त सब शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग उच्च न्यायालय भी कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील–

(क) उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को अपील की दशा में, इस आदेश दिनांक से जिसके विरूद्ध अपील की जाए, तीस दिन के भीतर,

(ख) उच्चतम, न्यायालय को अपील की दशा में इस आदेश से जिसके विरूद्ध अपील की जाए, साठ दिन के भीतर दायर की जाएगी।

20. अवमान की कार्यवाही के लिए परिसीमा – कोई भी न्यायालय, या तो स्वयं अपने प्रस्ताव पर या अन्यथा, उस दिनांक से जिसको कि अवमान का किया जाना अभिकथित है, एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् अवमान के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं करेगा।

21. अधिनियम का न्याय पंचायतों या अन्य ग्राम न्यायालयों पर लागू न होना— इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात न्याय पंचायतों या अन्य ग्राम न्यायालयों पर, चाहे उनको जो भी नाम दिया गया हो, जो किसी विधि के अधीन न्याय प्रशासन के लिए स्थापित किए गये हों, लागू नहीं होगी।

22. अधिनियम का अवमान संबंधी अन्य विधियों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में होना —इस अधिनियम के उपबन्ध न्यायालयों की अवमानना संबंधी किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में होंगे।

23. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति— उच्चतम न्यायालय, या यथास्थिति, कोई उच्च न्यायालय इस अधिनियम की प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी विषय का उपबन्ध करते हुए ऐसे नियम बना सकेगा, जो उसके उपबन्धों के असंगत न होंगे।

24. निरसन — न्यायालय अवसान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

(शासकीय गोपनीयता अधिनियम)

प्रथम भाग :

चूंकि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (1923 का संख्यांक 9) की धारा 5 मोटे तौर पर ब्रिटिश ऑफीशियल सीक्रेस एक्ट 1911 की धारा 2 जैसी ही है, इसलिए उन विभिन्न उपायों तथा प्रस्तावों पर जर डाल लेना सर्वथा उपयुक्त होगा जिनकी परिणति ब्रिटिश ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1989 के रूप में हुई। इसके द्वारा मूल अधिनियम की धारा 2 को प्रतिस्थपित किया गया था।

फ्रैन्क्स कमेटी : फ्रैन्क्स कमेटी (1972) ने यह सिफारिश की थी कि जिन श्रेणियों की जानकारी के संरक्षण के दण्ड की व्यवस्था की जाती है उन्हें विनिर्दिष्ट प्रवर्गों तक सीमित रखा जाना चाहिए, उदाहारणार्थ–

- राष्ट्र की प्रतिरक्षा या सुरक्षा से सम्बद्ध या उन पर प्रभाव डालने वाले विषयों में सम्बन्धित शासकीय गुप्त जानकारी।
- विदशों से सम्बद्ध अर्थात विदेशों से सम्बन्धित या समुद्रपारिय सम्बन्ध रखे जाने से सम्बद्ध या उन पर प्रभाव डालने वाले विषय।

- मुद्रा की कीमतों में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव, बातचीत या विनिश्चय या सुरक्षित कोष (रिजर्व), उसकी सीमा या ऐसे कोष के स्थान परिवर्तन से सम्बन्धित गुप्त जानकारी या इनमें किसी के भीतर के भी प्रति संकट उत्पन्न किया जाना।

न्यायालयों को इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रकरण का राष्ट्र के हितों पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा है। सम्बन्धित मंत्री/ कार्यपालन अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पंत्र, कि उसने स्वयं का यह समाधान कर लिया है कि सम्बन्धित जानकारी का वर्गीकरण सही–सही किया गया है और उसके प्रकट किए जाने से राष्ट्र को गंभीर क्षति या हानि पहुंचेगी, किसी विधिक कार्यवाही में ऐसी क्षति या हानि का निश्चायक सबूत माना जाएगा।

(1) कमेटी ने अतिरंजित वर्गीकरण से बचने के लिए इन सुरक्षा उपायों की सिफारिश की थी : –

- दस्तावेजों के वर्गीकरण और उन्हें वर्गीकरण से अलग किए जांने से सम्बन्धित विनियम, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा बनाए जाना।
- जहां यह आरोप हो कि किसी वर्गीकृत जानकारी का प्रकटन प्राधिकार के बिना किया गया है, वहां अभियोजन प्रारंभ किये

जाने के पूर्व मंत्री को स्वयं उस मामले का पुनर्विलोकन करना चाहिए।

- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मार्गदर्शन के लए एक नॉन स्टेट्यूटरी कमेटी होनी चाहिए जिसमें शासन और दीगर बाहरी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य सम्मिलित हों।

(2) निम्नलिखित जानकारी की संरक्षा के निमित्त दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए :

(I) विधि और व्यवस्था बनाए रखने से सम्बन्धित जानकारीः अर्थात ऐसी जानकारी–

- जिसका अपराध के लिऐ जाने में सहायक होना सम्भाव्य है।
- जो विधिक अभिरक्षों में से निकल भागने या ऐसे कार्यो को सुकर बनाने में सहायक है, जो कारगार–सुरक्षा के प्रतिकूल है और
- जिसके कारण अपराधों की रोकथाम या उनका पता लगाने में अथवा अपराधियों को गिरफ्तार करने या उन पर अभियोजन चलाने में बाधा होने की आशंका हो।

(II) मंत्रिमण्डल की कार्यवाहियां और दस्तावेज।

(III) प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा शासन को दी गई जानकारी, चाहे वह अनिवार्यकारी शक्ति के कारण या अन्यथा कारणों से

दी गई है और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त पर दी गई हो कि उसे गोपनीय बनाए रखा जायगा।

(3) इसके अतिरिक्त निजी फायदे के लिए शासकीय जानकारी के प्रकट करना या उसका उपयोग किया जाना भी अपराध घोषित किया जाना चाहिए।

कमेटी की एक सिफारिश यह भी थी कि प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी मामलों जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़े या उन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के लिए अभियोजन को अटॉर्नी (महान्यायवादी) के अनुमोदन से और अधिनियम के अधीन अन्य अपराधों के लिए अभियोजनों को डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन (अभियोजन निदेशक) की मंजूरी से ही दायर किए जाने चाहिए।

1978 में ब्रिटिश शासन ने 1911 के अधिनियम की सर्वाधिक विवादास्पद धारा 2 को प्रतिस्थापित करने के लिए, इसी दृष्टिकोण पर आधारित एक श्वेत–पत्र प्रकाशित किया था और उसके साथ एक विधान भी था, जिसमें केवल ऐसी जानकारी के प्रकटन को जो राष्ट्र या लोक हित में हानिकारक है, दण्डनीय बनाने के उपबन्ध थे। एक विधेयक फ्रीडम ऑफ इन्फर्मेशन बिल, 1978 जिसमें श्वेत–पत्र में उल्लिखित लगभग समस्त प्रस्ताव सम्मिलित किये गये थे, हाऊस लाड्‌र्स में पुनः स्थापित भी किया था, लेकिन वह व्यपगत (लैप्स) हो गया।

(ब्रिटिश) ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1989 का सार–संक्षेप :

यह अधिनियम 1 मार्च 1990 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इसकी प्रस्तावना में अभिकथित है, इस दण्ड विधि द्वारा दिये जाने वाले संरक्षण को केवल चुने हुए सीमित वर्गो की गुप्त शासकीय जानकारी तक सीमित करना था। इस उद्देश्य को निभाने के लिए इस अधिनियम का प्रवर्तन केवल निम्नलिखित छः वर्गों की शासकीय जानकारी तक सीमित किया गया है। अर्थात–

- सुरक्षा और गुप्तचर सेवा (धारा 3)
- प्रतिरक्षा (धारा 2),
- आन्तरिक सम्बन्ध (धारा 3),
- अपराध और विशेष जांच की शक्तियां (धारा 4), (पांच)
- अप्राधिकृत प्रकटन या गोपनीय रूप से (चोरी छुपे) सौंपी गई जानकारी (धारा 5), और
- अन्य देशों को या अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को गोपनीय रूप से सौंपी गई जानकारी (धारा 6)।

मूल्यांकन –

जहां तक सकारात्मक पहलुओं का सम्बन्ध है, अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं जिन्होंने शासकीय जानकारी तक जनता की पहुंच को काफी सीमा तक सरल बना दिया है निम्नलिखित के रूप में गिनाई जा सकती है, अर्थात :–

- अधिनियम के अधीन दण्ड की व्यवस्था, जानकारी के केवल उपरोक्त छः शीर्षों/वर्गों तक सीमित कर दी गई है,
- इसके अतिरिक्त, अधिनियम में इन छः वर्गो या शीर्षो की व्याप्ति को भी कमोबेश निर्बन्ध शब्दों में परिभाषित करके और भी सीमित कर दिया गया है,
- सुरक्षा तथा गुप्तचर सेवाओं के सदस्यों और उनसे सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के मामलों को छोड़कर अन्य पांच वर्गो या शीर्षो के सम्बन्ध में अप्राधिकृत प्रकटन से हुई हानि की विनिर्दिष्ट कसौटी विहित की गई है, ये कसौटियां न्यायालयों को यह अवधारित करने में समर्थ बनाएंगी कि अप्राधिकृत प्रकटन के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई या उसकी संभावना के संबंध में न्यायिक अवधारणा के बदले उसके स्थान पर इस तथ्य के निश्चायक सबूत के रूप में मंत्री का प्रमाण पत्र रखने के विचार को, जैसे कि फ्रेक्स कमेटी ने सुझाया था, त्याग दिया गया है,
- इस दण्ड विधि का दुरूपयोग रोकने के सुरक्षात्मक उपाय के रूप में धारा 9 (1) में यह उपबन्ध किया गया है कि उपधारा (2) के तहत अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए अभियोजन, अटार्नी जनरल की सम्मति से ही संस्थित किया जायगा अन्यथा नहीं। उपधारा (2) में यह अधिकथित किया गया है कि धारा 4 (2) के अधीन किसी अपराध के मामले में कोई भी अभियोजन डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के

द्वारा या उसकी सम्मति से ही संस्थित किया जाएगा अन्यथा नहीं,

इंग्लैण्ड के पूर्व प्रधानमंत्री सर एडवर्ड हीथ ने 'न्यू स्टेट्समैन' में लिखा 'इस पद्धति से राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की मुख्य संचार माध्यमों तथा उदार प्रजातंत्र के नागरिकों की अपने प्रजातंत्र की सुरक्षा और उसके स्थायित्व को किसी खतरे में डाले बिना अधिक से अधिक संभव जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के बीच सही सन्तुलन कायम नहीं किया जा सकता''। उनकी राय में राज्य की शक्तियों के सम्भावित दुरूपयोग के विरूद्ध व्यक्ति के अधिकार का मूल्यांकन न कर पाने का मूलभूत कारण लोकहित सम्बन्धी बचाव के तर्क को स्वीकार नहीं किया जाना ही है।

अधिनियम के कठोर और प्रतिगामी उपबन्धों के बारे में ब्रिटिश प्रेस जगत में व्यापक आलोचना हुई। विधान की धारा 8 का उल्लेख करते हुए 'टाइम्स' लन्दन (8 मार्च, 1990) में टिप्पणी की गई, कि 'यदि कोई गोपनीय दस्तावेज किसी प्रकार खिसक कर किसी समाचार पत्र के सम्पादक के हाथ लग जाता है जो अपने स्त्रोत को बचाना चाहता है, तो उसके सामने एक भीषण कठिनाई खड़ी हो जाएगी। यदि वह धारा 8 की उपधारा (4) और (5) के अधीन उसे वापस किए जाने के शासकीय निदेश का पालन नहीं करता, तो वह गया सीधा जेल में।''

जानकारी अपने आप में कई प्रकार की हो सकती है। वह किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन को दी गई या उससे प्राप्त कोई अहानिकार किस्म की जानकारी भी हो सकती है और वह गुप्तचर सेवा के टेलीफोन टैपिंग या प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी गलत फार्म के बारे में भी हो सकती है।

क्या संविधान को संशोधित किया जाए ?

इस दृष्टिकोण की न्यायिक व्याख्या को समझने के लिए हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए निर्णयों का अध्ययन करना होगा। इसे उत्तर प्रदेश बनाम राजस्थान (एफ.आई. आर. 1975 एस.सी. 865 पैरा 74) के सम्मत निर्णय में न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू ने बड़ी ही कुशलता से इन शब्दों में प्रतिपादित किया है–

"हमारे यहां जैसी किसी उत्तरदायी सरकार में, जहां जनता के प्रतिनिधि को अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होना चाहिये, वहां कम से कम गोपनीयता रहनी चाहिए। इस देश के जनता को प्रत्येक लोक सेवक से जारी प्राप्त करने का अधिकार है। उसे इस बात का हक है कि प्रत्येक लोक संव्यवहार और उसके प्रभाव के बारे में ब्यौरेवार जानकारी हासिल हो। जानकारी का अधिकार वाक् स्वतंत्र्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है फिर भी व्यक्ति को उस समय अवश्य सजग रहना चाहिए जब ऐसे संव्यवहार के बारे में गोपनीयता

का दावा किया जाने लगे जिनके कारण लोक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं हैं।''

एस.पी. गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1982, एस.सी. 149 पैरा 66) में इसी बात को न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने और विस्तारपूर्वक दुहराया है। उनके शब्दों में ''जानकारी का अधिकार या जानकारी तक पहुंच का अधिकार हमारी प्रजातांत्रिक जीवन–पद्धति की आधारशिला है। वास्तव में इस अधिकार के स्वतंत्र और निर्बाध प्रयोग के बिना वास्तविक प्रजातंत्र अपना कार्य ही नहीं कर सकता।''

पूर्व अटार्नी जनरल सोली सोराबजी ने कहा– ''सूचना के अधिकार, यानि जानने के अधिकार का औचित्य क्या है ? इसका उत्तर संभवतः प्रजातांत्रिक प्रणाली की मूल परिकल्पना में ही निहित है। अर्थात शासन, शासित व्यक्तियों की सहमति पर ही आधारित होगा। इसका अर्थ यह है कि सहमति स्वतंत्र और तथ्यपरक होगी और उसे विभिन्न परस्पर विरोधी स्त्रोतों द्वारा यथासंभव व्यापक रूप से प्रसारित जानकारी का प्रतिफल होना चाहिए। इस प्रकार नागरिक, तथ्यपूर्ण तथा बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ होंगे। शासन के निर्णयों क़ी गुणवत्ता न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता के सहयोग के कारण सुधरती जाती है, वरन् इस बात से भी सुधार होता है कि निर्णय लेने वालों को इस बात का ज्ञान रहे कि वे प्रकाशित जानकारी की रोशनी में जनता की आंखों के सामने बैठ कर निर्णय कर रहे हैं। इतना होने के पश्चात ही संभव होगा कि नागरिक अपनी

भूमिका सार्थक रूप से निभा पाएंगे तथा प्रजातंत्र वास्तविक और जन सहभागिता–युक्त बन सकेगा।''

न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने हिन्दुस्तान टाईम्स (2 मई, 1990) में लिखा ''जानकारी का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है और उस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसकी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में गारण्टी दी गई है।'' जानकारी तक पहुंच और उसके हासिल हो सकने के मार्ग में जो भी कठिनाइयां या बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने और उन पर विजय पाने के लिए कानूनी परिवर्तन तथा संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भाग– 2

पृष्ठभूमि :

ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जिसने शासकीय रहस्यों को प्रकट होने से बचाने के लिए 1889 में ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाया जिसमें अन्य बातों के अलावा कुछ गैर–जासूसी मामलों तक के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई।

यह विधान ब्रिटिश सरकार के उस मर्मान्तक क्षोभ और कूटनीतिक पराजय की उपज है जो उसे ब्रिटिश विदेश विभाग के एक कर्मचारी मार्विन द्वारा 1878 में एंग्लो–रशियन ट्रीटी का संपूर्ण विवरण 'ग्लोब' पत्रिका को देने और पार्लियामेण्ट में उसके प्रस्तुत किए जाने के काफी पहले 'ग्लोब' द्वारा उसे उद्घाटित किये जाने

की वजह से हुई थी। मार्विन को सरकारी दस्तावेजों की चोरी करने के अपराध में अभियोजित करने की कार्यवाही जरूर हुई लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अलबत्ता मार्विन ने यह साबित कर दिया कि उसने किसी दस्तावेज की चोरी नहीं की। उसने जो कुछ भी बताया था वह उसकी अपनी 'फोटोग्राफिक' स्मृति के बल पर सम्भव हुआ। ब्रिटिश सरकार इस पर काफी परेशान हुई कि वहां ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऐसे लोगों को दण्डित कर सके जो इस प्रकार की शासकीय गुप्त बातों को अप्राधिकृत रूप से जाहिर कर देते हैं। एण्डरसन काण्ड (1889) के कारण एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई कि ऐसे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कोई उपाय हीं नही है जो संवेदनशील जानकारी 'उधार' ले जाते हैं और अपना 'काम' निकाल कर उसे वापस शासकीय तिजोरी में रख देते हैं।

इन दो घटनाओं से उपजे संत्रास और विवशता के कारण ब्रिटिश सरकार ने ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1889 को अधिनियमित करने का निश्चय किया।

1889 के इसी ब्रिटिश एक्ट की तर्ज पर शासकीय गुप्त बात विधेयक 1889 भारत की ''लेजिस्टलेटिव एसेम्बली' में 10 अक्टूबर, 1889 को पुरःस्थापित किया गया और उसके एक सप्ताह बाद यानि 17 अक्टूबर 1889 को इसे पारित भी कर दिया गया था।

बीसवीं सदी के आरंभ में राष्ट्रीय प्रेस जगत अपनी पूरी ताकत और विशिष्ट लेखन शैली में स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका

निभा रहा था जिससे दिनों–दिन परेशानी बढ़ती जा रही थी। अपनी सोची–समझी रणनीति के तहत भारतीय प्रेस गोपनीय सरकारी जानकारियों के भेदों को खोल–खोल कर प्रकाशित करता जा रहा था। ब्रिटिश शासकों को यह देख कर और भी खीझ होती कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1889 के उपबन्ध भारतीय अखबारों की इन कारगुजारियों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। परिणामतः 1889 के भारतीय अधिनियम को 1904 में संशोधित कर के प्रावधानों को कुछ अधिक कठोर बना दिया गया।

1904 में संशोधन अधिनियम द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार थे : कार्यालय या ऐसे ही स्थान को मूल अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के खण्ड (एक), (दो) तथा (तीन) को इस प्रकार तब्दील किया गया कि कोई भी जो इन खण्डों में विनिर्दिष्ट कार्य विधिपूर्ण की अनुज्ञा के बिना करता हो (जिसे साबित करने का भार भी उसी पर होगा) वह सदोष जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। शब्द "राज्य के हित में" के स्थान पर शब्द "लोक हित में" प्रतिस्थापित किए गए। संशोधन द्वारा इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों को संज्ञेय तथा गैर–जमानती बना दिया गया।

1911 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने अपने 1889 के एक्ट को ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1911 में प्रतिस्थापित कर दिया जो अपने तई भारत में भी लागू होता था। 1920 में ब्रिटेन ने ऑफशीयल सीक्रेट्स एक्ट, 1920 अधिनियमित किया जिसके द्वारा ऑफशीयल

सीक्रेट्स एक्ट, 1911 में अनेक संशोधन किए गए थे। 1920 के मूल ब्रिटिश अधिनियम को भारत पर विस्तार नहीं किया गया था। इस प्रकार 1920 में भारत में गोपनीयता के संबंध में जो तीन विधान लागू थे वे हैं— ऑफशीयल सीक्रेट्स एक्ट,, 1889, ऑफशीयल सीक्रेट्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1904, और ऑफशीयल सीक्रेट्स एक्ट,, 1911।

मार्च, 1922 में एक विधेयक (जो बाद में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 बना) भारत की लेजिस्टलेटिव एसेम्बली में पुरःस्थापित किया गया। इसे बाद में प्रवर समिति को सौंप दिया गया जिससे कि इसे ब्रिटिश इण्डिया के लिए शासकीय गुप्त बात से सम्बद्ध विधि बनाने हेतु ग्रेट ब्रिटेन में प्रवृत विधान के अनुरूप बनाया जा सके। प्रवर समिति द्वारा वापस किए जाने के बाद लेजिस्टलेटिव एसेम्बली में 21 मार्च, 1923 को इसे पारित करने में मुश्किल से दो मिनट भी नहीं लगे।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम में "शासकीय गुप्त" या "गुप्त दस्तावेज" की परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम में इस मामले को पूरी तरह केन्द्रीय कार्यपालिका के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया। यह सच है कि मैनुअल ऑफ डिपार्टमेन्टल सिक्योरिटी इन्सट्रक्शन में शासकीय जानकारी के वर्गीकरण के लिए कुछ "मार्गदर्शक सिद्धांत" दिए गए हैं और वह स्तर भी दिए गए हैं जिनके द्वारा किसी शासकीय विभाग में ऐसा 'वर्गीकरण" किया जायेगा, फिर भी यह तथाकथित 'मार्गदर्शक सिद्धांत" इतने विस्तृत और अस्पष्ट हैं कि इनसे शक्ति के मनमाने प्रयोग पर कोई रोक लगाना संभव नहीं है।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में दो प्रकार के कार्यों या घटनाओं को दण्ड व्यवस्था सहित प्रतिषिद्ध किया गया है। (एक) गुप्तचरी और (दो) अन्य गुप्त शासकीय जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना। इनमें से गुप्तचरी के संबंध में अधिनियम की धारा 3 और 4 में उपबन्ध किए गए हैं और पश्चातवर्ती वर्ग (दो) के संबंध में धारा 5 में उपबन्ध है।

धारा 3 (1) निम्नलिखित है :

"3 (1) यदि कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन से–

- किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप जाएगा, उसका निरीक्षण करेगा, उस पर से गुजरेगा या उसके निकट होगा या उसमें प्रवेश करेगा; या,
- कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान या टिप्पण बनाएगा या करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है या होने के लिए आशयित है; या
- कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतावली या संकेत शब्द, या कोई ऐसा रेखा चित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज या टिप्पण या अन्य दस्तोवज या जानकारी अभिप्राप्त, संग्रहित, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के

लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है, या होने के लिए आशयित है या जो ऐसे मामले से सम्बन्धित है जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के प्रभावित होने की संभावना है ; तो वह कारावास के दण्डनीय होगा''

साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 में सन्निहित सामान्य सिद्धांत कि आपराधिक कार्यवाहियों में यह दर्शाने वाला ऐसा साक्ष्य कि अभियुक्त व्यक्ति का चरित्र बुरा है, अग्राह्य है, से अलग हट कर शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में यह उपबन्ध है कि अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन अपराध का दोषी साबित करने के लिए ''अभियुक्त व्यक्ति के आचरण या ज्ञात चरित्र को जैसा कि वह साबित हो'' इस तथ्य का उपधारणात्मक (प्रिसम्पटिव) सबूत माना जा सकेगा कि प्रश्नाधीन कार्य करने में ''उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था''

शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3 (1—क) तथा अन्य उपबन्धों के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध स्थान की परिभाषा धारा 2 (8) में जिन शब्दों में दी गई है वे काफी व्यापक हैं।

धारा 4 के अनुसार विदेशी अभिकर्ताओं या जिस पर विदेशी अभिकर्ता होने का संदेह हो, उस से सम्पर्क करना धारा 3 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य होगा। धारा 4 (2) (क) में यह

उपबन्ध है किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा (प्रिसम्पशन) की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है, यदि।

- वह या तो भारत के भीतर या बाहर किसी विदेशी अभिकर्ता के ठिकाने पर गया है या विदेशी अभिकता से साहचर्य (संस्पेट) या संयुक्ति (असोसिएट) करता है; या
- या तो भारत के भीतर या बाहर किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता या उसके बारे में कोई जानकारी उसके कब्जे से पाई गई है या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की गई हे।

धारा 4 (2) के खण्ड (ख) और (ग) में क्रमशः अभिव्यक्ति "विदेशी अभिकर्ता" और "पता" को काफी व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है।

धारा 5 :

जानकारी की स्वतंत्रता के संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण होगा कि हम धारा 5 के उपबन्धों की व्याप्ति और उसकी प्रकृति का परीक्षण कर लें। यह निम्नलिखित है :—

"5 (1) यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे से कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतिकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो कि प्रतिषिद्ध

स्थान से सम्बद्ध है या उसमें प्रयुक्त की जाती है या ऐसे स्थान की किसी चीज से सम्बद्ध है अथवा जिससे शत्रु की प्रत्यक्षः या परोक्षतः सहायता होनी सम्भाव्य है या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के प्रभावित होने की सम्भाव्यता है या जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है अथवा जो उसे सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासपूर्वक सौंपी गई है अथवा जिसकी उसे अभिप्राप्ति या जिस तक उसकी पहुंच उसकी स्थिति के कारण हुई है जो ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार की ओर से की गई संविदा को धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो ऐसे किसी व्यक्ति के अधीन नियोजित है या रह चुका है जो ऐसा पद या संविदा धारण करता है या कर चुका है–

- उस संकेतिकी या संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी की संसूचना उस व्यक्ति से जिसे संसूचना करने को प्राधिकृत है या किसी न्यायालय से या उस व्यक्ति से जिसको राज्य के हितों में उसे संसूचित करना उसका कर्तव्य है, भिन्न किसी व्यक्ति को जान बूझकर संसूचित करेगा; या

- अपने कब्जे में की जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए या ऐसी किसी अन्य रीति में करेगा जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो; या
- उस रेखा चित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अपने कब्‍जे या नियंत्रण में रखेगा जब कि उसे उसको रखने का अधिकार नहीं है या जब कि उसे रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है या विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा उसकी वापसी या निपटान के संबंध में किए गए सब निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल रहेगा; या
- उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, गुप्तशासकीय संकेतिकी या संकेत शब्द या जानकारी की युक्तियुक्त सम्भाल करने में असफल होगा या ऐसे आचरण करेगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो जाए;

तो वह इस के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेतिकी या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज टिप्पणी, दस्तावेज या जानकारी को जान–बूझकर प्राप्त करेगा जबकि उस समय जब वह प्राप्त करता है वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह संकेतिकी, संकेत, शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी इस अधिनियम के

उल्लंघन में संसूचित की गई है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसा रेखाचित्र रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो युद्ध सामग्री से सम्बद्ध है, उसे प्रत्यक्षः या परोक्षतः किसी विदेशी शक्ति को या किसी ऐसी अन्य रीति में जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, संसूचित करेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(4) इस धारा के अधीन अपराध को दोषी व्यक्ति कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। यह स्पष्ट होता है कि धारा 5 एक बहुप्रयोज्य व सर्वग्राही उपबन्ध है।

प्रशासनिक सुधार आयोग का देशमुख अध्ययन दल :

प्रशासनिक सुधार आयोग के देशमुख अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट (1968) में सरकार की गुप्त बातों संबंधी प्रावधानों पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता बताई है। इसमें शासकीय गुप्तबात अधिनियम, 1923 की अवांछित तथा अयुक्तिसंगत बातों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, जिनके कारण जानकारी के अबाध प्रवाह में अनावश्यक प्रतिरोध उत्पन्न किये गए हैं।

अध्ययन दल ने बताया कि इसके अधीन न केवल वर्गीकृत जानकारी का, वरन् शासन के अधीन पद धारण करने के कारण अभिप्राप्त सभी तरह की जानकारी को प्राधिकार के बिना संसूचित किया जाना अपराध माना गया है।

अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि इस दिशा में और अधिक उदार तरीके निकाले जाने चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वहीं जहां आवश्यक है, "गुप्त" वर्गीकरण का उपयोग किया जाए।

द्वितीय प्रेस आयोग (1982) ने धारा 5 के उपबन्धों का यूं विश्लेषण किया—

"इस धारा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसका मुख्य दोष इसका वह सर्वग्राही स्वरूप है जिसकी चपेट में सभी प्रकार की गुप्त शासकीय जानकारी आ जाती है चाहे उसके प्रकटन का प्रभाव कुछ भी होता हो। इसके अंतर्गत कोई भी शासकीय संकेतिकी, संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी आती है बशर्ते वह गुप्त हो। मजे की बात तो यह है कि इस धारा में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि 'गुप्त' क्या है और "शासकीय गुप्त बात" क्या है ? अधिनियम में इसकी परिभाषा के अभाव में यह बात सरकार के विनिश्चिय पर निर्भर है कि वह किस बात को "गुप्त" माने और किस बात को नहीं। धारा में कार्यपालिका को एक बिना शर्त अनुज्ञा प्रदान

कर दी है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति कोजो शासकीय जानकारी को जान बूझकर प्रकट कर देता है या उसे स्वेच्छा से प्राप्त करता है जबकि उसे प्राप्त करने के समय वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह जानकारी उसे इस अधिनियम के उल्लंघन में संसूचित की गई है। केवल एक बात ऐसी है शायद जिससे कुछ सान्त्वना मिलती है। वह यह है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए आपराधिक मनः स्थिति एक आवश्यक तत्व है।''

आयोग ने इस बात की भी सिफारिश की है कि ''अधिक उपयुक्त होगा कि इस धारा को निरस्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर ऐसे उपबन्ध किये जाएं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राज्य के महत्वपूर्ण हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई हो, साथ ही राज्य के ऐसे क्रियाकलापों को जिनका प्रभाव जनता पर पड़ता है, को जानने के अधिकार का भी समुचित ध्यान रखा गया हो'' आयोग लिखता है : ''हमारी राय में यह अत्यावश्यक है कि धारा 5 के प्रवर्तन को निर्बन्धित किया जाए और उसके लिए उस जानकारी के प्रकार या प्रवर्गो को विहित किया जाना चाहिए जिसका प्रकटन होना बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपाया आवश्यक है। यह प्रकार या प्रवर्ग निश्चय ही विस्तृत होंगे, किन्तु प्राथमिक रूप से यह कार्य कार्यपालिका का होगा कि वह तय करे कि कोई दस्तावेज किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के अंतर्गत आता है या नहीं।''

प्रेस आयोग का यह भी सुझाव था कि ''नागरिकों हेतु जानकारी तक पहुंच का उपाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 5 को प्रतिस्थापित करने वाला विधान ब्रिटिश फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन बिल, 1978 के भाग दो के नमूने पर आधारित किया जा सकता है।

प्रेस आयोग की इन सिफारिशों को केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों का समर्थन नहीं मिल सका। प्रेस परिषद् (1981–82) की सिफारिशें :

वर्ष 1981 में भारतीय विधि संस्थान और भारतीय प्रेस परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में ''ऑफीशियल सीक्रेसी एण्ड द प्रेस'' विषय पर एक अध्ययन करवाया गया था। इस अध्ययन से जो बातें उभर कर सामने आयीं उन्हें प्रेस परिषद् ने पत्रकारों की सभी संस्थाओं के बीच व्यापक रूप से प्रचारित–प्रसारित करवाया। इसके प्रत्युत्तर में जो प्रतिक्रियाएं और विचार प्राप्त हुए उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् प्रेस परिषद् ने सिफारिश की थी कि विद्यमान धारा को प्रतिस्थापित करके नये उपबन्ध लाए जाएं (परिशिष्ट देखिए)। परिषद द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(1) धारा 5 के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''शासकीय गुप्त बात'' की परिभाषा दी जाएगी। इस धारा में यथा–परिभाषित ''शासकीय गुप्त बात'' के अनुसार केवल उसी शासकीय गुप्त के सम्बन्ध में किया गया कोई कार्य, कार्यलोप या प्रकटन नवीन धारा 5

के अधीन दाण्डिक अपराध होगा। धारा 5 में निम्नलिखित से सम्बन्धित जानकारियां समाविष्ट की जाएंगी :–

- राष्ट्र की प्रतिरक्षा या सुरक्षा,
- विदेशी सम्बन्ध,
- मुद्रा–नीति, विदेश विनियम–नीति, आर्थिक योजनाएं तथा नीतियां, वाणिज्यिक या वित्तीय जानकारियां, जिनके समय–पूर्व प्रकटन से राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंच सकती है या प्राइवेट हितों को अनुचित वित्तीय लाभ कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
- ऐसी जानकारी जिसका (एक) किसी अपराध के किए जाने में सहायक होना सम्भाव्य है, (दो) विधिक अभिरक्षा में से निकल भागने में सहायक होना सम्भाव्य है अथवा जेल सुरक्षा के प्रतिकूल होना सम्भाव्य है, या (तीन) जो अपराधी को निरूद्ध करने या उसकी खोज करने में बाधक है या जो अपराधियों की गिरफ्तारी और उन्हें अभियोजित करने में बाधक है।
- सरकार को विश्वासपूर्वक दी गई प्राइवेट जानकारी।
- व्यापारिक गुप्त बातें (ट्रेड सीक्रेट्स)

(2) "इस धारा के अधीन कोई बात, यदि वह प्रधानतः और सरवान् रूप से लोकहित में है, तब तक अपराध नहीं होगी जब तक कि "शासकीय गुप्त बात" की संसूचना या उसका उपयोग, किसी

विदेशी शक्ति के फायदे के लिये किया नहीं गया हो या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल न हों।''

(3) ''इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति को एक समिति, जिसमें भारत के महान्यायवादी (एटार्नी जनरल) और भारत की बार कौंसिल के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि होगा, की मंजूरी से ही अभियोजित किया जाएगा अन्यथा नहीं, और वह भी केवल उस दशा में जब उस व्यक्ति के विरूद्ध यह आरोप हो कि उसने शासकीय गुप्त बात की संसूचना या उसका उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए किया है या ऐसी रीति में किया है कि जो राज्य सुरक्षा के प्रतिकूल है।''

प्रेस परिषद् की सिफारिशें भारत सरकार को संसूचित कर दी गई थीं किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हाँ, कर्नाटक सरकार ने जरूर प्रेस द्वारा निरूपित शासकीय गुप्त बात अधिनियम की यथा–संशोधित धारा 5 को सारवान रूप से अपने कर्नाटक फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल, 1988 में समाविष्ट किया है।

प्रेस परिषद् के विचार :

सरकार ने (गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 1 मार्च, 1990 द्वारा) संविधान को संशोधित करने या अनुच्छेद 19 को सवंर्द्धित करने, शासकीय गुप्त बात अधिनियम को संशोधित/पुनरीक्षित करने और जानकारी स्वातंत्र्य विधान को अधिनियमित करने के सम्बन्ध में प्रेस

परिषद की राय/विचार आमंत्रित किए। प्रेस परिषद ने 12–13 जुलाई, 1990 को नई दिल्ली में इन विषयों पर गहराई से विचार किया। इसके पश्चात् परिषद् ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :–

- संविधान संशोधन, जिसमें जानकारी का अधिकारी समाविष्ट किया गया हो, इस प्रक्रम पर तत्काल आवश्यक नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह ठहराया जा चुका है कि अनुच्छेद 19 (1) (क) में यह अधिकार सन्निहित है। फिर भी, जो कुछ अनुच्छेद 19 में सन्निहित है उसे भली भांति व्यक्त करने के लिए ऐसा संशोधन बाद में किसी समय किया जा सकता है।
- न ही यह आवश्यक है कि अनुच्छेद 19 (2) में अनुज्ञेय निर्बन्धनों में और अधिक आधार जोड़ते हुए उसकी व्याप्ति को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाय।
- विद्यमान शासकीय गुप्त बात अधिनियम को पूर्णरूपेण निरस्त किया जाए। केवल धारा 5 को संशोधित करने या उसे कोई दूसरा रूप देने से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा। एक खराब कानून को संशोधित करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस से बेहतर तो यह होगा कि नये सिरे से शुरूआत की जाए। शासकीय गुप्त बात अधिनियम के होने मात्र से यह धारणा बनती है क़ि सरकारी कामकाज में गोपनीयता बरती जा रही है

जबकि यदि हमारे पास जानकारी स्वातंत्र्य अधिनियम होगा तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ेगा कि हमारी सरकार, एक खुली और मुक्त सरकार है। इस प्रकार शासकीय गुप्त बात अधिनियम खुली सरकार के मूल विचार के विरूद्ध है। यह अनुच्छेद 19 (1) में प्रतिष्ठापित वाक् स्वातंत्र्य की संवैधानिक गारण्टी की भावना के भी विरूद्ध है।

प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867

'प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867' (The Press and Registration of Books Act. 1867) भारत में मुद्रण और प्रकाशन के संदर्भ में मौजूदा प्रेस–कानूनों में से सबसे पुराना कानून है। यह समय–समय पर किए गए कुछ संशोधनों के साथ आज भी मूल रूप में प्रचलित है।

कोई भी समाचार पत्र या पुस्तक इसके नियमों का पालन किए बिना मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जा सकती है। समाचार पत्र, संपादक, प्रकाशक, पुस्तक आदि की परिभाषाएँ प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में दी गई है। इस कानून के द्वारा पुस्तकों तथा समाचारपत्रों के पंजीकरण और 'भारत में समाचारपत्रों

के पंजीयक' के पद, दायित्वों और अधिकारों को विवेचित किया गया है।

प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 अपने वर्तमान रूप में पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय परिायत्मक है, जिसमें विभिन्न पद–नामों की परिभाषाएँ दी गई हैं। द्वितीय अध्याय में प्रेस और समाचारपत्रों के संबंध में उपबंध है। तृतीय अध्याय में कानून के उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड का विवेचन है। चौथा अध्याय पुस्तकों के और पाँचवाँ समाचारपत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था से संबद्ध है।

- **समाचार पत्र** – समाचारपत्र से तात्पर्य कोई भी मुद्रित सामयिकी कृति, जिसमें सार्वजनिक खबरें और ऐसी खबरों पर टिप्पणियाँ हों, से है।
- **संपादक** – संपादक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री के चयन को नियंत्रित करता है।
- **मुद्रक और प्रकाशक** – प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र पर उसके मुद्रक का नाम और मुद्रण का स्थान, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का स्थान मुद्रित किया जाए। इसका उद्‌देश्य यह सूचित करना है कि पुस्तक या पत्र में प्रकाशित सामग्री के मुद्रण या प्रकाशन के लिए कौन–कौन

जिम्मेदार हैं। किसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण या प्रकाशन होने पर इन्हीं लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

प्रकाशक वह व्यक्ति है, जो पुस्तक या समाचार पत्र को मुद्रित करवाता है और इसे बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है। मुद्रण में साइक्लोस्टाइलिंग और लिथो पर छपाई भी सम्मिलित है।

प्रेस एवं पुस्तक अधिनियम, 1876 के अनुसार भारत में किसी भी पत्र—पत्रिका या पुस्तक का प्रकाशन करने से पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका पंजीकरण, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर.जी.आई.) के कार्यालय में कराना जरूरी है। पंजीयक ''शीर्षक'' के पंजीकरण के बाद ही प्रकाशन किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय में आवेदन पत्र की जाँच की जाती है और यदि वह नियमानुसार होता है तथा आवेदन में प्रस्तावित कोई शीर्षक उपलब्ध होता है (अर्थात् वह शीर्षक किसी अन्य के नाम से पंजीकृत नहीं होता है) तो आवेदन के ''शीर्षक'' को उसके नाम से पंजीकृत करके वह शीर्षक, आवेदक को आवंटित कर दिया जाता है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा शीर्षक को स्वीकृति देने और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा घोषणा पत्र स्वीकार कर लेने के बाद प्रकाशक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर सकते हैं। यदि किसी प्रकाशक का 'घोषणा पत्र' सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत या निरस्त

कर दिया जाता है तो प्रकाशक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलान्ट बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं।

अधिनियम की शर्तों के अनुसार समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर पत्र के शीर्षक और दिनांक, माह, वर्ष (समयावधि) को इस प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना चाहिए कि पाठक को किसी प्रकार का भ्रम या संशय न हो। शीर्षक के नीचे वर्ष, संख्या, अंक, संख्या, संस्करण, प्रकाशन, स्थान, तिथि और पत्र में कुल पृष्ठों की संख्या भी साफ–साफ मुद्रित होनी चाहिए। समाचार पत्र में संपादकीय भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित होना चाहिए, जिससे पत्र की संपादकीय नीति का पता चल सके। समाचार पत्र के अंतिम पृष्ठ पर मुद्रण रेखा भी होनी चाहिए जिसमें मुद्रक, प्रकाशक, संपादक का नाम तथा मुद्रण व प्रकाशन के स्थान का उल्लेख होना चाहिए।

उद्देश्य :

अधिनियम के प्रारंभ में ही इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रेस और समाचार–पत्रों का नियमन तथा पुस्तकों और समाचार–पत्रों का रजिस्ट्रीकरण व संधारण करना है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस और समाचार–पत्रों का नियमन करना मात्र है न कि नियंत्रित करना एक प्रकरण में इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि इसका उद्देश्य प्रेस और समाचार–पत्र द्वारा किये जाने वाले दोषपूर्ण

आचरण के लिए उससे जुड़े व्यक्तियों की पहचान स्थापित करना और उन्हें उत्तरदायी बनाना भी है।[39]

परिभाषाएं :

अधिनियम के प्रारंभ में ही कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। विषय की दृष्टि से यहां पुस्तक, समाचार–पत्र, मुद्रण एवं सम्पादक की परिभाषा का अध्ययन करना समीचीन लगता है।

पुस्तक से अभिप्राय किसी भी भाषा के ग्रन्थ, ग्रन्थ के भाग, ग्रन्थ के खण्ड, पुस्तिका, मुद्रित संगीत, मानचित्र, चार्ट, रेखांक आदि से है। शब्द पुस्तिका में मानहानिकारक पेम्फलेट को भी सम्मिलित किया गया है।[40]

समाचार–पत्र में ऐसी पत्र–पत्रिकाओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें सार्वजनिक समाचार प्रकाशित होते हो, उन पर टिप्पणियां की जाती हो, जो मुद्रण यन्त्र हो अथवा किसी यांत्रिक प्रक्रिया से निकाली गई हों।[41]

मुद्रण के अंतर्गत साइक्लोस्टाइल तथा लिथोग्राफी की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है।

[39] ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 154.
[40] ए.आई.आर. 1958 राजस्थान, 350.
[41] (1973 इलाहाबाद डब्ल्यू.आर. 661)

जहां तक सम्पादक का प्रश्न है सम्पादक ऐसे व्यक्ति को माना गया है जो समाचार–पत्र में प्रकाशित सामग्री के संवरण पर नियंत्रण रखता है।

पुस्तकों तथा पत्रों में मुद्रित की जाने वाली विशिष्टयां :

इस अधिनियम की धारा 3 में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है कि भारत मुद्रित प्रत्येक पुस्तक या पत्र पर निम्नांकित बातें अंकित की जायेंगी:–

1. मुद्रक का नाम,
2. मुद्रण का स्थान,
3. प्रकाशक का नाम और,
4. प्रकाशन का स्थान

इन सभी बातों का स्पष्ट एवं सुपाठ्य मुद्रित होना आवश्यक है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जन साधारण को उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना है जिन्हें किसी प्रकाशन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। हम यह जानते हैं कि समाचार पत्र और पुस्तकें उनमें अंकित समाचारों और सामग्री के लिए जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब कभी भी वह अपने उत्तरदायित्व से अलग हटे तो सम्बन्धित व्यक्ति को उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होता है। इसीलिए धारा 3 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।[42]

[42] (1973 इलाहाबाद क्रिमिनल रिपोटर्स् 475).

यदि कोई समाचार पत्र अथवा पुस्तक उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करती है तो दोषी व्यक्ति को छः माह तक के कारावास अथवा दो हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

समाचार–पत्र के प्रकाशन संबंधी नियम :

धारा 5 में समाचार–पत्रों के प्रकाशन के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत मुख्य बात यह है कि प्रत्येक समाचार–पत्र के प्रत्येक अंक की प्रत्येक प्रति पर निम्नांकित बातें स्पष्ट और सुपाठ्य मुद्रित की जानी आवश्यक होंगी–

1. मुद्रक का नाम,
2. मुद्रण का स्थान,
3. प्रकाशक का नाम,
4. प्रकाशन का स्थान,
5. स्वामी का नाम,
6. सम्पादक का नाम,
7. प्रकाशन की तिथि
8. विक्रय मूल्य

जब कभी समाचार–पत्रों का स्वामित्व, मुद्रण या प्रकाशन का स्थान अथवा समाचार–पत्र केनाम आदि में परिवर्तन होता है तो उसके लिए नई घोषणा करना आवश्यक माना गया है। इसका अपवाद भी है अर्थात् जब ऐसा परिवर्तन 30 दिन से अधिक का न हो तो नई घोषणा करना आवश्यक नहीं होता है।

उल्लेखनीय है कि यदि किसी समाचार पत्र के स्वामित्व की घोषणा के बारे में भागीदारों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद का निपटारा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा तत्परता से कराया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में पक्षकारों के मध्य लम्बित सिविल वाद के निपटारे तक जांच को रोक दिया जाना न्यायसम्मत नहीं है।[43]

प्रत्येक घोषणा को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। घोषणा की कार्यालय वाली प्रति ऐसी घोषणा का प्रथमदृष्टया साक्ष्त मानी जायेगी जैसा कि धारा 7 में कहा गया है।

यह उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति नई घोषणा करेंगे जो उनके मुद्रक या प्रकाशक रहते हुए की गई थी लेकिन बाद में वे मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गये। ऐसे मुद्रक या प्रकाशक को यह घोषणा करनी होगी कि "मैं...................... घोषणा करता हूँ कि मैं .... नामक समाचार–पत्र का मुद्रक या प्रकाशक या मुद्रक और प्रकाशक नहीं रह गया हूँ। (धारा 8) साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति का सम्पादक के रूप में नाम अशुद्ध रूप से प्रकाशित हो जाता है तो वह भी इस आशय की घोषणा मजिस्ट्रेट के समक्ष कर सकेगा। (धारा 8 ग)

---

[43] द्वारका प्रसाद अग्रवाल बनाम रमेषचन्द्र अग्रवाल । (ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 2696)

घोषणा का निरस्तीकरण :

अधिनियम की धारा 8 ख एक महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को किसी घोषणा को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जब कभी भी मजिस्ट्रेट को प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा या अन्यथा इस आशय की प्रार्थना की जाये अथवा जानकारी हो कि–

- कोई समाचार–पत्र घोषणा के उल्लंघन में प्रकाशित किया जा रहा है, या
- समाचार–पत्र में घोषणा के अनुरूप मुद्रक या प्रकाशक का नाम प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, या
- समाचार–पत्र का ऐसा नाम रखा गया है जो किसी अन्य समाचार–पत्र से एकदम मिलता जुलता हो, या
- घोषणा में किसी सारभूत तथ्य को छिपाया गया हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी घोषणा निरस्त किया जा सकेगा।

जहां कोई प्रकाशक पूरे वर्ष में किसी समाचार–पत्र का एक भी अंक प्रकाशित नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि वह अब प्रकाशक नहीं रह गया है और उसकी घोषणा को निरस्त किया जा सकेगा।[44]

---

[44] 1975 डब्ल्यू.एल.एन.यू.सी. 528.

जब कभी भी किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी घोषणा को निरस्त किया जाये तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस जारी करें और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करें। ऐसा किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है।[45]

यदि किसी घोषणा को नोटिस दिये बिना अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त कर दिया जाता है तो यह समाचार–पत्र के प्रकाशन के मूल अधिकार का उल्लंघन माना जायेगा।[46]

अपील :

जब कभी मजिस्ट्रट द्वारा किसी घोषणा को निरस्त किया जाता है तो ऐसे आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर अपीलीय बोर्ड को अपील कर सकेगा। ऐसे बोर्ड को प्रेस एवं रजिस्ट्रीकरण अपीलीय बोर्ड के नाम से सम्बोधित किया जाता है। ऐसे मामलों में अपीलीय बोर्ड का आदेश अंतिम माना जायेगा।

पुस्तकों का परिदान :

अधिनियम की धारा 9 में मुद्रित पुस्तकों के परिदान के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक पुस्तक की उतनी प्रतियां, जितनी विहित की जायें, राज्य सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र

---

[45] 1978 आर. एल. डब्ल्यू. 17
[46] ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 213

में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रेषित की जानी आवश्यक हैं। ऐसी प्रतियां उसके मुद्रित होने की तिथि से एक माह की तिथि में प्रेषित कर दी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि ऐसी प्रतियां निःशुल्क परिदत्त की जायेंगी।

जहां तक पुस्तक की परिभाषा का प्रश्न है इस धारा के प्रयोजनार्थ मानचित्र आदि को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने एक मामले[47] में यह कहा है कि ताजा विषय पर लिखा गया कोई लेख पुस्तक की परिभाषा में नहीं आता है।

ऐसी पुस्तकें मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपयोग में लायी जाती हैं, जैसा कि धारा 10 में प्रावधान किया गया है।

ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था समाचार–पत्रों के बारे में भी की गई है। समाचार–पत्र की प्रतियां भी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रेषित करनी आवश्यक हैं। राजस्थान में ऐसे समाचार–पत्र की एक–एक प्रति निम्नांकित को भेजा जाना आवश्यक बनाया गया है:–

- निदेशक जन–सम्पर्क, राजस्थान जयपुर

[47] ए.आई.आर. 1940 एस.सी. 613

- अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., आई.बी., राजस्थान, एवं
- जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्र में मुद्रणालय स्थित है।

साथ ही समाचार–पत्र की प्रतियां प्रेस रजिस्ट्रार को भेजा जाना भी आवश्यक बनाया गया है। यह दोनों व्यवस्थाएं अधिनियम की धारा 11 में की गई हैं।

शास्तियां :

अधिनियम की धारा 12, 13, 14, 15 व 16 में शास्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इन धाराओं में जो शास्तियां अधिरोपित की गई हैं निम्नानुसार है :–

1	धारा 3 का उल्लंघन करने पर	छः माह तक की अवधि का कारावास अथवा दो हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों।
2	धारा 4 की उपेक्षा किये जाने पर	छः माह तक की अवधि का करावास अथवा दो हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों।

3	मिथ्या कथन किये जाने पर	छः माह तक की अवधि का कारावास अथवा दो हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों।
4	नियमों के अनुपालन क बिना समाचार–पत्र मुद्रित या प्रकाशित किये जाने पर	छः माह तक की अवधि का कारावास अथवा दो हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों।
5	धारा 8 के अधीन घोषणा करने में असफल रहने पर	दो सौ रूपये तक का जुर्माना।
6	पुस्तकों आदि का परिदान न करने पर	50 रूपये तक का जुर्माना।
7	स्रकार को समाचार–पत्रों की प्रतियां प्रदत्त करने में असफल रहने पर	50 रूपये तक का जुर्माना।
8	प्रेस रजिस्ट्रार को समाचार–पत्रों की प्रतियां प्रेषित करने में असफल रहने पर	50 रूपये तक का जुर्माना।

इन धाराओं में पुस्तकों व समाचार–पत्रों की प्रतियां जब्त किये जाने की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि इन अपराधों में दोषसिद्धि के लिए दुराशय को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।[48]

पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण :

धारा 18 में पुस्तकों के विज्ञापनों का रजिस्ट्रीकरण किये जाने के बारे में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार भारत में मुद्रित पुस्तकों की सूची के नाम से ज्ञात एक पुस्तक ऐसे कार्यालय में और पदाधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, रखी जायेगी। इसके अनुसरण में प्रदत्त पुस्तक का ज्ञापन रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन में निम्नांकित बातों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है :–

- पुस्तक का नाम और विषय सूची,
- पुस्तक की भाषा,
- पुस्तक का लेखक, अनुवादक या सम्पादक का नाम,
- पुस्तक का विषय,
- मुद्रण का स्थान,
- प्रकाशन का स्थान,
- मुद्रक का नाम,
- प्रकाशक का नाम,

---

[48] ए.आई.आर. 1933 रंगून 4 तथा (1962) 1क्रिमिनल लॉ जर्नल 824, मणिपुर

- प्रकाशन की तारीख,
- पुस्तक के पृष्ठों की संख्या,
- आकार,
- वह कौन सा संस्करण है,
- प्रत्येक संस्करण में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या,
- पुस्तक मुद्रित है या साइक्लोस्टाइल है या लिथोग्राफी की गई है,
- पुस्तक का विक्रय मूल्य, एवं
- प्रतिलिप्याधिकार किसे है।

समाचार–पत्रों का रजिस्ट्रीकरण :

पुस्तकों की तरह समाचार–पत्रों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में भी धरा 19 (क) व (ख) में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार समाचार–पत्रों का एक रजिस्ट्रार तथा प्रेस रजिस्ट्रार और उनके नियंत्रण व अधीक्षण में अन्य अधिकायियों की नियुक्ति की व्यवस्था है। प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा समाचार–पत्रों का एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें समाचार–पत्रों से सम्निधत निम्नांकित विशिष्टियों का उल्लेख रहता है :–

- समाचार–पत्र का नाम,
- समाचार–पत्र की भाषा,
- समाचार–पत्र के प्रकाशन की अवधि,

- समाचार–पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक का नाम,
- मुद्रण और प्रकाशन का स्थान,
- प्रति सप्ताह पृष्ठों की औसत संख्या,
- वर्ष के प्रकाशनों के दिनों और औसत संख्या,
- मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या,
- विक्रय की जाने वाली प्रतियों की औसत संख्या,
- विक्रय मूल्य,
- बिना मूल्य के विक्रय की जाने वाली प्रतियों की आसत संख्या,
- समाचार–पत्र के स्वामियों के नाम व पते, आदि।

जब कभी प्रेम रजिस्ट्रार को समाचार–पत्र के रजिस्ट्रीकरण का प्रार्थना पत्र एवं मजिस्ट्रेट द्वारा अभिप्रकाणित घोषणा समाप्त होती है तब रजिस्ट्रार समाचार–पत्र का रजिस्ट्रीकरण कर उसका प्रमाण पत्र जारी करता है।

उल्लेखनीय है कि प्रेस रजिस्ट्रार व अन्य अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थो में लोक सेवक माना गया है। इस प्रकार प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकारण अधिनियम में पुस्तकों व समाचार पत्रोंके रजिस्ट्रीकाध्स के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

संसदीय विशेषाधिकार :

मीडिया द्वारा ही संसदीय कार्यवाही को जनता के समक्ष प्रकट किया जाता है, ताकि जनता अपंने प्रतिनिधियों के विचारों एवं भावनाओं से अवगत हो सके। पहले कई देशों में संसदीय कार्यवाही का प्रसारण रेडियो और टेलीविजन पर प्रतिबंधित था। आज विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन एवं प्रसारण हो रहा है। भारत में भी "प्रसार भारती" के माध्यम से दूरदर्शन एवं आकांशवाणी सत्र के दौरान संसद में चलने वाली कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। विधायिका का मुख्य उद्देश्य जनहित के मुद्दों को उठाना और नियम–अधिनियम बनाना होता है। इसी प्रकार मीडिया का कार्य भी जनहित के मुद्दों को उठाना और जनमत का निर्धारण करना है। विधायिका और मीडिया दोनों सैद्धांतिक रूप से लोकहित की दिशा में कार्य करते हैं, अतः अनेक समय उनमें विचारों एवं कार्यपद्धति को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन संसदीय कार्यवाही के दौरान मीडिया ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि सांसदों और विधायकों को हमारे यहाँ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इन विशेषाधिकार के कारण मीडिया को रिपोर्टिंग करते समय सतर्कता एवं संसदीय कार्यवाही नियमों की परिपालना करनी पड़ती है।

विशेषाधिकार : भारतीय संविधान के अनुच्छेछ 105 में संसद संबंधी और अनुच्छेद 194 में राज्यों की विधानमंडलों के लिए विशेषाधिकारों

के संबंध में आवश्क प्रावधान किया गया है। दोनों अनुच्छेद यद्यपि समान हैं, जिसमें दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है :–

- सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। इसका विनियमन संसदीय, प्रक्रिया संबंधी नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन ही किया जा सकता है।
- सांसदों पर संसद में या उसकी किसी समिति में कोई बात कहने या मतदान करने के कारण सांसदों पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र मतों या दस्तावेज, कार्यवाही के प्रकाशन के सिलसिले में किसी व्यक्ति के विरूद्ध अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अन्य विशेषाधिकारियों का विस्तृत निर्धाण या उल्लेख नहीं किया गया है और न ही संविधान में ऐसा करना संभव होता है। संसद या विधानमंडलों ने अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का कोई कानून अभी तक नहीं बनाया है। अतः आज भी स्थिति यह है कि भारतीय संसद और प्रदेशों की विधान मंडलों के विशेषाधिकार वहीं है जिनका दावा ब्रिटेन का "हाउस ऑस कामन्स" 26 जनवरी, 1950 में पहले करता था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है इसलिए 26 जनवरी, 1950 को वहाँ विशेषाधिकारों की क्या स्थिति थी इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदयातुल्ला

जो बाद में राज्यसभा के अध्यक्ष रहे ने, संसदीय विशेषाधिकरों के ब्रिटिश इतिहास और न्याय निर्णयों का विस्तृत विवेचन करके निम्न निष्कर्ष निकाला –

- संसद को अपने विशेषाधिकारों, उनके विस्तार और सदन के भीतर उनका कब उपयोग किया जाए, इसका निर्णय करने का पूरा अधिकार है।
- संसद को अपने अवमान के लिए दोषी व्यक्तियों को सजा देने की शक्ति प्राप्त है। अवमानना क्या है, इसका निर्णय संसद स्वयं कर सकती है।
- संसद को दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं हैं। वह सदन के सत्रावसान से अधिक अवधि के लिए किसी को नजरबंद नहीं रख सकती है।
- "हाउस ऑफ कामन्स" के सदस्यों को सत्र के दौरान किसी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है; लेकिन अन्य प्रकार के मामलों में उन्हें सत्र के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है।
- "हाउस ऑफ कामन्स" 'अदालतों द्वारा भेजे गए सम्मनों को अस्वीकार करता है और सुनवाई के दौरान अपने प्रतिनिधि भेजता है।

विशेषाधिकार और मीडिया : संसद के विशेषाधिकार अपरिभाषित हैं। इस अपरिभाषित का सर्वाधिक प्रभाव मीडिया पर पड़ता है।

मीडिया को संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन के बारे में अपनी सीमाओं का आभास केवल अनुभव और सदन के पिछले उदाहरणों से होता है। मीडिया एवं संसद की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अपनी सीमाएँ स्वयं बाँध लेते हैं। वे प्रायः सीमाओं के भीतर रहते हैं। उन्हें ज्ञात है कि सीमा–रेखा का उल्लंघन करने पर वे कभी भी संसद के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के क्षेत्र में आ जाएँगे। अतः मीडियाकर्मी बड़ी सावधानी और समझ–बूझ के साथ संसदीय कार्यवाही और अन्य गतिविधियों पर टिप्पणी या समाचारों को प्रकाशित करते हैं। मीडियाकर्मी को संसद की प्रेस–दीर्घाओं में प्रवेश के कार्ड जारी करने में अध्यक्ष की सलाह के लिए प्रेस दीर्घा समिति होती है। प्रेस दीर्घा समिति के परामर्श से और नियमों के अनुसार प्रत्येक सत्र के लिए मीडियाकर्मी को स्थायी/अस्थीय 'प्रेस दीर्घा कार्ड' जारी किए जाते हैं। संसदीय मीडियाकर्मी सामान्यतः अपना रिपोर्टिंग कार्य निर्बाध रूप से करते रहते हैं। लेकिन अध्यक्ष चाहे तो उनका सदन में प्रवेश बिना कारण बताए रोक सकता है। प्रेस दीर्घा कार्ड का दीर्घाओं में दुराचरण, सदन की कार्यवाही को मीडिया में गलत रूप से प्रस्तुत करने, अध्यक्ष पर आरोप लगाने जैसे कारणों से प्रेस दीर्घा कार्ड को रद्द किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा नियमावली के नियम– 168 के अनुसार किसी भी अजनबी या बाहरी व्यक्ति के लोकसभा में प्रवेश को विनियमित कर सकता है। नियम 387 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष जब उचित समझे 'अजनबियों' को सदन के किसी भी भाग से चले जाने का आदेश दे सकता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे

मार्शलों के द्वारा जबरन बाहर भेज सकता है और उसे हिरासत में लिया जा सकता है।

भारतीय प्रेस परिषद और भारतीय विधि संस्थान ने संयुक्त रूप से मीडिया तथा संसदीय विशेषाधिकारों का विस्तृत अध्ययन किया है। इस अध्ययन में ऐसे मामलों का विवेचन किया गया है, जिनमें प्रमुख विशेषाधिकारों के आधार पर संसदीय विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। निम्न स्थितियों में मीडिया और मीडियाकर्मी को संसद के विशेषाधिकारों को भंग करने या उनके अवमान करने का दोषी ठहराकर उन्हें दण्डित किया जा सकता है।[49]

- समाचार पत्र में सदन की कार्यवाहियों अथवा गरिमा/मर्यादा के संबंध में की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ।
- सदन की किसी समिति के संबंध में अभियोग/आक्षेपपरक टिप्पणी।
- सदन के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के आचरण और चारित्रिक गरिमा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी जिसके द्वारा जनता में उनकी छवि धूमिल होती हो।
- सदन में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही प्रस्तावों का प्रकाशन।
- संसद की गोपनीय बैठक की रिपोर्ट छापना।
- सदन की कार्यवाही से निकाले गए अंश का प्रकाशन।
- संसदीय अधिकार के बिना संसदीय रिपोर्ट का प्रकाशन।

[49] Parliamentary Privileges and the Press. P. 62-94

- किसी सदस्य के भाषण को दबाना।
- किसी जाली दस्तावेज को संसदीय कागज—पत्र के रूप में प्रकाशित करना।
- अध्यक्ष या विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन किसी मामले पर टिप्पणी करना।
- अध्यक्ष के लिए अपमानजनक बात लिखना, अध्यक्ष को अपमानजनक पत्र लिखना। अध्यक्ष और हर सदस्य का विशेषाधिकार सारे सदन का विशेषाधिकार समझा जाता है।
- मीडियाकर्मी द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा डालना या सदन के परिसर में अभद्र आचरण करना, अशांति पैदा करना, अध्यक्ष के किसी आदेश का पालन कर करना।
- संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य देने वालों को रोकना या साक्ष्य को प्रभावित करना।
- सदन के किसी सदस्य पर सदस्यता के अयोग्य होने अथवा चरित्रहीनता, बेईमानी, किसी व्यसन, किसी प्रलोभन के प्रभाव में कोई संसदीय कार्य या आचरण करने के आरोप लगाना।

चूँकि संसदीय विशेषाधिकार असीम, अनिश्चित, और व्यापक हैं, अतः यह कहना कठिन है कि किन स्थितियों में मीडिया एवं मीडियाकर्मी को विशेषाधिकार भंग के दोषी ठहराए जा सकते हैं।

संसदीय समिति एवं मीडिया : संसदीय समितियों को भी सदन और उसके सदस्यों की भाँति कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। समितियाँ किसी जाँच आदि के प्रयोजन से किसी भी संगत या संबंधित दस्तावेजों को अपने सम्मुख बुला/मँगवा सकती है। किसी साक्षी के निम्न आचरण से समिति का विशेषाधिकार भंग होता है और यह समिति की अवमानना की श्रेणी में आता है–

- किसी प्रश्न के उत्तर देने से मना करना।
- गलत साक्ष्य देना और सत्यता को छिपाना।
- समिति को गुमराह करना या उसके प्रश्नों के उत्तर में टाल–मटोल करना।
- समिति के समक्ष आपत्तिजनक बयान या जवाब देना, सहयोग न करना और समिति के साथ सद्भाव से पेश न आना।
- जाँच से संबद्ध दस्तावेज, पत्र आदि को क्षतिग्रस्त करना या उसे नष्ट करना।

संसदीय विशेषाधिकार पर प्रेस परिषद् की संस्तुतियाँ :

संसदीय विशेषाधिकार और मीडिया के अंतर्संबंध सदैव चर्चित रहे हैं। इन विशेषाधिकारों के अपरिभाषित होने के कारण मीडियाकर्मीयों को अपनी सीमा में बँधकर कार्य करने पड़ते हैं। भारतीय प्रेस परिषद् ने भी इस संदर्भ में अनेक बार अपनी चिंता प्रकट की है। सन् 1980 में प्रेस परिषद ने संसद और मीडिया के संबंधों का विस्तृत अध्ययन कर निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की है।[50]

- विधायिका को अपने वर्तमान विशेषाधिकरों में वृद्धि करनी चाहिए। वास्वत में इन्हें कम और लचीला बनाना चाहिए।
- मीडिया को न्यायालयों की तरह संसद और विधानमंडलों के भी सभी समाचार देने का अधिकार होना चाहिए।
- संसदीय विशेषाधिकारों के कारण, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वस्थ आलोचना का अधिकार नियंत्रित नहीं होना चाहिए।
- सदन के दण्ड देने के अधिकार जहाँ तक संभव हों कम से कम प्रयोग में लाए जाने चाहिए।
- यदि सदन के समक्ष ध्यानाकर्षण हेतु कोई साधारण–सी शिकायत आती है, तो सदन को उन्हें खारिज कर देना चाहिए।
- सदन की अवमानना के कारण दण्ड देने की शक्ति का प्रयोग, कानूनी कार्यवाही के विरूद्ध, अवरोधक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

[50] भारतीय प्रेस परिषद (1982) की रिपोर्ट, पृष्ठ 924 से 927।

- अवमानना हेतु निर्णय करते समय सदन को आरोपों की सत्यता के संबंध में सत्यनिष्ठ एवं उचित टिप्पणी के तर्क पर ध्यान देना चाहिए।
- जहाँ न्यायालय द्वारा किसी सदस्य की कठिनाई का उपचार हो सकता हो, वहाँ इसके प्रतिरोधस्वरूप अथवा उपचार के परिवर्द्धन में सदन के दंडनीय अधिकार–क्षेत्र को आह्वान की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
- निम्नलिखित आचरण सदन के अवमान के रूप में मान्य नहीं होंगे–

  (1) संबद्ध प्रलेखों को पूर्व प्रकाशित करना कि–

  (क) किसी प्रकार किसी सदस्य ने वास्तव में विभेद मत दिया,

  (ख) किसी प्रस्ताव के प्रसंग जो वास्तव में संसद के पटल पर रखे गए हैं।

  (2) किसी सदस्य द्वारा किसी प्रकार से मत देने अथवा मत देने से परिवर्तन करने के व्यक्त आशय का प्रकाशन

- संसद और विधानमंडल को कार्यवाही से निकाले गए शब्दों के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए; क्योंकि प्रेस–दीर्घा में मीडियाकर्मी को यह संकेत देने हेतु कोई भी संतोषजनक

व्यवस्था नहीं है कि कार्यवाही से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं।

- संसदीय लोकतंत्र में एक नागरिक को विधानमंडल में अपने प्रतिनिधियों के विचार तथा आचारण की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार हैं। अतः अधिष्ठाता द्वारा संसदीय कार्यवाही के पूर्ण रूप से अभिलिखित न करने के आदेश नहीं दिए जाने चाहिए।
- जिस व्यक्ति के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग करने की शिकायत की गई हो उसे विशेषाधिकार समिति की कार्यवही में भाग लेने, वकील करने, गवाही पेश करने तथा यदि आवश्यक हो तो कानूनी सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए।
- परिषद् अपने इस विचार की पुनरूक्ति करती है कि संसद तथा राज्य विधानमण्डलों को विशेषाधिकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के हित में संहिताबद्ध या लिपिबद्ध करना चाहिए। द्वितीय प्रेस परिषद ने भी इस संदर्भ में इसे आवश्यक पाया है।
- प्रेस परिषद् का सुझाव है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति संसद के विशेषाधिकारों की संहिता के निर्माण के लिए संयुक्त समिति की स्थापना करें।
- इस बीच, विभिन्न विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत विशेषाधिकार के मामले को उचित शीर्षकों के अंतर्गत एक अधिकृत सार–संग्रह के रूप में प्रकाशित करना उचित होगा।

विशेषाधिकार भंग का मामला एवं दण्ड : सदन की अवमानना या उसके विशेषाधिकारों के अतिक्रमण का दोषी पाए जाने पर सदन दोषी को निम्न दंड दे सकता है –

- दोषी व्यक्ति की भर्त्सना कर के,
- दोषी व्यक्ति की प्रताड़ना कर के,
- दोषी व्यक्ति को निर्धारित अवधि का कारावास देकर। यह सदन के सत्रावसान तक की अवधि से अधिक नहीं हो सकती।
- मीडियाकर्मी के लिए एक सजा उनकी प्रेस–दीर्घा की सुविधा को समाप्त करना होता है।

भारत में संसद के विशेषाधिकारों को भंग करने या उसके अवमान के अधिकांश मामले मीडिया एवं मीडियाकर्मी के विरूद्ध उठते हैं। ये मामले सदस्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक चरित्र या आचरण पर टिप्पणियों में आक्षेप किए जाने पर उठते हैं। उनसे जनता की दृष्टि से संसद की प्रतिष्ठा एवं गरिमा धूमिल होती है।

संसदीय रिपोर्टिंग में सावधानी :

देश की राजनीति में संसद और विधानसभाओं का स्थान महत्वपूर्ण होने से राष्ट्रीय संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही में जनता की रूचि होना स्वाभाविक है। इसलिए सभी लोग

संसद और विधानमंडलों की बहसों, फैसलों आदि के बारे में नवीनतम विश्वसनीय समाचारों की माँग करते हैं। अतः राजनीतिक संवाददाता की माँग बढ़ जाती है। संसद हो या विधानमंडल, अपने–अपने क्षेत्रों में ये संस्थाएँ समाचारों के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। संसद में और विधानमंडलों में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जब विशेषतया समाचार बनते हैं, जैसे– प्रश्नोत्तर काल में जनहित के मामले पर सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जनहित में मुद्दों पर ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार को जबाव देना पड़ता है। शून्यकाल में भी संवाददाता सतर्क रहते हैं, जबकि बिना अग्रिम नोटिस दिए सदस्य कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष रख सकते हैं। सरकार को जवाब देना पड़ता है। कभी–कभी सरगर्मी और नोक–झोंक भी होती रहती है। मीडिया की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व इस अवसर पर और भी बढ़ जाता है। दूरदर्शन तो संसद की जीवंत कार्यवाही प्रसारित करता है। आकाशवाणी संसद के समाचार देता है और उसकी समीक्षा करता है। समाचार पत्र समाचार देते हैं और उस पर संपादकीय, टिप्पणी लिखते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम शर्मा के शब्दों में–संसद व विधानमंडलों की रिपोर्टिंग के लिए विशेष अनुभव, परिश्रम, सतर्कता और महत्वपूर्ण व्यक्तियों व घटनाओं की पृष्ठभूमि की संपूर्ण जानकारी जरूरी है। संसद में हर समय हंगामे या शोर तो होते नहीं रहते, जिनसे सनसनीदार या महत्वपूर्ण समाचार बन सके। कई बार संसद

आधे से अधिक खाली होती है और कार्यवाही भी नीरस और निष्प्राण होती है तो भी संवाददाताओं को प्रेस–दीर्घा में रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ न कुछ समाचार तो बनाना ही होगा। फिर अचानक भी कोई मुद्दा या विवाद उठ सकता है। किसी भी समय कोई न कोई हंगामा खड़ा हो जाने की संभावना बनी रहती है। किसी सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, किसी ने सदन त्याग दिया, कहीं मार्शल बुलाने की जरूरत पड़े तो फिर चटपटा समाचार बन सकता है। संसद या विधानसभा की कार्यवाही के समाचार में किसी सदस्य का नाम, जिसने भाषण हो या किसी अन्य कारण से उसका उल्लेख जरूरी हो, छपने से नहीं रहना चाहिए, अन्यथा रिपोर्टिंग पर आपत्ति उठाई जा सकती है। कई बार अध्यक्ष महोदय कार्यवाही का कुछ आपत्तिजनक या असंसदीय हिस्सा या कुछ शब्द निकाल देने का आदेश दे देते हैं। संवाददाता को तुरन्त ही इस आदेश का पालन करना होता है। राजनीतिक संवाददाता को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है. कि विधायक और सांसद के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। उन

पर यदि चोट की जाए तो वह विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। उस पर विधानसभा या संसद कार्यवाही कर सकती है।[51]

'विशेषाधिकार' से निपटना जरूरी : 'मातृभूमि' के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार का मत है कि 'विशेषाधिकार' से निपटना जरूरी है। जनप्रतिनिधियों की विशेषाधिकार सुविधा पर करारा व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि जो नियम जनता के लिए जरूरी हैं उन्हें मानना ही उनका प्रिविलेज हो गया है। 'हिन्दू' के संपादकीय के लिए तमिलनाडु विधानसभाध्यक्ष द्वारा सुनाए गए फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना इस बात का भी उदाहरण है कि विधायी बहुमत का दुरूपयोग असहमति, व्यक्ति की और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए भी किया जा रहा है। विधायी विशेषाधिकार आधिकारिकता का प्रतीक बना गया है, जिससे निपटना आज जरूरी हो गया है। सत्ता आज विरोध का स्वर सुनना ही नहीं चाहती है।[52]

---

[51] हिन्दी पत्रकारिता : स्वरूप एवं आयाम, पृष्ठ 155–156

[52] राजस्थान पत्रिका, 10 जनवरी, 2004।

इकाई –3

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम

1940 के दशक में भारत में पत्रकारों की यह माँग जोर पकड़ने लगी कि उनकी सेवा की शर्तों का नियमन हो और न्यूनतम वेतन तय किया जाए। छिटपुट सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आखिरकार 1950 में पत्रकारों के एक शक्तिशाली संगठन 'अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ' (इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स) का जन्म हुआ। नेशनल हैराल्ड के पूर्व संपादक एम. चेलापति राव इसके प्रथम अध्यक्ष बने।

स्वाधीन भारत की सरकार पत्रकारों की संगठित शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकी। उसने 1952 में समाचार पत्र जगत् की दशा के अध्ययन और पत्रकारों की सेवा की शर्तों को निरूपित करने के लिए प्रेस आयोग का गठन कर दिया। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जी. एस. राज्याध्यक्ष। प्रथम प्रेस आयोग की रिपोर्ट दो वर्ष के बाद आयी, जिसमें समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति का आकलन तो था ही, पत्रकारों की सेवा की शर्तों को नियमित करने के सुझाव भी शामिल थे। आयोग ने दूसरे देशों के कानूनों और प्रचलित परम्परा का उल्लेख करते हुए पत्रकारों को विशिष्ट कोटि का कर्मचारी माना। इसमें पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति की उम्र और ग्रैच्युटी के नियम बनाने की सिफारिश की। इसके अलावा पत्रकारों

को भविष्य निधि अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में लाने का भी सुझाव दिया।

प्रेस आयोग की यह सिफारिश पत्रकारों को अच्छी नहीं लगी कि सबसे निचले सोपान के पत्रकार का न्यूनतम वेतन 125 रूपए हो और वेतनमान का निर्धारण मालिकों और पत्रकारों के बीच सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर हो। अन्य निर्णायक (एडजुडिकेटर) द्वारा वेतन निर्धारण की सिफारिश भी उन्हें पसन्द नहीं आई। पत्रकार संगठन के आन्दोलन के परिणामस्वरूप जब श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण अधिनियम बना तो उसमें वेतन के निर्धारण के वास्ते वेज बोर्ड के गठन का प्रावधान कर दिया गया। 1955 में पारित इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के परिपालन में दिक्कतें बनी रहती हैं। अनेक समाचार पत्र स्थापन अधिनियम का अनुसरण नहीं करते। राज्य सरकारें भी अमलदारी अधिनियम के उपबन्धों की अधिक चिन्ता नहीं करतीं।

पत्रकार रचनाशील कलाकार :

प्रथम प्रेस आयोग (1952) ने समाचार पत्रों की काम की परिस्थितियों का विश्लेषण करके उनको विशेष दर्जा दिया है। प्रतिवेदन के पैरा 512 में कहा गया है कि, "पत्रकारिता के लिए सामान्यतः उच्च शिक्षा और किसी न किसी प्रकार के विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समाचार पत्र लोकमत को शिक्षित करने के विशेष महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्हें जनता के अधिकार को संरक्षण देना

है और जनमत को न केवल प्रतिबिम्बित करना है वरन् उसका मार्गदर्शन भी करना है। वे लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं। इसलिए पत्रकारिता में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनमें उच्च कोटि की बौद्धिक और नैतिक खूबियाँ हों। पत्रकार एक प्रकार से रचनाशील कलाकार हैं और जनता, सही हो या गलत, उनसे आशा करती है कि वे सब कुछ जानते हैं और वे किसी भी विषय के बारे में राय देने में सक्षम हैं। इसके अलावा जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है, वे इसी पेशे में पाई जाती हैं, अन्यत्र नहीं। पत्रकारों को भादी दबाव में काम करना होता है; क्योंकि अधिकांश समाचार पत्र सुबह निकलते हैं इसलिए पत्रकारों को रात में देर तक और चौबीसों घंटे काम करना पड़ता हे। इसके अलावा कार्यकाल (सेवा अवधि) की अनिश्चितता इस पेशे का असामान्य तत्व है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरे पेशों में अनिश्चितता नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के पेशे में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, जो बेरोजगारी का कारण बनें। यह आवश्यक नहीं कि वैसी परिस्थितियाँ दूसरे पेशों में भी बेरोजगारी का कारण बनें। हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं, जिनमें समाचारपत्र का स्वामित्व बदलने या संपादकीय नीति में परिवर्तन की दशा में संपादकीय विभाग के कर्मचारियों (पत्रकारों) में उल्लेखनीय बदलाव हो गया। अन्य उद्यमों में स्वामित्व बदलने पर साधारणतः कर्मचारी बदले नहीं जाते। कुछ मामलों में संपादकीय विभाग के लगभग सभी कर्मचारी बदल दिए गए। श्रमजीवी पत्रकारों की दशा सुधारने की योजना बनाते समय उन परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो इसी पेशे में पाई जाती है।"

पत्रकार की स्वतंत्रता :

श्रमजीवी पत्रकारों के पेशे की प्रकृति और तरह–तरह के दबावों को देखते हुए विश्व के अनेक देशों में भी उन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ या अधिकार दिए गए हैं। प्रेस आयोग ने अन्तःकरण संबंधी धारा के संदर्भ में गहराई से विचार किया है। उसने यूनेस्को द्वारा 1951 में प्रकाशित अध्ययनमाला (लेजिस्टलेशन फॉर प्रेस, फिल्म एण्ड रेडियो इन द वर्ल्ड टुडे) का एक अंश पृष्ठ 404 पर उद्धृत किया है। 'पेशेवर पत्रकार को जो दर्जा मिला है उससे होने वाले फायदों में एक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि वे पेशे की तह तक जाता है। इसका संबंध सूचना की स्वाधीनता से है। इसका उद्देश्य है पत्रकार की स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता और उसका नैतिक अधिकार। इसे फ्रांस मं कांशस क्लाज कहते हैं।'

सरकार ने अधिनियम की रचना के समय आयोग के विश्लेषण और सुझावों का पूरा ध्यान रखा। यहाँ तक कि पत्रकारों को अन्तःकरण के आधार पर इस्तीफा देने या इकरारनामों को तोड़ने का अधिकार भी दिया है। यदि कोई पत्रकार तीन वर्ष पूरे कर चुकने पर अंतःकरण के आधार पर त्यागपत्र देता है तो भी वह ग्रैच्युटी पाने का अधिकारी होगा। इस उपबन्ध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वह अस्वीकार कर दी गई।

इसका सार तत्व है कि जब पत्रकार की सत्यनिष्ठा को गम्भीर खतरा हो तो वह सम्बन्धित समाचार पत्रों से किया गया करार तोड़

सकता है और उसे वे सभी लाभ मिलेंगे जो मालिक द्वारा सम्बन्ध विच्छेद किए जाने पर उसे मिलते। अन्तःकरण के आधार पर सम्बन्ध–विच्छेद की नौबत तब आती है जब समाचार पत्र या पत्रिका की नीति या चरित्र हित के लिए खतरा पैदा हो। पत्रकार के इस नैतिक अधिकार की तुलना लेखक या कलाकार के अधिकार से की जा सकती है जिसे सबसे पहले 1935 में फ्रांस में कानूनी तौर पर मान्यता दी गई। इसे पौलेंड में तथा अन्य देशों में भी स्वीकार किया गया है। 31 जनवरी, 1938 को पोलैंड में हुए सामूहिक इकरारनामे में दो परिस्थितियों में पत्रकार को नोटिस दिए बना करार रद्द करने का अधिकार है। ये स्थितियाँ है : (क) जब मालिक अनैतिक कार्य करने के लिए पत्रकार पर दबाव डाले और (ख) जब पत्र–पत्रिका के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर आए जिसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई हो अथवा अन्य प्रकार से यह परिवर्तन प्रकट हो रहा है।''

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम : परिभाषाएँ :

बोर्ड – धारा 9 के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और 13ग के अधीन अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए गठित बोर्ड।

समाचारपत्र – ऐसी कोई छपी हुई नियतकालिक कृति, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका–टिप्पणी हो। केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह अन्य नियतकालिक कतियों को इस वर्ग में शामिल कर सके।

टिप्पणी – अदालतों के फैसले छापने वाली पत्रिका 'आल इंडिया रिपोर्टर' के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 1988 का फैसला है कि अदालती फैसले सार्वजनिक समाचार हैं और यह पत्रिका निर्धारित अन्तराल पर प्रकाशित होती है, इसलिए वह समाचारपत्र की श्रेणी में आती है।

समाचारपत्र कर्मचारी– श्रमजीवी पत्रकार और अन्य व्यक्ति जो किसी समाचारपत्र स्थापन में या उसका काम करने के लिए नियोजित किया हो। (धारा 2ग)

समाचारपत्र स्थापन– एक या अधिक समाचारपत्रों क उत्पादन (प्रोडक्शन) या प्रकाशन के लिए अथवा कोई संवाद समिति या सिंडीकेट चलाने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नियंत्रण के अधीन स्थापित निकाय, जो नियमित हो या न हो। उन समाचारपत्र संस्थापनों को एक स्थापन माना जाएगा, जिनका उल्लेख अनुसूची में किया गया है। समाचारपत्र स्थापन के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केन्द्रों को उनका हिस्सा माना जाएगा। यदि किसी छापेखाने का मुख्य व्यवसाय समाचारपत्र छापना है तो उसे भी समाचारपत्र स्थापन माना जाएगा।

टिप्पणी – अधिनियम में संशोधन करके समाचारपत्र स्थापन की परिभाषा की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि अखबारों के मालिक अलग–अलग कम्पनियों का गठन करके युक्तिसंगत मजदूरी

(वेतन) की दरें देने से न बच सकें। यह संशोधन बछावत वेज बोर्ड की सिफारिशों को कानूनी विवादों से बचाने के लिए किया गया।

गैरपत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी— समाचारपत्र में या उसके संबंध में नियुक्त वह व्यक्ति इस श्रेणी में नही आता जो श्रमजीवी पत्रकार है या मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रशासनिक नियोजित हैसियत में नियोजित है। पर्यवेक्षकीय हैसियत में व्यक्ति भी मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति के काम करता है तो इस श्रेणी में नहीं आता।

टिप्पणी— इस प्रकार समाचारपत्र स्थापना में तीन श्रेणी के व्यक्ति नियोजित हैं— श्रमजीवी पत्रकार, प्रबन्धकीय या प्रशासनिक प्रकृति के काम करने वाले और अन्य कर्मचारी।

श्रमजीवी पत्रकार— इसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है और वह एक अन्य अधिक समाचारपत्रों में या उसके संबंध में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से नियोजित है। यथा, संपादक, लीड राइटर, समाचार संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, प्रकाशन विवेचक, रिपोर्टर, संवाददाता, व्यंग्य—चित्रकार, समाचार फोटोग्राफर और प्रूफ रीडर। किन्तु ऐसा व्यक्ति जो प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है अथवा प्रबन्धकीय या प्रशासनिक कृत्य करता है वह श्रमजीवी पत्रकार नहीं है।

टिप्पणी— केन्द्र सरकार ने वेतन बोर्डों के सुझाव पर या अपने विवके से विभिन्न पद—नाम वाले व्यक्तियों को श्रमजीवी पत्रकार माना

है। जैसे कातिब, कैलिग्राफिस्ट आदि। श्रमजीवी पत्रकार होने की कसौटी है– मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता का हो। यानी आय का मुख्य साधन पत्रकारिता हो।

मजदूरी – इससे वे सभी सुविधाएँ और अदायगियाँ शामिल हैं, जो सेवा की लिखित या अन्तर्निहित शर्ते पूरी होने पर समाचारपत्र के कर्मचारी को नियोजन या नियोजन के दौरान सम्पन्न कार्य के लिए देय होंगी। मजदूरी में ये सभी शामिल हैं– (1) ऐसे भत्ते (जैसे महँगाई भत्ता) जो समय–समय पर कर्मचारी को मिलने चाहिए (2) निवास, बिजली, पानी, चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ और रियायतें, (3) यात्रा–सहायता, लेकिन उसमें बोनस, पेंशन फंड अथवा भविष्य में नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय–समय पर निर्धारित नए भत्ते मजदूरी में शामिल माने जाएँगे।

टिप्पणी– यह परिभाषा 1989 में जोड़ी गई है।

विशेष प्रावधान :

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का लाभ –

धारा 3 श्रमजीवी पत्रकारों को कर्मकार (वर्कमैन) की परिधि में ले जाती है। लेकन इस अधिनियम के नोटिस की अवधि संबंधी उपबन्ध को संशोधित करके व्यवस्था की गई है कि संपादकों को निकालने के लिए छह माह का और अन्य पत्रकारों के लिए तीन माह

का नोटिस अनिवार्य होगा। इस अधिनियम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पत्रकार कर्मकारों की तरह औद्योगिक अधिकरण अथवा अदालत की शरण ले सकता है।

ग्रैच्युटी :

अधिनियम की धारा 5 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विशेष रूप से ग्रैच्युटी की व्यवस्था की गई; क्योंकि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी अधिनियम बहुत बाद में बना इसकी मुख्य बातें हैं–

(क) तीन वर्ष की लगातार सेवा के बाद अगर किसी श्रमजीवी पत्रकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पर सेवामुक्त करने के अलावा किसी भी कारण से निकाला जाता है तो वह ग्रैच्युटी का हकदार होगा।

(ख) 10 वर्ष की सेवा के बाद श्रमजीवी पत्रकार यदि किसी भी कारण स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है तो वह ग्रैच्युटी का हकदार है।

(ग) अगर श्रमजीवी पत्रकार अन्तःकरण के आधार पर त्यागपत्र देता है और तीन वर्ष की सेवा हो चुकी है तो उसे ग्रैच्युटी मिलेगी।

(घ) कार्यरत पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके वारिसों को ग्रैच्युटी मिलेगी। लेकिन श्रमजीवी पत्रकार को अधिक से अधिक साढ़े बारह माह के औसत वेतन से अधिक

ग्रैच्युटी नहीं दी जाएगी। जिस स्थापन में छह से कम श्रमजीवी पत्रकार हों उनके लिए कम ग्रैच्युटी का प्रावधान किया गया है।

काम के घंटे और अवकाश :

धारा 6 में श्रमजीवी पत्रकारों के काम के घंटे तय कर दिए गए हैं। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह लगातार चार सप्ताह की किसी कालावधि में 144 घंटे से अधिक समय तक काम करे। सप्ताह में 24 घंटे का अवकाश भी विहित किया गया है।

धारा 7 में आकस्मिक और अन्य छुट्टियों के अलावा श्रमजीवी पत्रकार को कार्यावधि का ग्यारहवां भाग पूरी मजदूरी पर उपार्जित छुट्टी पाने का हक होगा। इसके अलावा चिकित्सक का प्रमाणपत्र देने पर वह सेवाकाल की एक बटा अठारह के बराबर अवधि के लिए आधे वेतन पर छुट्टी ले सकता है।

मजदूरी दर का निर्धारण :

अधिनियम की धारा 8 का विशेष महत्व है। यह केन्द्र सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित करने का पूरा अधिकार देती है। इस अधिकार का उपयोग अधिनियम के उपबन्धों के निर्धारित विधि से ही किया जा सकता है। समय–समय पर कालानुपाती और मात्रानुपाती काम के लिए मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण (रिवीजन) कर सकती है। कालानुपाती यानी सेवाकाल और मात्रानुपाती यानी काम की मात्रा (टाइम वर्क और पीस वर्क) के लिए। केन्द्र सरकार मजदूरी की दरें वेज बोर्ड द्वारा की गई फिसारिशों पर विचार के बाद आदेश द्वारा लागू करेगी। वह वेज बोर्ड के द्वारा की सिफारिशों को यथावत् मानने के लिए बाध्य नहीं है।

वेजबोर्ड का गठन और अधिकार :

मजदूरी की दरें निर्धारित करने के प्रयोजन से सरकार को आवश्यकता प्रतीत होने पर एक मजदूरी बोर्ड गठित करने का अधिकार धारा 9 में दिया गया है। इसमें समाचारपत्र स्थापनों के नियोजकों तथा श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के अलावा तीन स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। तीन मं से एक किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का मौजूदा या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा।

धारा 10 में बोर्ड की कार्याविधि का उल्लेख है– (1) बोर्ड सभी संबंधित पक्षों से अभ्यावेदन (रिप्रिजेटेशन) आमंत्रित करेगा जिससे कि मजदूरी की दरें नियत या पुनरीक्षित की जा सकें, (2) अभ्यावेदन

लिखित रूप में होंगे, (3) पूर्वोक्त अभ्यावेदनों और अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा, (4) सिफारिशें करते समय बोर्ड निर्वाह व्यय का, सदृश नियोजन के लिए मौजूदा दरों का, देश के विभिन्न प्रदेशों के समाचार पत्र उद्योग से सम्बद्ध परिस्थितियों का और किन्हीं अन्य परिस्थितियों का जो बोर्ड द्वारा सुसंगत प्रतीत हों, ध्यान रखेगा। अभ्यावेदनकर्ताओं से अपेक्षा की गई है कि मजदूरी दर संबंधी सझाव देते समय स्थापनों की अदायगी क्षमता का ध्यान रखेंगे।

इस धारा में यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि बोर्ड अखिल भारतीय स्तर पर मजदरी की दरें निर्धारित कर सकता है। बोर्ड उन सभी अधिकारों का उपयोग कर सकता है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण को मिले होते हैं (धारा 11)।

केन्द्रीय सरकार का आदेश :

धारा 12 के अधीन केन्द्र सरकार को बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन करके अथवा यथावत् स्वीकार करके उनको प्रभावी बनाने का आदेश जारी करने का अधिकार है। अगर परिवर्तन या संशोधन सरकार की निगाह में सिफारिशों के स्वरूप में 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' नहीं करते, तो संशोधित सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश कर सकती है। अगर परिवर्तन महत्वपूर्ण है, तो उनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी पक्षों से अभ्यावेदन आमंत्रित करेगी अथवा सिफारिशों

अथवा उसक किसी एक भाग को पुनर्विचार के लिए बोर्ड के पास भेज सकती है। धारा 12 के अधीन सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक निर्देश शासकय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। यह आदेश प्रकाशन की तिथि से, पिछली तिथि से या भावी तिथि से, जैसा कि आदेश में कहा गया हो, प्रभावी होगा।

धारा 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार आदेश में निर्दिष्ट मजदूरी की दर पाने का हकदार होगा' उससे कम राशि उसे नहीं दी जा सकती। धारा 13क और 13कक मजदूरी की अंतिम दरों के बारे में हैं। केन्द्र सरकार को बोर्ड से परामर्श के पश्चात् अन्तरिम दरें तय करने का अधिकार है। इसी धारा के एक उपबन्ध के अनुसार अगर बोर्ड किसी कारण प्रभावकारी रूप में कार्य करन में समर्थ नहीं रहा है, तो सरकार उसके स्थान पर अधिकरण की नियुक्ति कर सकती है।

अन्य समाचारपत्र कर्मचारी :

धारा 6 में पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए वेज बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस बोर्ड का अध्यक्ष वही होता है जो पत्रकार वेज बोर्ड का। यह बोर्ड भी पत्रकार बोर्ड की तरह काम करता है।

स्थायी आदेश और भविष्य निधि :

स्थायी आदेश –

स्माचारपत्र कर्मचारियों को, जिनमें श्रमजीवी पत्रकार शामिल हैं, 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि में लाने के बाद यह स्वाभाविक था कि औद्योगिक स्थापनों पर लागू होने वाले कुछ हितकारी अधिनियमों को समाचारपत्र स्थापनों पर भी लागू किया जाता. है।

धारा 14 के अनुसर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), अधिनियम, 1946 उन सभी समाचारपत्र स्थापनों पर लागू होगा, जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हों या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन 20 या अधिक समाचारपत्र कर्मचारी नियोजित थे; क्योंकि समाचारपत्र कर्मचारी भी पूर्वोक्त अधिनियम के अर्थ में कर्मकार हैं।

भविष्य निधि : कर्मचारी भविष्य निधि (और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1952 भी हर ऐसे समाचारपत्र स्थापना पर लागू होगा, जिसमें किसी भी दिन 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। समाचारपत्र स्थापनों को भी कारखाने का दर्जा दिया गया है।

प्रकीर्ण उपबन्ध : कार्यान्वयन :

अधिनियम का बनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही, बल्कि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अधिनियमों को उपबन्धों का पालन कराने की व्यवस्था, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि कानून बन जाने पर सभी सम्बंधित पक्ष उसके अनुसार काम करें। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में कई उपबन्ध हैं। अधिनियम के चौथे अध्याय में प्रकीर्ण उपबन्धों की रचना इसी उद्देश्य से की गई है।

अधिनियम सर्वोपरि :

धारा 16 में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को सर्वोपरि घोषित करते हुए कहा गया है कि इसके उपबन्ध हर सूरत में लागू होंगे। कोई दूसरा कानून, अधिानिर्णय (अवार्ड), करार या सेवा संविदा जिसमें कोई बात इस अधिनियम के अनुरूप नहीं है, तो भी अधिनियम के उपबंध ही प्रभावी होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कानून अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद बना है या पहले बना था।

इस उपबन्ध में एक अपवाद भी रखा गया है। समाचारपत्र को इस अधिनियम के अधीन मिलने वाले सभी लाभों के अलावा अगर किसी मामले में अधिनियम की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है तो वह ऐसा करार या सेवा संविदा करने केलिए स्वतंत्र है। विधायिका की स्पष्ट मंशा है कि इस अधिनियम के अधीन मिलने वाले सभी लाभ कर्मचारी को मिलें। यह अतिरिक्त लाभ या सुविधाएँ प्राप्त करें, मगर अधिनियम प्रदत्त अधिकारों से समझौता करके नहीं। इसी धारा के अलग उपबन्ध में कहा गया है कि सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित मजदूरी अदा करने की जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी समाचारपत्र कर्मचारी को पदच्युत या सेवामुक्त नहीं करेगा या उसकी छंटनी नहीं करेगा।

देय राशि की वसूली :

समाचारपत्र कर्मचारी को अगर इस अधिनियम के अधीन स्थापन से जो राशि मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही अथवा देय राशि संबंधी विवाद खड़ा किया जा रहा है तो विवाद के समाधान और वसूली के लिए धारा 17 में समुचित व्यवस्था की गई है। समाचारपत्र कर्मचारी, उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसका वारिस देय राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा। यदि राज्य सरकार अथवा इस काम के लिए निर्दिष्ट अधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह राशि उसे मिलनी चाहिए तो वह एक प्रमाणपत्र कलेक्टर को भेजेगा, जो

उसी रीति से वसूली की कार्यवाही करेगा, जिस रीति से भू–राजस्व की बकाया रकम वसूल की जाती है।

देय राशि के संबंध में विवाद हो तो राज्य सरकार मामला श्रम अदालत को सौंपेगी। श्रम अदालत द्वारा देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

रजिस्टर और अभिलेख का रख–रखाव :

अधिनियम की धारा 17 के अधीन ताकीद की गई है कि समाचारपत्र स्थापन विहित विधि से रजिस्टर, अभिलेख और मस्टर रोल तैयार करेगा और बनाए रखेगा। राज्य सरकार यह जाँचने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी कि स्थापन इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन कर रहा है या नहीं। इस निरीक्षक को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और स्थापन के परिसर में जाकर लेखाओं और व्यक्तियों के नियोजन या मजदूरी की देनदारी से संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए मांग सकता है। धारा 18 के अधीन इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थापनों के अधिकारियों पर जुर्माना किया जा सकता है।

नियमावली (नियम–उपनियम) :

केन्द्र सरकार को धारा 20 के अधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। ये नियम

शासकीय राजपत्रों में अधिसूचित होने के बाद प्रभावी हो जाते हैं। इस उपबन्ध के अनुसार 1957 में श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध नियम बनाए गए, जो 27 मई, 1957 को शासकीय गजट में प्रकाशित हुए। इन नियमों को सेवा की शर्तो से सम्बन्धित उपबन्धों का विस्तार कहा जा सकता है, जिसमें अनेक उपयोगी नियम–उपनियम हैं–

- पत्रकार की मृत्यु हो जाने पर ग्रैच्युटी मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों को तीन माह के भीतर अदा की जाए। मनोनयन के अभाव में राशि परिवार को अदा की जाए। ग्रैच्युटी की राशि में समाचार स्थापन वह राशि काट सकता है, जो पत्रकार को उधार दी गई हो, जो अतिरिक्त राशि दी गई हो, वह भी काटी जा सकती है।
- संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार छाया चित्रकार दिन का काम आरंभ करने से लेकर काम पूरा होने तक ड्यूटी पर रहेगा, लेकिन उसे दो निर्दिष्ट अपेक्षित कामों के बीच दो घंटे या कुछ कम समय का अंतराल है। यह समय ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा। इस संबंध में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच करार हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन किसी भीं सप्ताह में 26 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं लिया जाएगा। अगर अतिरिक्त समय तक काम लिया जाता है, तो उसके एवज में उतना ही समय आराम–विश्राम के लिए दिया जाएगा।

- किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को दिन में यदि छह घंटे और की पाली मे साढ़े पाँच घंटे से अधिक काम करना पड़े तो अतिरिक्त समय के बराबर मुआवजे के तौर पर विश्राम या आराम के लिए समय दिया जाए।
- श्रमजीवी पत्रकार एक कैलेंडर वर्ष में दस दिन का अवकाश पाने का हकदार है। अगर उसे अवकाश के दिन काम पर बुलाया जाए तो उसके एवज में उसे तीस दिन के भतर नियोजक की सहमति से तय किए दिन छुट्टी लेने का अधिकार है। अवकाश के दिनों का वेतन पत्रकार को मिलेगा। साप्ताहिक अवकाश भी सवेतन होगा।
- उपार्जित अवकाश के लिए एक माह पूर्व आवेदन किया जाए। बीमारी, आकस्मिक काम अथवा अप्रत्याशित परिस्थिति में यह बन्धन लागू नहीं होगा। यदि छुट्टी नामंजूर की जाती है, तो सक्षम अधिकारी को लिखित रूप से कारण बताना होगा।
- उपार्जित अवकाश 90 दिनों से अधिक जमा नहीं हो सकता। त्यागपत्र अथवा सेवा–मुक्ति के समय जमा उपार्जित अवकाश दिनों का नकद मुआवजा दिया जाएगा।
- महिला पत्रकार को अगर समाचार स्थापन में एक वर्ष पूरा हो चुका है, तो तीन माह का और प्रसव के बाद छह सप्ताह का मातृत्व–अवकाश मिलेगा। इसके साथ अन्य प्रकार की छुट्टियाँ जोड़ी जा सकती हैं। गर्भपात की स्थिति में अधिक से अधिक छह सप्ताह की छुट्टी मंजूर की जाएगी। संक्रामक रोग की

स्थिति में 21 दिन या अधिक से अधिक 30 दिन की छुट्टी (क्वारंटाइन लीव) मिल सकती है।

- अध्ययन के लिए समाचारपत्र स्थान वेतन रहित या वेतन के साथ, जैसा वह तय करे, साल भर की छुट्टी दे सकता है।
- कर्मचारियों का रजिस्टर, पत्रकारों का सेवा रजिस्टर, छुट्टी रजिस्टर और मस्टर रोल के रख–रखाव का तौर–तरीका भी निर्धारित कर दिया गया है।

श्रमजीवी पत्रकार–स्थायी आदेश :

- इन आदेशों के अनुसार समाचारपत्र स्थापन में किसी भी समय पत्रकारों के पाँच वर्ग हो सकते है–

  शिक्षार्थी (अप्रेंटिस) एक वर्ष की अवधि के लिए, चाहे उसे प्रशिक्षण के दौरान कुछ राशि दी जा रही हो या नहीं। अंशकालिक पत्रकार, स्थायी, प्रोबेशनर–जिसकी प्रोबेशन की अवधि अभी पूरी नहीं हुई मगर काम संतोषजनक पाए जाने पर इसे स्थायी पद पर रखा जाना है। अस्थायी कार्य के लिए नियुक्त पत्रकार जिसे लिखित रूप से जता दिया गया है काम अस्थायी प्रकृति का है, जो सीमित समय में समाप्त हो जाएगा।

- नियुक्ति के समय हर पत्रकार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पदोन्नति की दशा में भी दिए गए पत्र में नए पद आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

- सजा के तौर पर पत्रकार का सेवाकाल समाप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। प्रमाणित अक्षमता या घोर लापरवाही, हुकुम–उदूली, बईमानी आदि कदाचार के लिए सफाई का मौका देने के बाद पत्रकार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जो कदाचार के अनुपात में हो। लेकिन सेवा में निकलाने के पहले संपादक या विभागीय अध्यक्ष से परामर्श आवश्कय है। पत्रकार को आरोपपत्र और सफाई का मौका देना आवश्यक है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनेक रूप हो सकते हैं– चेतावनी, सस्पेंशन (10 दिन से अधिक नहीं), वार्षिक वेतनवृद्धि या पदोन्नति रोकना, पदावनति और बर्खास्तगी।
- श्रमजीवी पत्रकार को अपने काम की बाबत या वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत हो तो वह प्रबन्धक या नियोक्ता से लिखित शिकायत कर सकता है।
- हर श्रमजीवी पत्रकार को नियुक्ति के समय स्थायी आदेश की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी– तत्काल नहीं तो तीन महीनों के भीतर।

कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ :

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को बने पचास वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन उसके अधीन प्राप्त अधिकारों को पाना सभी पत्रकारों के लिए न कभी संभव था और न आज है। फिर भी यह

स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस अधिनियम की बदौलत पत्रकारों के वेतनक्रम और उनकी सेवा की शर्तों में बहुत सुधार हुआ है। भाषाई समाचारपत्रों में प्रतिभाशाली पत्रकार आए हैं और परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हुई हैं। यह सब उन्हीं स्तरीय समाचारपत्रों के बारे में सच है, जो पत्रकारिता की गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। अनेक स्थापन तो विधिवत् नियुक्ति पत्र भी नहीं देते।

निर्धारित वेतनमान : केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार 1710 स्थापनों में से केवल 622 ने बछावत वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनमान पत्रकारों को दिए हैं। अधिकतर समाचारपत्र ऐसा नहीं करते; क्योंकि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण शिक्षित नवयुवक किसी भी शर्त पर काम करने का अवसर नहीं चूकना चाहते। अधिनियम के उपबन्धोंके कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों अथवा उनके श्रम आयुक्तों का है। समाचारपत्र उद्योग संवेदनशील उद्योग है जिसके कारण स्थापनों के खिलाफ कार्यवाही के लिए आवश्यक राजनैतिक संकल्प की कमी नजर आती है। दूसरी ओर पत्रकार भी मुकदमेबाजी से बचना चाहता है।

सेवा संविदा का करार : अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी हर सेवा संविदा अथवा करार गैरकानूनी है जिसमें अधिनियम द्वारा विहित सेवा–मुक्ति, नोटिस की अवधि या किसी अन्य हितकारी प्रावधान या लाभ को घटा दिया गया हो, सिर्फ इसलिए कि वेतन की राशि वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनक्रम से अधिक है। इसके बावजूद

प्रतिष्ठित समाचारपत्र स्थापनों में उच्च और मध्य स्तर के पदों पर पत्रकारों को अल्पकालिक करार पर नियुक्त किया जा रहा है। इनमें कोई भी जिम्मेदारी सौंपने और कभी भी सेवा–मुक्त करने की शर्त होती है, जबकि किसी को केवल विहित तरीके से ही पदच्युत किया जा सकता है। अल्पकालिक अथवा अस्थायी नियुक्ति केवल उसी दशा में की जा सकती है जब पद अस्थायी हो और उसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में किया गया हो। नए महत्वाकांक्षी पत्रकारों को कोई शिकायत नहीं होती; क्योंकि उन्हें तात्कालिक लाभ होता है, लेकिन जिन्हें यह व्यवस्था पसन्द नहीं वे झगड़ालू कहलाना पसन्द करते। फिर मुकदमेबाजी के लिए समय और साधन दोनों चाहिए।

इस तरह की सेवा–संविदाएँ गैरकानूनी तो हैं ही, वे पत्रकार की स्वतंत्रता का भी हनन करती हैं। कभी भी सेवा–मुक्त किए जाने के भय से वे अपने पेशे के मानदंडों के साथ समझौता करने की बाध्यता अनुभव कर सकते हैं। स्थापनों की मंशा भी यही रहती है कि जो उनकी मर्जी के अनुसार न चले पेशेवराना नैतिकता दिखाने का प्रयास करे उसे सेवा–मुक्त कर दिया जाए। प्रथम प्रेस आयोग ने पत्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधिनियम बनाने का सुझाव दिया था। अब उसी पर सीधा हमला हो रहा है।

समाचारपत्र : पत्रकार अधिनियम के खिलाफ :

समाचारपत्र स्थापन सदैव ही श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और उसके उपबन्धों के खिलाफ रहे हैं, खासकर वेज बोर्ड के अधिनियम

को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 1957 में ही दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट में ग्रैच्युटी सम्बन्धी एक उपबन्ध को छोड़कर समूचे अधिनियम को संविधान–सम्मत सिद्ध किया और कहा कि यह श्रमिक हितकारी अधिनियम है। अलबत्ता प्रथम वेतन बोर्ड की सिफारिशें रद्द कर दी गई थी ; क्योंकि उसमें अदायगी क्षमता पर विचार नहीं किया गया था।

समाचारपत्र स्थापनों ने पालेकर वेज बोर्ड का बहिष्कार किया तो केन्द्र सरकार को उसके स्थान पर अध्यादेश निकालकर पालेकर अधिकरण की स्थापना करनी पड़ी। फिर अधिनियम में वेज बोर्ड के काम न कर पाने की स्थिति में अधिकरण नियुक्त करने की व्यवस्था की गई (धारा 1 घ)। बछावत वेज बोर्ड ने सभी साझा या प्रबन्ध या नियंत्रण वाले स्थापनों को एक स्थापन मानकर अपनी सिफारिशों का अंतिम रूप दिया। समाचारपत्र स्थापन इसके खिलाफ अदालत में याचिकाएँ दायर करके सिफारिशों के लागू होने में बाधा न खड़ी कर सकें, इसलिए अधिनियम में संशोधन करके एक अनुसूची जोड़ दी। इसमें स्थापन की नई परिभाषा दी गई है। न्यायमूर्ति बछावत ने साझा नियंत्रण वाले स्थापनों को एक स्थापन मानकर कोई विलक्षण कार्य नहीं किया था। न्यायमूर्ति पालेकर यह सिद्धांत पहले ही स्थापित कर चुके थे कि उनके एक स्थापन माना जाना चाहिए। कानूनी अलगाव (अलग कम्पनियों का अस्तित्व) पर से पर्दा उठाकर वास्तविकता को स्वीकार करना पूर्णतः विधि–सम्मत है। फिर भी बछावत ने सिद्धांत

को अमली जामा पहनाकर अपना न्यायिक दायित्व निभाया, जिसके लिए वह याद किए जाते रहेंगे।

कुछ सुझाव :

- अधिनियम के उपबन्धों की उपेक्षा करने वालों के लिए धारा 18 में 38 वर्ष पूर्व केवल 200 रूपये जुर्माने की व्यवस्था की गई थी। अब यह राशि बढ़ाकर पाँच या दस हजार की जानी चाहिए और साथ में जेल की सजा का भी प्रावधान किया जा सकता है।
- पत्रकारों की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए स्थापन के भीतर संपादकीय बोर्ड बनाए जाने की कानूनी व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि रोजमर्रा के काम में प्रबन्धक दखक न दे सकें और मनमाने ढंग से छंटनी या सेवा–मुक्ति न कर सकें। व्यापक विचार–विमर्श के बाद इस सुझाव को निखारा और लागू किया जा सकता है।

वेज बोर्ड :

(दिवटिया, शिंदे, पालेकर, बछावत एवं मणिसाना)

1940 और 1950 के बीच श्रमजीवी पत्रकारों की यह मांग जोर पकड़ने लगी कि उनके लिए न्यूनतम वेतन और काम की शर्तों के

बारे में अराजकता समाप्त करने की व्यवस्था की जाए। अधिकतर समाचार पत्रों में नियुक्ति पत्र नहीं दिये जाते थे और न काम के घंटे तय थे। ग्रैच्युटी और भविष्य निधि तो दूर की कौड़ी थी। प्रबंधक जब चाहे उसे नौकरी से निकाल सकता था।

1950 श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विशेष महत्व का रहा। 23 श्रमजीवी पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक अखिल भारतीय संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आई.एफ. डब्ल्यू.जे.) बनाया जिसके प्रथम अध्यक्ष थे 'नेशनल हेराल्ड' के तत्कालीन संपादक चेलापति राव फेडरेशन के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने समाचापत्र उद्योग और पत्रकारों की दिशा तथा अन्य संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए प्रेस आयोग का गठन करना स्वीकार कर लिया। 1952 में प्रथम प्रेस आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जी.एस. राज्याध्यक्ष। आयोग ने व्यापक और गहन अध्ययन के बाद अपना प्रतिवेदन 1954 में केन्द्र सरकार को सौंपा। उसने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, पदोन्नति, छुट्टियां, भविष्य निधि, ग्रैच्युटी की व्यवस्था को आवश्यक ठहराया और सिफारिश की कि उनको औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के दायरे में लाया जाए। आयोग ने सुझाव दिया कि वेतनमान निर्धारित करने के लिए काफी जांच–पड़ताल करनी होगी, इसलिए या तो पत्रकार और मालिक सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर वेतनमान तय कर लें। या मामला न्याय–निर्णय द्वारा तय किया जाए। पत्रकारों को यह मंजूर नहीं हुआ। उनका आग्रह था कि जो श्रमजीवी पत्रकार

अधिनियम बनने जा रहा है उसी में वेतनमान निर्धारण की व्यवस्था कर दी जाए। 1955 में संसद द्वारा पारित श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम में पारिश्रमिक की दरें और वेतनमान निर्धारण के लिए वेज बोर्ड गठित किए जाने की व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा सेवा की शर्तों का भी उसमें उल्लेख है। कानून में सरकार को सेवा की शर्तों और वेज बोर्ड के बारे में नियमावली बनाने का अधिकार भी मिल गया।

वेज बोर्ड का प्रावधान :

अधिनियम के उपबंध – श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में 8 से लेकर 13 तक सभी धाराएँ वेज बोर्ड के गठन, उसकी कार्य–विधि, उसके अधिकार और बोर्ड की सलाह पर मजदूरी की दरों को लागू करने और अंतरिम मजदूरी दरें निर्धारित किए जाने के बारे में हैं।[53] आरंभ में केवल श्रमजीवी पत्रकारो के लिए वेज बोर्ड गठित करने का प्रावधान था। किन्तु 1974 में गैर–पत्रकार कर्मचारियों के लिए भी बोर्ड बनाने के लिए अधिनियम में विधिवत् व्यवस्था कर दी गई। अधिनियम के शीर्षक में भी 'अन्य समाचारपत्र कर्मचारी' जोड़ दिया गया। इस अनुविहित बोर्ड की सिफारिशें भी केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर उसी तरह प्रभावी होती हैं जैसे कि श्रमजीवी पत्रकार बोर्ड की। जब सरकार समझती है कि समाचारपत्र कर्मचारियों की मजदूरी की

[53] श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी सेवा की षर्तें और अधिनियम, 1955

दरों पर पुनर्विचार होना चाहिए तो वह वेज बोर्ड गठित करती है। जो व्यक्ति पत्रकार वेज बोर्ड का अध्यक्ष होता है वही दूसरे का भी होता है। वेज बोर्ड की अध्यक्षता के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या अवकाशप्राप्त न्यायमूर्ति का चयन किया जाता है। दो अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों के अलावा समाचारपत्र स्थापनां के दो–दो और पत्रकारों अथवा कर्मचारियों के दो–दो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं (श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, धारा 9)। वेज बोर्ड अधिसूचना प्रकाशित करके संबंद्ध पक्षों से लिखित अभ्यवेदन आमंत्रित करता है। स्पष्टीकरण के लिए मौखिक सुनवाई भी आयोजित करता है। फिर वह अपने समक्ष रखी गयी सामग्री का विश्लेषण करने के बाद बहुमत से मजदूरी की दरें तय करके केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपता है। साथ में वह समाचारपत्र उद्योग की आर्थिक स्थिति का भी सम्यक् विश्लेषण करता है। उसे यह निर्दिष्ट करने का भी अधिकार है कि नयी दरें किस तारीख से लागू होंगी। वह प्रतिवेदन देने की तारीख से पहले या बाद की तिथि से नयी दरें लागू करने की सिफारिश कर सकता है। धारा 10 में बताया गया है कि बोर्ड सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय निर्वाह व्यय, सदृश्य नियोजन के लिए विद्यमान मजदूरी की दरों, देश के विभिन्न प्रदेशों में समाचारपत्र उद्योग के संबद्ध परिस्थितियों का और अन्य सुसंगत परिस्थितियों का ध्यान रखेगा। अन्य परिस्थितियों में समाचारपत्र स्थापनों की मजदूरी देने की क्षमता (कैपेसिटी टू पे) पर विचार करना आवश्यक है। धारा 11 के अनुसार बोर्ड उन सभी औद्योगिक

अधिकारण (इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल) के होते है। उसे अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है।

केन्द्र सरकार का दायित्व : धारा 12 के अनुसार केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह वेज बोर्ड की सिफारिशों को यथासंभव जल्द से जल्द स्वीकार करके उनको लागू करने के बारे में आदेश जारी करें। यह आदेश विधिवत शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह बोर्ड की सिफारिशों को उसी रूप में मंजूर करे या उनमें संशोधन करे। अगर सरकार सिफारिशों में ऐसे संशोधन करना चाहती है, जो उनके स्वरूप में 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' नहीं करते तो वह किसी से पूछे बिना ऐसा कर सकती है। यदि वह समझती है कि संशोधन 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' है तो उसके बारे में उसे उन सब व्यक्तियों को, जिनपर उसका प्रभाव पड़ना संभव हो, सूचना दिलवाएगी और उन अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो लिखित रूप में आएँ। वह चाहे तो सिफारिशों या उसके किसी भाग को बेजवोर्ड को पुनर्विचार के लिए सौंप सकती है। सभी समाचारपत्र स्थापनों पर केन्द्र सरकार का मजदूरी दरों से संबंधित आदेश लागू होगा और हर श्रमजीवी पत्रकार या कर्मचारी निर्दिष्ट दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा (धारा 13)। धारा 13 के एक उपबंध में मजदूरी की अंतरिम दरें तय करनेका अंतिम अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है। अंतरिम दरों के बारे में बोर्ड की सिफारिश केवल परामर्श का दर्जा रखती है। बछावत वेज बोर्ड ने 1986 में सिफारिश की थी कि मजदूरी की अंतरिम दर 7.5 फीसदी हो। लेकिन केन्द्र सरकार ने

अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और उसे 15 प्रतिशत कर दिया। 1995 में भी उसने मणिसाना वेज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 15 प्रतिशत अंतरिम दर की को बढ़ाकर 20 प्रतिशत तो किया ही, ऊपर से 100 रूपए और देने का आदेश निकाला। अंतरिम दर मूल वेतन पर आधारित होती है। अध्याय 2 में धारा 13 के कई उपखण्ड है जो गैर–पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेज बोर्ड के गठन के बारे में हैं। श्रमजीवी पत्रकार वेज बोर्ड और गैर–पत्रकार वेजन के अधिकार और कार्यक्षेत्र एक समान है। अधिनियम की धारा 20 के तहत केन्द्र सरकार ने वेज बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ नियम बनाए हैं। ये 'श्रमजीवी पत्रकार वेज बेर्ड अधिनियम, 1956' के नाम से जाने जाते हैं। ये नियम 31 जुलाई, 1956 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। नियम 8 के अनुसार वेज बोर्ड में सभी मुद्दों पर बहुमत से फैसला किया जाना चाहिए। अगर किसी मुद्दे पर बराबर वोट पड़े तो अध्यक्ष का वोट निर्णायक माना जाएगा।

अधिकार का प्रावधान : अधिनियम में 1979 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया कि यदि किसी भी कारण वेज बोर्ड ठीक से काम नहीं कर पा रहा हो तो सरकार बोर्ड की जगह अधिकरण गठित कर सकती है। यह अधिकरण वेज बोर्ड के काम को आगे बढ़ाएगा और उसकी सिफारिशों का वही दर्जा होगा जो वेज बोर्ड की सिफारिशों का होता है। वेज बोर्ड और अधिकरण में मुख्य अंतर यह है कि अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा कोई और सदस्य नहीं होता। जब मालिकों के प्रतिनिधि पालेकर वेज बोर्ड से त्यागपत्र देकर अलग हो

गए तो वेज बोर्ड का काम ठप्प हो गया। कुछ दिन बाद भारत सरकार ने अध्यादेश जारी करके अधिनियम में संशोधन किया और न्यायमूर्ति पालेकर की ही अध्यक्षता में अधिकारण गठित कर दिया।

वेज और वेज कमेटी–

दिवटिया वेज बोर्ड :

केन्द्र सरकार ने अधिनियम के अधीन 2 मई, 1956 को अधिसूचना जारी करके प्रथम वेज बोर्ड का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एच.वी. देवटिया, जो बंबई हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रह चुके थे। वह कपड़ा श्रमिक जाँच समिति के अध्यक्ष और उसके बहुत पहले 1938 में देश की प्रथम औद्योगिक अदालत के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वेज बोर्ड की सिफारिशें 11 मई, 1957 को सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गई।

बोर्ड ने मजदूरी दर निर्धारण के लिए समाचारपत्र स्थापनों को उसकी सभी इकाईयों की सम्मिलित आमदनी के आधार पर पाँच वर्गों में बाँटा था। साप्ताहिक और अन्य पत्रिकाएँ प्रकाशित करने वाले उन स्थापनों को जो दैनिक पत्र नहीं प्रकाशित करते, अलग से वर्गीकृत किया गया था। पत्रकारों में भी चार वर्ग बनाए गए थे।

पत्रकारों का वर्गीकरण–

श्रेणी–1 संपादक।

श्रेणी–2 सहायक संपादक, अग्रलेख लेखक, समाचार संपादक, व्यावसायिक संपादक, फीचर संपादक, विशेष संवाददाता, मुख्य संवाददाता, मुख्य उप–संपादक और कार्टूनिस्ट।

श्रेणी–3 उप–संपादक आर संवाददाता तथा वे सभी पूर्णकालिक संवाददाता जो श्रेणी दो में शामिल नहीं हैं। समाचार फोटोकार और वे पत्रकार जो किसी श्रेणी में नहीं हैं।

श्रेणी–4 प्रूफ रीडर।

समाचार पत्रों के वर्ग–

ए– 25 लाख रूपए से अधिक सकल आय

बी– 12.5 लाख से और 25 लाख तक

सी– 5 लाख से अधिक और 12.5 लाख तक

डी– 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख तक

ई– 2.5 लाख अथवा उससे कम

आरम्भिक वेतन–

समाचारपत्र वर्ग	ए	बी	सी	डी	डी
संपादक	1000	500	250	200	150
प्रूफ रीडर	125	100	100	100	90

इस वर्ग के समाचार स्थापनों के लिए कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया था, केवल आरम्भिक वेतन तय किया गया। दो वर्ष पूर्व प्रेस आयोग ने भी न्यूनतम वेतन 125 रूपए सुझाया था। दिवटिया वेज बोर्ड की सिफारिशें बहुमत से तय हुई थी, लेकिन समाचारपत्रों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। हितकारी श्रमिक कानून और श्रमजीवी पत्रकारों को विशेष दर्जा देने की परंपरा के विरोधी समाचार पत्र स्थापनों ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और वेज बोर्ड की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने वेज बोर्ड की सिफररिशों को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि बोर्ड ने समाचारपत्र स्थापनों की मजदूरी अदायगी क्षमता पर विचार नहीं किया था फैसले पर अगले खंड में विचार किया जाएगा।

श्रमजीवी पत्रकार वेज कमेटी :

अदालती फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित करने के लिए विधि तत्कालीन मंत्रालय में सचिव के.वी. भंडारकर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी

बना दी। इसका गठन 14 जून, 1958 को अध्यादेश के द्वारा किया गया था। उसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने मजदूरी की दरें अधिसूचित कर दीं। ए.बी. और सी वर्ग के अखबारों में वे 1 जून, 1958 से लागू हुई और अन्य वर्गों में मई, 1959 से। कमेटी की सिफारिशों से पत्रकारों को बड़ी निराशा हुई; क्योंकि उसने वेज बोर्ड द्वारा सुझाए गए वेतनमान घटा दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट और वेज बोर्ड –

दिवटिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स लि. और कुछ अन्य समाचारपत्र स्थापनों ने सुप्रीम कोर्ट में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और प्रथम वेज बोर्ड के विरूद्ध याचिकाएँ दायर कर दी।[54] सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यों की संविधान पीठ ने 19 मार्च, 1958 को 167 पृष्ठों का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ग्रैच्युटी संबंधी एक प्रावधान को छोड़कर अधिनियम के सभी प्रावधान संविधान–सम्मत ठहराए गए।

दिवटिया वेज बोर्ड की कार्य–विधि और निष्कर्षों से सुप्रीम कोर्ट सहमत था, किन्तु एक घातक त्रुटि के कारण उसकी सिफारिशों को रद्द करार दिया। यह खामी थी कि वेज बोर्ड ने समाचारपत्र स्थापनों की वित्तीय क्षमता–वेतनमान का बोझ उठा सकने की क्षमता–पर विचार ही नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पत्रकारों को

[54] इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम केन्द्र सरकार (सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 1958)

निराशा तो हुई लेकिन वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गयी थी और वह आज तक वेज बोर्डों का मार्गदर्शन करती है।

शिंदे वेज बोर्ड

पत्रकारों का वर्गीकरण :

12 नवम्बर, 1963 को न्यायमूर्ति जी. के शिंदे की अध्यक्षता में नया वेज बोर्ड गठित हुआ। इस बोर्ड ने पत्रकारों का नए सिरे से वर्गीकरण किया, जो अधिक व्यावहारिक था– वास्तविकता और पद से जुड़ी जिम्मेदारियों पर आधारित था, जिससे कि कार्य की प्रकृति के अनुसार वेतन मिल सके। प्रथम श्रेणी के पत्रकारों के तीन उप–वर्ग हो गए। यथा I में संपादक, I ए में स्थानीय संपादक, संयुक्त संपादक आदि और I बी में सहायक संपादक, समाचार संपादक, साहित्य संपादक। मुख्य संवाददाता II में और वरिष्ठ उप संपादक, वरिष्ठ संवाददाता II ए में रखे गए। उप संपादक और रिपोर्टर श्रेणी III में रहे। मुख्य प्रुफ रीडर को IV ए में रखा गया।

अखबारों के वर्ग –

समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण बहुत युक्तिसंगत नहीं था। अंग्रेजी अखबार को अलग इकाई माना गया और भारतीय भाषाओं के

अखबारों को अलग। इसी प्रकार उसी स्थापन से प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पत्रिका को अलग इकाई माना गया। इस भेदभाव का कोई पुष्ट आधार नहीं था। एक से अधिक केन्द्रों से अखबार निकलो जाएँ या एक ही स्थान से अंग्रेजी–हिन्दी के अखबार निकलें तो भी एक ही स्थापन उनका प्रबंध करता है। समाचारपत्र के विभिन्न संस्करणों के संपादकीय अथवा समाचार संकलन के स्त्रोत एक होने या साझा प्रबंध व्यवस्था के बावजूद उन्हें स्वतंत्र इकाई मानना तर्क सम्मत नहीं था। इसके वर्गीकरण से कई विसंगतियाँ पैदा हुई। एक ही स्थापन में एक जैसे काम के लिए तीन–तीन वेतनमान–अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला और पत्रिकाओं वाला।

दैनिक पत्रों को सात वर्गों में बाँटा गया। प्रथम वग में वे अखबार आए जिनकी सकल आय 2 करोड़ रूपए थी। सातवें वर्ग में वे अखबार आए जिनकी आय 5 लाख रूपए से कम थी। इसकी व्यवस्था श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में नहीं थी। अतः इस बोर्ड की सिफारिशों की वैधानिकता तथा अन्य विवादों से निपटने के लिए सरकार को एक न्यायाधिकरण गठित करना पड़ा। उसने कुछ संशोधनों के साथ वेज बोर्ड की सिफारिशों की पुष्टि कर दी।

पालेकर वेज बोर्ड –

नवम्बर, 1972 के पहले सप्ताह में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने तीसरे वेज बोर्ड के गठन की माँग की। यह संगठन उसी वर्ष आई.एफ.डब्ल्यू.जे. (इंडियन फेडेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स) के विभाजन के बाद बना था। दिसम्बर, 1972 में ही आई.एफ.डब्लूय. जे. ने भी नए वेज बोर्ड की माँग की। नया वेज बोर्ड बना लेकिन साढ़े तीन वर्ष बाद 11 जूर, 1975 को। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति डी.जी. पालेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति रह चुके थे।

वेज बोर्ड की सिफारिश पर मजदूरी की अंतरिम दरों (इंटेरिम रेटस ऑफ वेजेज) की सिफारिश किए जाने के बाद अखबार–मालिकों के संगठन 'इंडियन ऐंड ईस्टर्न न्यूज–पेपर सोसायटी' (आई.ई.एन.एस.) ने अंतरिम दरों पर बहुमत निर्णय की आलोचना करते हुए अपने प्रतिनिधि वेज बोर्डों को वापस बुला लिए और सितम्बर में वेज बोर्ड का काम रोकने के लिए बंबई हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया। बोर्ड का काम ठप हो गया।

पालेकर अधिकरण –

समाचार मालिकों के असहयोग के कारण उत्पन्न गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 31 जनवरी, 1979 को अभ्यादेश के जरिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करके वेज बोर्ड की जगह न्यायमूर्ति पालेकर की अध्यक्षता में अधिकरण

(ट्रिब्यूनल) गठित कर दिया। उसने सुनवाई जारी रखी और 15 फरवरी,, 1980 को अस्थायी प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए। इन पर सभी पक्षों की लिखित राय आ जाने पर अधिकरण ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी। पहले (1 बी) से लेकर छठवें वर्ग तक के समाचारपत्रों पर 1 अक्टूबर , 1979 से और अन्य श्रेणियों की समाचारपत्रों पर 1 अक्टूबर, 1980 से नए वेतनमान और भत्ते लागू किए गए।

अधिकरण की विशेषताएँ –

पालेकर अधिकरण की सिफारिशें आने तक समाचारपत्र जगत् का नक्शा बदल चुका था। पहले वेज बोर्ड के समय अखबारों की संख्या जो सैंकड़ों में थी, पालेकर के समय हजारों में हो गई थी। पालेकर अधिकरण की सिफारिशें अपनी कुछ विशेषताओं के कारण याद रखी जाएँगी ये विशेषताएँ हैं–

1. पहली मर्तबा मकान का भत्ता दिया गया। हालांकि वह बहुत कम था (अधिक से अधिक 128 रूपए– महानगरों में सर्वोच्च श्रेणी के अखबार में 1600 रूपए मूल वेतन तक, 8 प्रतिशत के हिसाब से।)

2. समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण सकल आय के आधार पर किया– समूह (ग्रुप), श्रृंखला (चेन–अनेक केन्द्रों से प्रकाशित समाचारपत्र) या भाषा अथवा नियतकालिकता

(दैनिक, साप्ताहिक आदि) के आधार पर नहीं। ऐसा वर्गीकरण करके ही समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जा सकता था।

स्थापनों का वर्गीकरण और वेतन –

पालेकर अधिकरण ने समाचार स्थापनों को सात वर्गों में बाँटा था–

I बी. 25 करोड़ रूपए अथवा अधिक

II ए 10 करोड रूपए या अधिक लेकिन 25 करोड़ रूपए से कम

I 4 करोड़ रूपए या उससे अधकि अधिक लेकिन 10 करोड़ रूपए से कम।

II 2 करोड़ रूपए या अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपए से कम

III 1 करोड़ रूपए या अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपए से कम

IV 50 लाख रूपए या अधिक लेकिन 1 करोड़ रूपए से कम

V 25 लाख रूपए या अधिक लेकिन 25 लाख रूपए से कम

VI 10 लाख रूपए या अधिक

VII 10 लाख रूपए से कम

पत्रकारों का वेतन – पालेकर अधिकरण ने श्रमजीवी पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में रखा और उनके वेतनमान तय किए। संपादकों को प्रथम श्रेणी में ही रखा गया है, किन्तु समाचारपत्र स्थापनों के प्रथम तीन वर्गों के संपादकों के लिए कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया। द्वितीय वर्ग के स्थापनों के संपादक का वेतन कम से कम 2700 रूपए तय हुआ। सातवें वर्ग के संपादक के लिए यह राशि 1150 रूपए से कम नहीं रखी गई।

I बी यानी सर्वोच्च वर्ग के स्थान में प्रूफ रीडर का वेतनमान 800–1705 रूपए रखा गया और सबसे निचले वर्ग के स्थापन में ...के लिए 400–795 रूपए का वेतनमान निर्धारत हुआ।

समाचार एजेंसियाँ – समाचार एजेंसियों को सकल आय के आधार पर वर्गों में रखा गया। प्रथम वर्ग में 2 करोड़ या इसके अधिक आय वाली एजेंसी रखी गई। चौथे वर्ग की एजेंसियों की आय 50 लाख रूपए से कम थी। विदेशी एजेंसियों को प्रथम वर्ग में रखा गया।

बछावत वेज बोर्ड –

पहले वेज बोर्ड के गठन के 29 वर्ष बाद न्यायमूर्ति बछावत की अध्यक्षता में 11 जुलाई, 1985 के चौथे वेज बोर्ड का गठन हुआ। इस बीच समाचार पत्र जगत का नक्शा बदल चुका था। समाचारपत्रों की

संख्या, उनकी प्रसार संख्या और विज्ञापन आय में जमीन–आसमान का अंतर आ गया था। वेज बोर्डों के कारण श्रमजीवी पत्रकारों को सम्मानजकनक वेतन मिलने लगा था और भाषाई अखबारों में प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित होने लगे थे। न्यायमूर्ति बछावत ने मजदूरी–दर निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक तर्क–संगत बनाया। केन्द्र सरकार ने भी वेज वोर्ड की भत्ते संबंधी सिफारिशों को संशोधित करके दो भत्तों की राशि बढ़ा दी और कुछ अन्य मामूली परिवर्तन भी किए।[55]

साझा नियंत्रण वाले स्थापन –

बछावत वेज बोर्ड ने समाचार स्थापनों के वर्गीकरण के लिए पालेकर अधिकरण द्वारा स्थापित सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का फैसला किया। बोर्ड के प्रतिवेदन की धारा 6 में कहा गया कि समाचारपत्र स्थापन के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केन्द्रों को एक ही स्थापन का हिस्सा माना जाएगा। दो या अधिक जिसमें उसके विभाग, शाखाएँ और केन्द्र यदि वे एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सम्मिलित नियंत्रण में हैं, तो उनको एक स्थापन माना जाएगा और उन सबकी आमदनियों को जोड़ कर समाचार पत्र स्थापन का वर्गीकरण किया जाएगा।

जिस छापेखाने का मुख्य व्यवसाय अखबार छापना है वह भी समाचारपत्र स्थापन माना जागएा। जो स्थापन अपनी आय के अधार

[55] बछावत वेज बोर्ड की प्रतिवेदन।

पर वर्ग 6 से लेकर वर्ग 9 में आते हैं, उन्हें विभिन्न इकाइयों की आय सम्मिलित किए जाने पर जिस वर्ग में रखा जाना चाहिए,उसमें न रखकर मौजूदा आय वर्ग से केवल दो सोपान ऊपर रखा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इस प्रावधान को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि माना कि इस प्रकार की वर्गीकरण वैधानिक नहीं हैं, क्योंकि इस भेदभाव का औचित्य नहीं बताय गया है।

समाचार पत्र स्थापन के साझा नियंत्रण के लिए वेज बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित स्थितियाँ होनी चाहिए –

जहाँ समाचारपत्र स्थापन एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति–समूह के नियंत्रण में है, जहाँ स्थापनों का स्वामित्व उन फर्मा के पास है, जिनके साझीदार यथेष्ट संख्या में समान हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ कंपनी और होल्डिग कंपनी के शेयरधारकों में घनिष्ट संबंध होने पर भी वे एक ही स्थापन माने जाएँगे। यह भी कहा गया कि यदि कार्यात्मक संघटन या एकता (फंक्शनल इंटीग्रेलिटी) हैं, तो भी उन्हें एक ही समाचारपत्र स्थापन माना जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए तब तक उसी या उसी तरह के नाम से और उसी भाषा में भारत में कही भी अखबार निकालने अथवा किसी राज्य में उसी नाम से लेकिन अलग भाषा में अखबार निकालने वाले स्थापनों को साझा नियंत्रण के अधीन माना जाएगा और उनकी सम्मिलित आय के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा।

यदि वर्गीकृत स्थापन नए अखबार निकलाते हैं, तो उनकों आरम्भिक वर्षो में कुछ रियायतें मिलेंगी। अगर पुराना स्थापन किसी ऐसे केन्द्र से पुराने नाम से अखबार निकलता है जहाँ पहले से उसका दूसरा अखबार नहीं निकल रहा तो दो लेखा वर्षों तक नया प्रकाशन केन्द्र एक वर्ग रखा जाएगा। यदि वर्गीकृत स्थापन नए प्रकाशन केन्द्र से नया अखबार निकालता है तो उसी तीन लेखा वर्षों तक एक वर्ग नीचे माना जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में नया केन्द्र वर्ग 9 से नीचे नहीं माना जा सकेगा।

स्थापनों का वर्गीकरण –

बछावत बोर्ड ने समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया–

1 ए 100 करोड़ रूपए या अधिक

- 50 करोड़ रूपए या अधिक, लेकिन 100 करोड़ रूपए से कम
- 20 करोड़ रूपए या अधिक, लेकिन 100 करोड़ रूपए से कम
- 10 करोड़ रूपए या अधिक, लेकिन 20 करोड़ रूपए से कम
- 5 करोड़ रूपए या अधिक, लेकिन 10 करोड़ रूपए से कम
- 2 करोड़ रूपए या अधिक, लेकिन 5 करोड़ रूपए से कम
- 1 करोड़ रूपए या अधिक, लेकिन 2 करोड़ रूपए से कम
- 50 लाख रूपए या अधिक, लेकिन 1 करोड़ रूपए से कम

- 25 लाख रूपए या अधिक, लेकिन 50 लाख रूपए से कम
- 25 लाख रूपए से कम ।

अंतिम वर्ग में आने वाले स्थापन को छोड़कर अगर किसी स्थापन की सकल आय में विज्ञापन की आमदनी का हिस्सा 45 फीसदी से कम है तो वह एक वर्ग नीचे खिसक जाएगा।

जिस तरह समाचारपत्र स्थापनों का वर्गीकरण किए बिना उनकी आर्थिक स्थिति और मजदूरी अदायगी क्षमता का अनुमान नहीं किया जा सकता उसी तरह श्रमजीवी पत्रकारों के काम की प्रकृति और जिम्मेदारियों का आकलन और वर्गीकरण किए बिना उनके वेतनमानों का युक्तिसंगत निर्धारण सम्भव नहीं है। इसलिए श्रमजीवी पत्रकारों को सात समूहों में विभाजित किया गया।

श्रेणी–1 संपादक

1 ए– कार्यकारी संपादक, स्थानीय संपादक, संयुक्त संपादक, डिप्टी एडिटर।

1 बी–सहायक संपादक, लीडर राइटर, चीफ ऑफ ब्यूरो, समाचार संपादक और विशेष संवाददाता।

श्रेणी–2 सहायक समाचार संपादक, चीफ रिपोर्टर, मुख्य उप संपादक, मुख्य फोटोग्राफर, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्टूनिस्ट, चीफ आर्टिस्ट आदि के अलावा राजधानियों में

राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रिंसिपल कारेसपोंडेंट, विशेष संवाददाता से इतर संवाददाता जो केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वाणिज्य, फिल्म, साहित्य संपादक और उनके समकक्ष पद।

2 ए वरिष्ठ संवाददाता और वरिष्ठ रिपोर्टर आदि।

श्रेणी–3 उप–संपादक, रिपोर्टर, कारेसपोंडेंट, न्यूज फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, कैलिग्राफिस्ट, लाइब्रेरियन, इंडेक्स, असिस्टेंट, चीफ प्रूफ रीडर। (बाद में केन्द्र सरकार ने कातिब को भी इस श्रेणी में रख दिया।

3 ए प्रूफ रीडर

श्रेणी–4 उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न किए गए वे पत्रकार जिन्हें स्थापन ने किसी ऊँची श्रेणी में नहीं रखा है।

मूल वेतन और भत्ते –

विभिन्न वर्गों के समाचारपत्रों के विभिन्न श्रेणियों के श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतनमान तय किए गए हैं। बड़े स्थापनों के संपादकों के लिए कोई वेतनक्रम नहीं सुझाया गया है; क्योंकि माना गया है कि उनका वेतन बाजार भाव से या आपसी सौदेबाजी से तय होता है। अलबत्ता 8 और 9 वर्ग के स्थापनों के संपादकों के लिए क्रमशः 4,100 और 3,500 रूपए न्यूनतम वेतन तय किया गया। सर्वोच्च वर्ग के स्थापन (1ए) के कार्यकारी संपादक आदि श्रेणी 1ए के

श्रमजीवी पत्रकारों के वास्ते 4400–8900 रूपए का वेतनमान निर्धारित किया गया। इस वर्ग के प्रूफ रीडर का वेतनमान 2090–4390 रहा। चौथी श्रेणी का 1775 से 3425 रूपए रखा गया। नौवें वर्ग के स्थापन के चौथी श्रेणी के पत्रकार का वेतनक्रम 1100 रूपए प्रतिमास से शुरू होकर 1850 तक जाता है। इसे श्रमजीवी पत्रकार का न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन कहा जाता है।

महँगाई भत्ता – महँगाई भत्ते में तीन महीने बाद उपभोक्ता सूचकांक 752 (1960–100) से घटाने या बढ़ाने पर निर्धारित सूत्र के अनुसार घटता–बढ़ता रहेगा।

मकान किराया भत्ता –आबादी के आधार पर वर्गीकृत शहरों में 1 से 5 वर्ग तक के स्थापन 11 प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक महँगाई भत्ता देंगे। अधिकतम राशि थी 330 रूपए और न्यूनतम 180 रूपए।

शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता – ए और बी वर्गो के शहरों के लिए 30 रूपए से लेकर 80 रूपए तक भत्ता देने की सिफारिश की गई थी।

रात्रिपाली भत्ता– 14 रूपए से लेकर 2 रूपए तक स्थापनों के वर्ग अनुसार।

केन्द्र सरकार के संशोधन—

- बछावत वेज बोर्ड ने अंतरिम मजदूरी की दर मूल वेतन की 7.5 प्रतिशत तय की थी, मगर सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उसे 15 प्रतिशत कर दिया।
- समाचार पत्र कर्मचारियों के तर्क से सहमत होकर सरकार ने मकान किराया और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते को बढ़ाने का निश्चय किया। समाचारपत्र स्थापनों की राय आमंत्रित करने के बाद दोनों भत्तों की दरें 31 अगस्त, 1989 को बढ़ा दीं।

सर्वोच्च वर्ग के स्थापन के लिए 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मकान भत्ते की दर से मूल वेतन की 15 प्रतिशत (अधिकतम 1200) रूपए कर दी गई। बोर्ड ने 6, 7, 8 और 9 वर्ग के स्थापनों के लिए मकान भत्ता तजवीज नहीं दिया था लेकिन सरकार ने यह भेदभाव नहीं रखा। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति भत्ता भी बढ़ा दिया गया। बड़े शहरों में 1ए स्थापन के लिए 100 रूपए और नौवें वर्ग के स्थापन के लिए 40 रूपए तक किया गया।

- कातिब को भी कैलिग्राफिस्ट की श्रेणी (श्रेणी—3) में और विज्ञापन विभाग के प्रूफ रीडर को श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी (3ए) में शामिल कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती –

अगर समाचारपत्र प्रबन्धक स्टे ऑर्डर लेने के लिए अदालत के दरवाजे न खटखटाते तो आश्चर्य होता, क्योंकि वे किसी न किसी बहाने लगभग प्रत्येक वेज बोर्ड के खिलाफ आदालत की शरण में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि 1 जनवरी, 1989 से वेज बोर्ड अवार्ड लागू होगा और 31 दिसम्बर, 1989 तक जो भी बकाया राशि (एरियर) बनाती हो, तीन महीने के अन्दर अदा कर दी जाए। शेष बकाया राशि का समायोजन आवश्यकतानुसार सुनवाई पूरी होने के बाद किया जाएगा। इसके पूर्व जब बछावत वेज बोर्ड का काम आगे बढ़ रहा था तो पालेकर अधिकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अब नया वेज बोर्ड कार्यरत है, अतः आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है।

अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने 1955 में अपने फैसले में बछावत वेज बोर्ड की विभिन्न इकाईयों को एक स्थापन मानने के बारे में छोटे अखबारों को दी गई रियायत का प्रावधन इस आधार पर असंगत ठहराया कि भेदभाव का कोई औचित्य नहीं बताया गया है। आमतौर से सुप्रीम कोर्ट वेजबोर्ड अथवा अधिकरणों की सिफ़ारिशों के संवैधानिक पक्ष पर ही विचार करता है– वेतन और भत्ते के परिणाम पर नहीं।

1989 में केन्द्र सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करके समाचारपत्र स्थापन की परिभाषा के संबंध में एक अनुसूची जोड़ दी थी। इसमें साझा नियंत्रण वाली इकाईयों आदि को वेतन निर्धारण के लिए एक स्थापन का दर्जा दिया गया। इस प्रकार एक नियंत्रण सूत्र वाले स्थापनों को वृहत स्थापन का हिस्सा मानने को वैधानिक व्यवस्था भी कर दी। मंशा यह थी कि बोर्ड के वर्गीकरण सिद्धांत को अदालत में चुनौती न दी जा सके।

मणिसाना वेज बोर्ड –

पत्रकारों, गैरपत्रकारों और समाचार एजेंसी के कर्मचारियों की बात मजदूरी की दरें पुनरीक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से दो बोर्डो का गठन 2 सितंबर, 1994 को किया गया था। दोनों वेज बोर्डो ने 25 जुलाइ, 2000 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दीं। इनके अध्यक्ष राजकुमार मणिसाना सिंह गौहाटी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश थे। उनको अपना काम करने में लगभग छह वर्ष लगे। इतना समय किसी और वेज बोर्ड को नहीं लगा था। इसका श्रेय मुख्यतः समाचारपत्र के प्रबंधकों को है, जो कदम–कदम पर रोड़े अटकाने पर आमादा थे। मणिसाना वेज बोर्ड को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने तीन नए भत्ते देने की सिफारिश की। ये हैं– अवकाश यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता और विषय परिस्थिति भत्ता।

वेज बोर्ड की सिफारिशों में केन्द्र सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा शर्ते और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 की धारा 12 प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बोर्ड की सिफारिशों का उपयोग करते हुए बोर्ड की सिफारिशों में कई परिवर्तन/संशोधन (गजट का शब्दावली में उपांतर) कर दिए जो केन्द्र सरकार की राय में सिफारिशों के स्वरूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते।

सुविधा की दृष्टि से संशोधित अंश पहले देख लिए जाएँ और उसके बाद अपरिवर्तित सिफारिशों पर निगाह डाली जाए।

बोर्ड की केन्द्र द्वारा संशोधित सिफारिशें –

- अंशकालिक संवाददाताओं और फोटोग्राफरों के पारिश्रमिक की दर 40 और 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत और एक तिहाई करना। "अंशकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर का वेतन उसी स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता और फोटोग्राफरों को लागू मूल वेतन के पचास प्रतिशत धन + महँगाई भत्ते से कम नहीं होगा, यदि वह जिला मुख्यालय या उससे ऊपर के स्तर पर कार्य करता है। परन्तु कोई अंशकालिक संवाददाता और फोटाग्राफर दो समाचारपत्र स्थापनों से अधिक के लिए काम नहीं करेगा। यदि संवाददाता और फोटोग्राफर जिला स्तर से नीचे स्तर पर कार्य करता है तो उसकी मजदूरी 'एक तिहाई से कम नहीं होगी' परन्तु वह तीन समाचारपत्रों से

अधिक के लिए कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, मजदूरी का संदाय स्तंभ के आधार पर किया जाएगा जिसकी दरें पारस्परिक बातचीत के द्वारा निश्चित कीजा सकेंगी।''

- महँगाई भत्ते की गणना के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्थान पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर समय–सिद्ध परंपरा को कायम रखना 'महँगाई भत्ता' जैसे ही उस तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिसके लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसके लिए महँगाई भत्ते की दरें अवधारित की जानी हैं, मंजूर किया जा सकेगा। महँगाई भत्ता ठीक आगामी तिमाही के आरंभ से संदेय हो जाएगा जिसके लिए महँगाई भत्ते की दर का अवधारण करने के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है।'
- वेज बोर्ड के अनुसार महँगाई भत्ते की कुछ दरें इस प्रकार थीं– 7000 से 9500 रू. के मूल वेतन स्लैब पर 60 प्रतिशत, 95101 से 12,500 रू. के बीच मूल का वेतन 45 प्रतिशत और 12,500 से अधिक के लिए 40 प्रतिशत अथवा 12,500 के 45 प्रतिशत जो भी अधिक हो। इन प्रतिशत दरों में सुधार किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तालिका इस प्रकार है–

महँगाई भत्ता	
मूल वेतन स्लैब	तिमाही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर देय महँगाई भत्ते का निर्धारण करने के लिए निष्प्रभावीकरण की दर
1. 5000 रू. तक	मूल वेतन का 100 प्रतिशत
2. 5001 से 7000 रू. तक	मूल वेतन का 80 प्रतिशत या 5000 रू. का 100 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
3. 7001 से 9500 रू. के बीच	मूल वेतन का 70 प्रतिशत या 7000 रू. का 80 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
4. 9501 से 12,500 के बीच	मूल वेतन का 60 प्रतिशत या 9500 रू. का 70 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
5. 12,500 से अधिक	मूल वेतन का 50 प्रतिशत या 12,500 रू. का 60 प्रतिशत जो भी अधिक हो।

महँगाई भत्ते की संगणना करने के लिए सूत्र –

(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.सू. अर्थात 1997 की अंतिम तिमाही)

(प्रश्नगत तिमाही के लिए औसत अ.भा.उ.मू.सू.)

(वर्ष 1998 का अ.भा.औ.उ.मू.सू. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)

म.भ. X,...................... निष्प्रभावीकरण की X दर मूल वेतन

(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.सू. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)

- बकाया वेतन की अदायगी के लिए वेज बोर्ड ने तीस माह का समय दिया था। सरकार ने इसे घटाकर 18 माह कर दिया है। 10 माह की तीन किस्तों की जगह 6–6 माह की किस्तों में अदायगी का आदेश दिया गया है।
- विज्ञापन प्रूफ रीडर, प्लानर और ऑपरेटर को पत्रकार की श्रेणी में प्रूफ रीडर के समकक्ष स्थान दिया गया है।
- समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के वर्ग छह से ग्यारह के लिए मकान किराया भत्ते की तालिका को यथावत स्वीकार करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी अंचल के प्रतिष्ठान के कर्मचारी को अधिक भत्ता मिल रहा है, वह मिलता रहेगा। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अधिकतम भत्ता 4500 होगा।

- छुट्टी यात्रा भत्ते की दर में भी तब्दीली की गई है। बोर्ड ने 1बी, 1ए वर्गों के समाचारपत्र स्थापनों के लिए वेतनमान के 'न्यनतम' पर एक माह का पूरा वेतन, 2 से 4 के लिए तीन सप्ताह और वर्ग 5 के लिए 15 दिनों के वेतन की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने न्यूनतम के स्थान पर 'वास्तविक' वेतन के आधार पर छुट्टी यात्रा भत्ता देने का प्रावधान कर दिया है। निचले वर्ग के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में यह भत्ता देय नहीं है।
- 5 दिसम्बर, 2000 को सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना में यह आदेश था कि पत्रकारों के लिए निर्धारित वेतनमान की सारणी (1) के अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाए, अर्थात् तुलनात्मक मूल वेतन वाले पत्रकारों और गैर–पत्रकारों को समान मूल वेतन के लिए वेतन वृद्धि की दरें समान होगी।'

लेकिन 15 दिसम्बर, 2000 को भारत सरकार ने भ्रम और विवाद की गुंजाइश समाप्त करने के लिए एक बार फिर अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए पत्रकारों के वेतनमान की एक नई तालिका गजट में प्रकाशित कर दी। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि की राशियाँ बढ़ा दी गई हैं। इस प्रकार 5 दिसंबर की अधिसूचना को संशोधित कर दिया गया।[56]

[56] स्माचारपत्र और समाचार समितियों की संषोधित तालिका के लिए मणिसाणा वेज बोर्ड का प्रतिवेदन देखें।

बोर्ड की सिफारिशें (समाचारपत्र) –

केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित सिफारिशों के बारे में आप जान चुके हैं। वेज बोर्ड की अन्य सिफारिशें यहाँ दी जा रही हैं –

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारंभ** – (1) इन सिफारिशों को मणिसाना (मजदूरी बोर्ड) अवार्ड कहा जाएगा। (2) यह अवार्ड श्रेणी–3 और इससे ऊपर के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में 1 अप्रैल, 1998 को तथा श्रेणी 4 एवं 5 के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में 1 जून, 1999 को प्रवर्तन में माना जाएगा और श्रेणी 6 से 9 तक समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में 1 अप्रेल, 2000 को प्रवर्तन में आएगा।

2. **परिभाषाएँ** – इस प्रस्ताव में जब तक निम्नलिखित संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो–

स्माचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में प्रयुक्त लेखा वर्ष का अर्थ 01 अपेल को प्रारंभ होने वाले वर्ष के वित्तीय वर्ष से होगा। तथापि, यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष से भिन्न हो तो इसका अर्थ उस प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से होगा जिसका किसी विशेष वर्ष में आधे से अधिक भाग आता है। उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के मामले में जिनका वर्ष 01 अक्टूबर से प्रारंभ होता है, लेखा वर्ष उस वर्ष को माना जायेगा, जिसमें प्रथम छमाही आती है।

मूल मजदूरी – का आशय निर्धारित वेतनमान में आहरित की गई मजदूरी से है जिसमें गतिरोध वेतनवृद्धि शामिल है किन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि जैसी अन्य प्रकार की किसी भी मजदूरी अथवा वेतन को शामिल नहीं किया जाता है।

श्रेणी – का आशय अन्य किन्हीं ऐसे समाचारपत्र कर्मचारियों से है, जिनका इस प्रस्ताव में विहित समूहों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।

समाचारपत्र प्रतिष्ठान (समाचार एजेंसी से भिन्न) के 'सकल राजस्व' का आशय प्रतिष्ठान द्वारा अपने समाचारपत्र व्यवसाय के सभी स्त्रोतों से प्राप्त किये गए राजस्व से है। इसमें अपने समाचारपत्र अथवा समाचारपत्रों में प्रचालन तथा विज्ञापन और इसके द्वारा अर्जित की गई परिसंपत्तियों तथा समाचारपत्र व्यवसाय में कमाई गई निधियों से किए गए निवेश से प्राप्त आय भी शामिल है।

स्पष्टीकरण (इस खंड के प्रयोजनार्थ) –

- परिचालन और विज्ञापन के संबंध में राजस्व को उस धनराशि के रूप में माना जाएगा, जो वास्तविक रूप से अनुमत्य उस

सीमा तक कमीशन काटे जाने के बाद प्राप्त हो जिस तक ऐसे अनुमत्य कमीशन की धनराशि तर्कसंगत हो।

- तर्कसंगत कमीशन वह होता है जो किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में आयकर प्राधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाए। जिन मामलों में आयकर प्राधिकारियों का ऐसा कोई अंतिम निर्णय उपलब्ध न हो वहाँ परिचालन कमीशन संबंधित राजस्वों का 28 प्रतिशत और विज्ञापन संबंधी कमीशन 15 प्रतिशत होगा।

3. **समाचार प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण** –श्रमजीवी पत्रकारों और गैर–समाचारपत्र कर्मचारियों (समाचार एजेंसियों के अलावा) के संबंध में मजदूरी दरों के निर्धारण अथवा संशोधन के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा–

- (क) समाचार प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 3 लेखा वर्षो अर्थात् 1995–1996, 1996–97 और 1997–98 के औसत सकल राजस्व के आधार पर किया जाएगा। समाचारपत्र प्रतिष्ठान के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केन्द्रों को उसका भाग माना जाएगा।

- स्माचार प्रतिष्ठानों के उनके स्वयं के सकल राजस्व के आधार पर विभिन्न विभागों, शाखाओं अथवा केन्द्रो की क्लबिंल के

बावजूद, इस अध्याय के पैराग्राफ 6 में यथवर्गीकृत सभी वर्गो से अधिक में नही बढ़ाई जाएगी जो कि क्लबिंग के परिणामस्वरूप उनके सकल राजसव के अनुयसा होंगी।

स्पष्टीकरण (इस खंड के प्रयोजनार्थ)

यदि एक नगर अथवा शहर और निकटवर्ती क्षेत्रों में एक वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान की विभिनन इकाइयाँ, शाखाएँ कंपनियाँ हैं, चाहे उनके नाम अलग–अलग हो उन्हें इस समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की एक सकल इकाई के रूप में ही माना जाएगा।

- ऊपर उल्लखित तीन (3) लेखा वर्षो में से दो को पूरा करने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में इसका वर्गीकरण उक्त दो वर्षो के लिए इसके लिए सकल राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में जिसने उक्त लेखा वर्षो का ही एक ही वर्ष पूरा किया है, इसका वर्गीकरण उक्त वर्ष के लिए इसके सकल राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- नया समाचारपत्र प्रतिष्ठान अर्थात् कोई ऐसा समाचारपत्र प्रतिष्ठान, जिस पर उपर्युक्त खंड (क), (ख) और (ग) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अपने प्रथम लेख वर्ष को पूरा कर लेने के पश्चात् उस वर्ष के लिए इसके सकल राजस्व के आधार पर वर्गीकरण किए जाने का पात्र हैं, बशर्ते कि:

उपर्युक्त खंड (क), (ख) और (ग) में विहित किसी भी व्यवस्था के बावजूद, कोई ऐसा समाचारपत्र प्रतिष्ठान जिसे दो लेखा वर्षो के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा उसे उस श्रेणी से एक नीचे रखा जाएगा, जिसमें रखे जाने का यह पात्र है और जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान का एक लेखा वर्ष के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा उसे दो श्रेणी नीचे रखा जाएगा। किसी भी मामले में, यह श्रेणी 9 से नीचे नही रखा जाएगा।

4. **वर्गीकरण को जारी रखना** – इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किए गए वर्गीकरण को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि इस अध्याय के पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार उक्त समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण न कर दिया जाए।

5. **स्वामित्व के परिवर्तन** – यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के स्वामित्व को किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है, तो इस अध्याय के पैरा 3 और 4 के उपबंध ऐसे समाचार प्रतिष्ठान पर लागू होंगे मानो पूर्व मालिक के अंतग्रत संगत लेखा वर्षो के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठान का सकल राजस्व नए मालिक के अंतग्रत उन वर्गो का राजस्व था।

6. **समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणियाँ** – समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को इस अध्याय में पैरा 3 (क) के अनुसार उनके सकल राजस्व के आधार पर अग्रलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा–

श्रेणी	सकल राजस्व
1 बी	600 करोड़ रूपए और अधिक
1 ए	225 करोड़ रूपए और अधिक किन्तु 600 करोड़ रूपए से कम
i	75 करोड़ रूपए और अधिक किन्तु 225 करोड़ रूपए से कम
ii	25 करोड़ रूपए और अधिक किन्तु 75 करोड़ रूपए से कम
iii	11 करोड़ रूपए और अधिक किन्तु 25 करोड़ रूपए से कम
iv	5.5 करोड़ रूपए और अधिक किन्तु 11 करोड़ रूपए से कम
V	2.5 करोड़ रूपए और अधिक किन्तु 5.5 करोड़ रूपए से कम
vi	1.25 करोड़ रूपए और अधिक किन्तु 2.5 करोड़ रूपए से कम
vii	60 लाख रूपए और अधिक किन्तु 1.25 करोड़ रूपए से कम
viii	30 लाख रूपए और अधिक किन्तु 60 करोड़ रूपए से कम
ix	30 लाख रूपए से कम

स्पष्टीकरण : इस पैरा में –

- (क) श्रेणी–9 के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के अलावा किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा लिए गए परिचालन और विज्ञापन दोनों के कुल राजस्व में से यदि विज्ञापन का राजस्व ऊपर वर्णित राजस्व के 55 प्रतिशत से कम है तब इसे उस श्रेणी नीचे रखा जाना चाहिए, जिसमें अपने कुल औसत सकल राजस्व के आधार पर वह आएगा।
- (ख) श्रेणी–9 के अंतग्रत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान के अलावा किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा लिए गए परिचालन और विज्ञापन दोनों के कुल राजस्व में से यदि विज्ञान का राजस्व ऊपर वर्णित राजस्व के 45 प्रतिशत से कम है तब इसे उस श्रेणी से दो श्रेणी नीचे रखा जाना चाहिए।
- (ग) श्रेणी–9 में आने वाले समाचारपत्र के अलावा किसी एसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान, जो भारतीय भाषा में किसी जिले के कस्बे से कोई समाचारपत्र प्रकाशित करता है और जिसके दो से अधिक प्रकाशन नहीं हैं तथा जिसका विज्ञापन संबंधी राजस्व, कुल सकल राजस्व के 60 प्रतिशत से कम है तो उस श्रेणी के एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा, जिसमें अपने कुल सकल राजस्व के आधार पर वह आएगा।
- (घ) कोई भी समाचारपत्र प्रतिष्ठान श्रेणी–9 से नीचे नहीं समझा जाएगा।

7. **पुनर्वर्गीकरण–** यह या तो नियोजक अथवा कर्मचारी के लिए खुला होगा कि वह तत्काल पूर्ववर्ती तीन (3) लेखा वर्षो के औसत सकल राजस्व के आधार पर के प्रवर्तन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् किसी भी समय एक समाचारपत्र प्रतिष्ठान के पुनर्वर्गीकरण की माँग कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे पुनर्वर्गीकरण की माँग तीन (3) लगातार लेखा वर्षो की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं की जानी चाहिए।

संशोधित वेतनमान और भत्ते –

8. **श्रमजीवी पत्रकारों के संशोधित वेतनमान–** (केन्द्र सरकारी की अधिसूचना के अनुसार)

9. **संशोधित वेतनमान में वेतन का आहरण–** (1) यदि इस पंचाट में अन्यथा प्रावधान न किया जाए तो एक समाचारपत्र कर्मचारी उसी समूह के लिए लागू संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा जिस समूह से वह संबंधित है।

10. **महँगाई भत्ता–** (केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित)

11. **मकान किराया भत्ता–** समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित जोन में तैनात कर्मचारियों को सारणी में निर्धारित मकान किराया भत्ते की अदायगी की जाएगी, बशर्ते कि–

- जहाँ समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा किसी कर्मचारी को आवास प्रदान किया गया हो वहाँ कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जा रहा हो तो उसका इस प्रावधान के अंतर्गत देय मकान किराया भत्ते की राशि के साथ समायोजन किया जाएगा।
- जहाँ कोई समाचारपत्र प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी की ओर से किसी निधि में किसी राशि का अंशदान करता है, जिससे वह कर्मचारी अपना स्वयं का आवास ले सके तो ऐसी राशि को इस प्रावधन के अंतर्गत देय मकान किराया भत्ते से समयोजित किया जाएगा।

12. **नगर प्रतिकर भत्ता** – समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को सारणी–5 में निर्धारित किए गए नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

13. **रात्रि पारी भत्ता** – समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा अपने कर्मचारियों को सारणी–6 में निर्धारित की गई दरों पर रात्रि पारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

14. **विषम परिस्थिति भत्ता**– समुद्र तल से 5000 फीट (1524 मीटर) ऊँचाई पर पहाड़ी क्षेत्र या किसी अशान्त क्षेत्र में काम

करने वाले कर्मचारी को 250 रूपए प्रतिमाह की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजक के लिए अशांत क्षेत का अथ्र है संगत अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार अर्थात् राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार, जैसा कि मामला हो, द्वारा घोषित अशांत क्षेत्र। उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र द्वारा निकलो जाने वाले प्रकाशनों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रेणी–6 से 9 तक में कार्यरत कर्मचारियों को विषम परिस्थिति भत्ता देय नहीं होगा।

15. छुट्टी यात्रा भत्ता– श्रेणी–6 से 9 तक के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को छोड़कर कर्मचारी को सारणी में 7 निर्धारित की गई दरों पर छुट्टी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

16. चिकित्सा भत्ता – श्रेणी–5 और उससे ऊपर की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समाचार प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को सारणी–8 में नियम चिकित्सा भत्ते की अदायगी की जाएगी। तथापि केवल उन्हीं कर्मचारियों को अदायगी की जाएगी जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता।

17. चिकित्सा बीमा – श्रेणी–6 से 9 के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान अपने सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा

सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे तथा किसी बीमा कंपनी को अदा किए जाने वाला प्रीमियम प्रति कर्मचारी 900 रूपए प्रति वर्ष तक सीमित रहेगा।

18. संशोधित वेतनमान में आरम्भिक वेतन का निर्धारण— संशोधित वेतनमान में किसी कर्मचारी का आरम्भिक वेतन निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा—

- नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान में वेतनमान के न्यनूतम पर वेतन निर्धारित होगा।
- प्रतिष्ठान में पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतनमान में वर्तमान परिलब्धि से अगली अवस्था पर वेतन निर्धारित होगा।
- यदि संशोधित वेतनमान का न्यूनतम कर्मचारी द्वारा वर्तमान में ली जा रहीं परिलब्धियों की राशि से अधिक है तो संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित होगा।
- यदि कर्मचारी को वर्तमान परिलब्धियाँ संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हैं, तो संशोधित वेतनमान के न्यूनतम में वेतनवृद्धियाँ जोड़ते हुए और संशोधित वेतनमान में अगली उच्चतम अवस्था पर उसका वेतन निर्धारित करते हुए, वेतन निर्धारित होगा।

- प्रत्येक कर्मचारी को पंचाट के आरंभ होने की तारीख से तत्काल पहले धारित किए गए पद पर प्रत्येक चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतन–वृद्धि की जाएगी।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उस प्रतिष्ठान में किसी भी अन्य पद पर की गई सेवा, जिसके वेतनमान का न्यूनतम, कर्मचारी ने जिसमें कार्य किया हो उस वेतनमान के न्यूनतम के 30 प्रतिशत से अधिक कम न हो, को भी हिसाब में लिया जाएगा।
- वेतन–वृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।
- किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक वेतन नहीं मिलेगा।
- सभी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान के प्रवर्तन की तिथि से लागू होंगे। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत इन सिफारिशों को प्रभावी करते हुए सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर यदि कोई कर्मचारी वर्तमान वेतनमान और वर्तमान परिलब्धियाँ रखने का विकल्प चुनता है तो वह वर्तमान और ऐसे परिलिब्धियाँ बनाए रखने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण –

- किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियों का अर्थ होगा उसका मूल वेतन, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1813 (आधार 1960–100) पर परिवर्तित महँगाई भत्ता और 1 जनवरी, 1998 को अंतरित राहत।
- किसी कर्मचारी की अतिरिक्त परिलब्धियों का अर्थ होगा खंड (क) में निर्धारित सौदेकारिता अनुबंध अथवा अधिनियम के परिणामस्वरूप मूल वेतन, महँगाई भत्ते या अंतरिम राहत में वृद्धि के रूप में समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत वर्तमान परिलब्धियों के अलावा।
- किसी कर्मचारी के अतिरिक्त भत्ते का अर्थ होगा कोई भी मासिक भुगतान चाहे किसी नाम से पुकारा जाए, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन से संबद्ध न हो और न ही वेतन या महँगाई भत्ते के किसी संशोधन के साथ समायोजित किए जाने के लिए जिस पर सहमति हुई हो।

19. बकायों के भुगतान का ढंग (केन्द्र सरकार निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार)– उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा 21–3–2000 से पूर्व किसी बकाया राशि की अदायगी नहीं की जाएगी जिन्हें पंचाट लागू होने की तारीख से संशाधित वेतनमानों में नोशनल आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन अथवा मजदूरी नियत करना तथा 1 अप्रेल, 2000 से उसकी अदायगी करना अपेक्षित होगा।

बशर्ते कि : अंतरिम राहत की धनराशि, अर्थात् मूल वेतन का 20 प्रतिशत और 100 रूपए की एक अतिरिक्त धनराशि, जिसकी अदायगी पंचाट आने के पूर्व की गई है, की वसूली की जाएगी।

20. भत्ता लागू होने की तारीख – पंचाट में दी गई व्यवस्था को छोड़कर, इसके विपरीत पंचाट नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता और विषम परिस्थिति भत्ता श्रेणी 1 ख से 5 के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध मं 1.6.99 से तथा भत्ता 6 से 9 के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में 1.04.2000 से प्रभावी होंगे।

अन्य भत्ते, पंचाट की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

बोर्ड की सिफारिशें (समाचार एजेसियाँ)–

1. यह पंचाट 1 अप्रेल, 1998 से लागू माना जाएगा।

2. **समाचार एजेंसी का वर्गीकरण**– समाचार एजेंसियों को इस अध्याय के पैरा 3 के अनुसार सकल आय के आधार पर निम्नलिखित वर्गो के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा–

वर्ग	सकल आय
(1)	30 करोड़ रूपए और उससे अधिक

(2) 15 करोड रू. और उससे अधिक किंतु 30 करोड रू.से कम

(3) 5 करोड़ रूपए उससे अधिक किंतु 15 करोड रू. से कम

(4) 5 करोड़ रूपए से कम।

नोट : विदेशी समाचार एजेंसियाँ, अर्थात् जो भारत में संचालित हो रही हैं किन्तु जिनका प्रधान कार्यालय भारत से बाहर है, वर्ग एक ही समाचार एजेंसियाँ समझी जाएँगी।

3. वेतनमान – (श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सारिणी के अनुसार) वेतन सारिणी इस प्रकार है–

4. महँगाई भत्ता– अन्य पत्रकारों के समान।

5. मकान किराया भत्ता–समाचार एजेंसी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में तैनात अपने कर्मचारियों को सारणी में निर्धारित किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बशर्ते कि–

- जहाँ किसी कर्मचारी को समाचार एजेंसी द्वारा आवास प्रदान किया जा रहा हो वहाँ कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

- यदि किसी कर्मचारी को मकान कराए भत्ते का भुगतान किया जा रहा हो तो वह भुगतान इस प्रावधान के अंतर्गत देय मकान किराए भत्ते के साथ समायोजित किया जाएगा।
- जहाँ कोई समाचार एजेंसी किसी कर्मचारी की ओर से किसी निधि में किसी राशि का अंशदान करती हो ताकि वह अपने लिए आवास ले सके तो ऐसी राशि को इस प्रावधान के अंतर्गत देय मकान किराए भत्ते के साथ समायोजित किया जाएगा।

6. **नगर प्रतिकर भत्ता–** समाचार एजेंसी द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जाएगा कि सारणी में निर्धारित किया गया है।

7. **रात्रि पारी भत्ता–** समाचार एजेंसियों द्वारा अपने संबंधित कर्मचारियों को सारणी में निर्धारित की गई दरों पर रात्रि पारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

8. **विषम परिस्थिति भत्ता** – समुद्र दल से 5000 फुट (1524 मीटर) ऊँचाई पर स्थित पहाड़ी क्षेत्र या अशांत क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को 250 रू. प्रति माह की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए अशांत क्षेत्र का अर्थ है संबंधित अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार अर्थात्

राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा घोषित अशांत क्षेत्र।

9. **छुट्टी यात्रा भत्ता** – कर्मचारी को सारणी में निर्धारित की गई दरों पर छुट्टी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

10. **चिकित्सा भत्ता** – सारणी में निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान श्रेणी–1 और 2 में आने वाली समाचार एजेसियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया जाएगा। तथापि, केवल उन कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा जो कि क.रा.बी. निगम के दायरे में नही आते।

11. **बकायों के भुगतान का तरीका** – जैसा समाचारपत्रों के लिए केन्द्र ने तय किया है।

12. **भत्तों के लागू होने की तिथि** – पंचाट में इसके विपरीत किए गए अन्यथा प्रावधान के अलावा पंचाट में निर्धारित नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता और विषम परिस्थिति भत्ता 1.6.99 से लागू होगा।

अन्य भत्ते इस पंचाट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

13. **मकान किराया भत्ते की दरें**– (मूल वेतन प्रतिमाह का प्रतिशत)।

क्षेत्र				
समाचारपत्र	क	ख	ग	घ
प्रतिष्ठान की श्रेणी	दिल्ली, मुंबई कलकत्ता, चेन्नई	20 से अधिक जनसंख्या वाली राज्य की राजधानियाँ	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर / नगर	10 लाख से कम जनसंया वाले शहर / नगर
(1)	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत	20 प्रतिशत	18 प्रतिशत
(2)	25 प्रतिशत	20 प्रतिशत	18 प्रतिशत	15 प्रतिशत

टिप्पणी— ऊपर दी गई मकान किराया भत्ते की दरें किसी भी क्षेत्र में समाचार एजेंसी की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत कर्मचारियों के किसी भी समूह के लिए अधिकतम 4500 रू. प्रतिमाह होंगी।

14. नगर प्रतिकर भत्ता प्रतिमाह की दरें—

क्षेत्र		रूपयों में		
समाचारपत्र	क	ख	ग	घ

प्रतिष्ठान की श्रेणी	दिल्ली, मुंबई कलकत्ता, चेन्नई	20 से अधिक जनसंख्या वाले राज्य की राजधानियाँ व शहर/नगर	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर/नगर	10 लाख से कम जनसंया वाले शहर/नगर
(1)	260	200	140	11
(2)	240	180	120	90

15. रात्रि पारी भत्ते की दरें

समाचारपत्र	प्रति रात्रि पारी दरें
प्रतिष्ठान की श्रेणी	
(1)	40 रू.
(2)	30 रू.

टिप्पणी– एक माह में 15 रात्रियों से अधिक रात्रि पानी ड्यूटी करने के लिए दरें 38 प्रतिशत अधिक होगी।

16. छुट्टी यात्रा भत्ता –

श्रेणी	छुट्टी यात्रा भत्ते की दरें
(1) और (2)	वेतनमान के न्यूनतम पर एक माह का मूल वेतन

टिप्पणी– 1. छुट्टी किराया भत्ता दो वर्षो के ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगा। 2. छुट्टी किराए भत्ते की मंजूरी छुट्टी लेने और यात्रा वास्तव में करने के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

16. छुट्टी यात्रा भत्ता –

श्रेणी	चिकित्सा भत्त
(1) और (2)	500 रू. प्रतिमाह प्रति कर्मचारी

वेज बोर्ड की अमलदारी–

महत्व– प्रथम प्रेस आयोग ने 1954 में ही कहा था कि समाचारपत्रों का प्रकाशन लाभकारी उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुका है, अतः

पत्रकारों की सेवा शर्तों और वेतन का नियमन आवश्यक हो गया है। आयोग ने पत्रकारिता के पेशे की गरिमा स्वीकार की और भारत सरकार ने इस गरिमा के अनुरूप कानून और नियम बनाए।

वेज बोर्डों के गठन और उनकी सिफरिशों के परिणामस्वरूप–

- सभी समाचारपत्र कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सार्वदेशिक स्तर पर होता है और महँगाई भत्ता भी अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है।
- आय की दृष्टि से बड़े कुछ समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में उप–संपादक का वेतन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के समतुल्य या लगभग समतुल्य होने लगा है। वेतनमान सुधरते जाने के कारण पहले की तुलना में प्रतिभाशाली युवक पत्रकारिता की ओर अधिक आकर्षित होने लगे हैं।
- चाहे अनुबंध पर काम करने वाले पत्रकारों को अधिक वेतन और (कुछ) सुविधाएँ अधिक मिलें, या वेज बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्तर से कम वेतन मिले, संदर्भ बिन्दु वेज बोर्ड द्वारा स्थिर वेतनमान ही होते हैं।

अमलदारी की समस्याएँ –

राजनैतिक और खासकर व्यावसायिक क्षेत्र में आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अधिकाधिक समाचारपत्र प्रतिष्ठान श्रमजीवी पत्रकार

अधिनियम और वेज बोर्ड की सिफारिशों से बचने के लिए तरह–तरह के उपाय करने लगे हैं। उदाहरण के लिए–

- आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और सक्षम होने के बावजूद अनेक अग्रणी प्रतिष्ठान वरिष्ठ और मध्यम स्तर के पदों पर दो–तीन वर्ष के अनुबंध पर पत्रकारों की नियुक्ति करते हैं। कई प्रतिष्ठान उनको अधिक वेतन और सुविधाएँ भी देते हैं। मुख्यतः इसलिए कि अनुबंध समाप्त होने पर या उसके पूर्व हटाए जाने के भय के कारण वे प्रबंधकों की मर्जी के मुताबिक चलेंगे और यूनियन की सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाएँगे।
- कई समाचारपत्र प्रतिष्ठान पत्रकारों को नियुक्ति पत्र ही नहीं देते। वाउचर पर पारिश्रमिक दिया जाता है। इनकी नौकरी के स्थायित्व का सवाल ही नहीं उठता।
- समाचारपत्र के वे मालिक भी जो पहले पेशेवर संपादकों पर निर्भर करते थे, पत्रकारों को वह स्थान और सम्मान नहीं देते, जो परंपरागत रूप में उन्हें मिलता था; क्योंकि मालिक या उसके प्रतिनिधि संपादक की भूमिका निभाने के इच्छुक रहते हैं।

कानूनी प्रावधान –

वेज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान और भत्ते सभी कर्मचारियों को मिलने चाहिए। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में यह प्रावधान तो है ही, दो और प्रावधान हैं

जिनकी उपेक्षा की जाती है। इस देश में कानूनों और नियमों की कमी नहीं लेकिन उन पर या तो अमल नहीं होता या आधा–अधूरा होता है।

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अनुबंध पर नियुक्ति की जा सकती है बशर्ते कि पत्रकार को इस अधिनियम से मिलन वाले अधिकारों और लाभों से अधिक लाभ और अधिकार मिलें। लेकिन बहुधा अनुबंध पर नियुक्तियाँ की ही इसलिए आती हैं कि प्रबंधक किसी न किसी प्रकार पत्रकार को दबा या हटा सकें।

अधिनियम की धारा 17 के अनुसार वेज बोर्ड के अनुसार वेतन दिलवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। धारा 17 ख के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक ऐसे निरीक्षक (इंस्पेक्टर) की नियुक्ति कर सकती जो देखे कि अधिनियम का पालन और वेज बोर्ड वेतनमान का अनुसरण हो रहा है या नही। उसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान के रजिस्टर देखने और जाँच–पड़ताल का अधिकार है। किन्तु राज्य सरकारें सोती रहती हैं और उन्हें जगाना और सक्रिय करना कठिन है।

पत्रकार एवं मीडियाकर्मियों की मजबूरी –

अनुबंध स्वीकार करने वाले पत्रकार अनुबंध पर नियुक्ति को अदालत मं चुनौती दे सकते हैं, पर वे ऐसा करते नहीं। एक नौकरी जाने का भय, दूसरे झगड़ालू कहे जाने की आशंका क्योंकि एक बार

ऐसा ठप्पा लगने पर किसी अन्य अखबार में काम मिलना संभव नहीं। योग्य और जनसंपर्क में कुशल तथा कम उम्र तथा अनुभव के बावजूद अच्छा पद और वेतन पाने वाला पत्रकार तो अनुबंध का स्वागत ही करता है।

देश में पत्रकारिता एवं मीडिया जगत में बेरोजगारी इतनी है कि एक पद के सौ नहीं तो दस–पाँच दावेदार मिल ही जाते हैं। फिर पत्रकारिता एवं मीडिया के पेशे का आकर्षण भी कम नहीं होता। समाचार प्रतिष्ठान इन सब परिस्थितियों का लाभ उठाते है।

केबल टीवी अधिनियम –

पहले टेजीविजन और बाद में केबल टेलीविजन नेटवर्क के विस्तार के साथ उने नियमन के लिए अधिनिमय बनाने की जरूरत हुई। सरकार ने इसे लिए केवल टीवी नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 बनाया। इस अधिनियम में सरकार ने ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने को आचार–संतिा का उल्लंघन माना जो सुरूचिपूर्ण और सभ्य आचरण के विरूद्ध हो, जिसमें मित्र देशों की आलोचना की गई हो, किसी धर्म और संप्रदाय की आलोचना या निंदा की गई हो या उनके प्रति तिरस्कार की भावना व्यक्त की गई हो। जिसमें सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो। ऐसे कार्यक्रम की भी मनाही की गई हो हिंसा

भड़काते हों, जिससे कानून व्यवस्था के भंग होने का खतरा हो या जो राष्ट्रविरोधी विचारधारा को प्रोत्साहित करत हों। जिसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका की निष्ठा पर संदेह व्यक्त यिा गया हो। ऐसे कार्यक्रम भी जो अंधविश्वास फैलाते हों, जो महिलाओं की छवि को धूमिल करता हो, उनकी देह या किसी अंग को अश्लील ढंग से व्यक्त करता हो। इस आचार–संहिता में किसी नस्ल, भाषा या क्षेत्र विशेष के रहन7सहन और तौर–तरीके का मजाक उड़ाया गया हो। इसके अलावा आचार–संहिता में फिल्मों के लिए जिस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, उन्हें टेलीविजन पर भी लागू किया गया है।

इकाई—4

प्रेस आयोग :

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ व 13 अप्रैल, 1952 को कलकत्ता अधिवेशन में भारत में समाचारपत्रों की वर्तमान दशा जानने और भविष्य के लिए दिशा देने के उद्देश्य से प्रेस आयोग की स्थापना की माँग की। इससे पूर्व भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ अपने दिल्ली और बम्बई अधिवेशनों में भी पत्रकारों की स्थिति के बारे में जाँच पड़ताल करने की माँग कर चुका था। अन्ततः 23 सितम्बर, 1952 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस आयोग की नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। इसकी विधिवत् घोषणा 3 अक्टूबर, 1952 का सरकारी राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन से हुई। यह आयोग जाँच कानून, 1952 धारा 3 (एल.एक्स. 1952) के अंतर्गत स्थापित हुआ।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का ब्रिटेन के रॉयल कमशीन की तरह प्रेस आयोग के गठन करने का विचार था। उन्होंने जून, 1951 में संसद में यह संकेत भी दिया था कि प्रेस आयोग की स्थापना प्रेस और देशे के हित में होगी। संसद में जब प्रेस अधिनियम, 1952 पर बहस चल रही थी तब सदस्यों ने भारतीय प्रेस की अनेक समानताओं, प्रेस कानून में संशोधन और पत्रकारों की स्थिति के सुधार पर पर कुछ सुझाव भी दिये थे। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 16 मई, 1952 को संसद में घोषणा की

थी कि सरकार प्रेस की समस्याओं पर विचार करने के लिए शीघ्र ही प्रेस आयोग का गठन करेगी।

इसी के अनुसार भारत सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को न्यायमूर्ति जी.एम. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के दस सदस्य थे– डॉ. सी.पी. रामास्वामी अय्यर, आचार्य नरेन्द्रदेव, डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. वी.के.आर.वी. राव, पी.एच. पटवर्धन, त्रिभुवन नारायण सिंह, जयपाल सिंह, जे. नटराजन, ए.आर. भट्ट और एम. चेलापति राव। (मूलतः ए.डी.मणि को सदस्य बनाया जाना था लेकिन वे विदेश गए थे, अतः उनके स्थान पर जे. नटराजन का नाम रखा गया)। 4 मार्च, 1953 को विदेश से लौटने पर मणि को सदस्य नियुक्त किया गया। मुरारीलाल चावला प्रेस आयोग के प्रथम सचिव थे। 19 फरवरी, 1953 को उनका अचानक देहान्त हो जाने पर एस. गोपालन को सचिव नियुक्त किया गया।

प्रथम प्रेस आयोग का विचार–क्षेत्र–

प्रेस आयोग को जिन बातों पर छानबीन कर अपना प्रतिवेदन और सुझाव देने थे, वे इस प्रकार थे–

- छोटे–बड़े समाचारपत्र, पत्रिकाओं, समाचार समितियां और फीचर सिंडीकेटों के नियंत्रण, प्रबंध, वित्तीय स्थिति और स्वामित्व।

- एकाधिकार और पत्र श्रृंखलाओं का संचालन व समाचार और विचार पर प्रभाव।
- प्रेस की मालिकाना कम्पनियाँ, विज्ञापन और अन्य बाहरी दबाव जिससे देश में स्वस्थ पत्रकारिता प्रभावित होती हो।
- पत्रकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, काम की उपस्थिति वेतनमान और उच्च व्यावसायिक मानदण्डों की स्थापना व उनकी सुरक्षा आदि जिनका इस व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है।
- अखबारी–कागज, मशीन छपाई एवं यांत्रिक संयोजन के यंत्रों की देश में निर्माण की संभावनाएँ।
- पत्रकारों के लिए आचार–संहिता, सरकार और प्रेस का संबंध, प्रेस सलाहकार समिति, संपादकों तथा पत्रकारों के विभिन्न संगठन।
- पत्रों की स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कानूनों में संशोधन।

प्रेस आयोग को अपना प्रतिवेदन 1 मार्च, 1953 को देना था लेकिन जाँच –पड़ताल में दो वर्ष लग गए। कठिन अथक् परिश्रम के बाद 14 जुलाई, 1954 को प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के सर्वेक्षण के लिए सांसदों, विधायकों, पत्रकारों व विभिन्न विषय–विशेषज्ञों आदि लगभग 1200 व्यक्तियों को प्रश्नावली भेजी, लेकिन कम संख्या में लोगों ने इस प्रश्नावली को भरकर भेजा। केवल 739 के ही उत्तर आयोग को प्राप्त

हुए। प्रेस आयोग की पहली बैठक 11 व 12 अक्टूबर, 1952 को नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, शिमला आदि स्थानों पर आयोग की 13 बैठकें 150 दिनों तक हुई। इसकी अंतिम बैठक 14 जुलाई, 1954 को बम्बई में हुई। उसी दिन सदस्यों ने प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर किए।

प्रेस आयोग का प्रतिवेदन तीन खण्डों में (पृष्ठ 1294) है–

- प्रेस जगत की जाँच और सुझाव।
- भारतीय पत्रकारिता का इतिहास।
- प्रश्नावलियाँ, परिशिष्ट, ज्ञापन, सर्वेक्षण तथा अर्थव्यवस्था। समाचार समितियाँ आकाशवाणी की गतिविधियाँ।

'भारतीय पत्रकारिता का इतिहास' जे. नटराजन ने लिखा है, जो उस समय 'ट्रिब्यून' (अंग्रेजी दैनिक, अम्बाला) के संपादक थे।

प्रथम प्रेस आयोग का भारतीय पत्रकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'नेशनल हेरल्ड' के संपादक, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रथम अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार एम. चेलापति राव ने प्रथम प्रेस आयोग के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है– 'प्रेस के बारे में इसका प्रतिवेदन आप्त वाक्य के रूप में काम कर रहा है। व्यापक संचार संबंधी इस महत्वपूर्ण साधन के कार्यकरण के बारे में अपने किस्म की पहली जाँच थी। इस आयोग ने बड़ा शिक्षाप्रद काम किया है। सत्यान्वेषक आयोग के नाते ऐसे उद्योग के लिए स्थायी

महत्व का कार्य किया जो बिल्कुल संगठित नहीं था। यह प्रयास इस आयोग में एक सुव्यवस्था पैदा करने वाली क्रांति के समान है जिसमें पहले न कोई कानून चलता था और न आत्म–संयम।[57]

प्रेस आयोग के मुख्य सुझाव –

आयोग के प्रतिवेदन का प्रथम खण्ड महत्वपूर्ण है। यह लगभग 450 पृष्ठों में है, जो 21 अध्यायों में विभक्त है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या 1165 है। प्रेस आयोग के सुझाव और उसका संक्षिप्त विश्लेषण अंतिम 21वें अध्याय में किया गया है। मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं–

- प्रेस आयोग का महत्वपूर्ण सुझाव 'प्रेस परिषद' की स्थापना का था। उसकी मान्यता थी कि स्वतंत्रता, विकास, पत्रकारों की उन्नति, पत्र मालिकों के दायित्व आदि का नियमन और पालन के लिए प्रेस परिषद् की स्थापना की जाए।
- पत्रों के निबन्धन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए ताकि वह प्रेस से सम्बद्ध तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित कर प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- पृष्ठानुसार मूल्य का (Price-Page-Schedule) नियम लागू किया जाए। विज्ञापन 40 प्रतिशत से अधिक न हों।
- विज्ञापन–परिषद् (Advertising Council) बनाई जाए जो विज्ञापनों के लिए आचार–संहिता बनाए।

[57] समाचारपत्र , एम. चेलापति राव, पृष्ठ 166।

- प्रत्येक समाचारपत्रों का लेखा–जोखा अलग–अलग रखा जाए। यदि कोई समाचारपत्र अपने एक से अधिक संस्करण प्रकाशित करता है, तो प्रत्येक संस्करण का आय–व्यय का विवरण अलग–अलग रखा जाएगा।
- समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की जाँच और व्यवस्था का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले।
- जिला–पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया जाए जिससे जिले–जिले में समाचार प्रकाशित हों। देश में अधिक संख्या में समाचारपत्रों का प्रकाशन हो।
- पत्र–पत्रिकाओं में ज्योतिषियों की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ प्रकाशित करना देश हित में नहीं है। अतः सरकार उनके विरूद्ध कदम उठाए।
- अपराध और कामुकता को बढ़ावा देने वाली कामिया–पट्टियों का प्रकाशन नहीं किया जाए क्योंकि इससे नई पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- समाचार–समितियों पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण न हो। उनके विकास के लिए निगम की स्थापना की जाए।
- समाचारपत्रों पर एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जाए।
- समाचारपत्र उद्योग पर से अन्य अद्योगों के मालिकों का नियंत्रण तथा प्रभाव कम से कम किया जाए।

- श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नियमित वेतन तथा कार्य के घण्टे निर्धारित किए जाएँ। साथ ही साथ पत्रकारों के हितों के लिए उद्योग–नियम उन पर भी लागू हों। श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा आयोग ने इस प्रकार की है– 'वह व्यक्ति जिसकी स्वीकृति वृत्ति तथा जीविका का मुख्य साधन पत्रकारिता है।'
- पत्रकारों के लिए आचार–संहिता का गठन किया जाए।
- प्रेस आयोग ने विभिन्न कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे हैं। इनमें प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट, विज्ञापन–कानून, भारतीय जाप्ता दीवानी और भारतीय जाप्ता फौजदारी, समुद्री चुंगी और तार कानून आदि उल्लेखनीय हैं।

स्वीकृत सुझाव –

भारत सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग के कुछ मुख्य सुझावों को स्वीकार कर लिया। ये सुझाव अग्रलिखित हैं–

- समाचारपत्रों के रजिस्ट्रेशन (Registrar of Newspapeers for India) का कार्यालय जुलाई, 1956 में स्थापित किया गया। प्रेस रजिस्ट्रार के माध्यम से अखबारी–कागज का वितरण होने लगा। जुलाई से दिसम्बर, 1956 की प्रथम प्रेस रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1957 को प्रस्तुत की गई।

- 'प्रेस परिषद' की स्थापना प्रेस आयोग का महत्वपूर्ण सुझाव था। सन् 1965 में प्रेस परिषद् कानून पास हुआ और जुलाई, 1966 को प्रेस परिषद का गठन किया गया।
- 20 दिसम्बर, 1955 से श्रमजीवी पत्रकार कानून–1955 लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत वेतन बोर्ड स्थापित हुए। पत्रकारों के काम के घण्टे, वेतनमान, अन्य सेवा शर्तो आदि का नियमन हुआ। सन् 1957 और 1960 से सेवा नियम बने और उनमें संशोधन हुए।
- 22 सितम्बर, 1962 को प्रेस सलाहकार समिति का गठन किया गया। अपनी अवधि के दो वर्ष पूरा करने पर सितम्बर, 1964 में वह समाप्त कर दी गई।
- भारत सरकार ने सन् 1956 में 'पृष्ठानुसार मूल्य नियंत्रण नियम' जारी किया। पूना से प्रकाशित 'सकाल' समूह के पत्रों की ओर से इस नियम के विरूद्ध 1960 में याचिका प्रस्तुत की गई। फलस्वरूप 25 सितम्बर, 1961 को सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अमान्य ठहराया। अतः सरकार ने 'पृष्ठानुसार मूल्य नियंत्रण नियम' वापस ले लिया।
- छोटे समाचारपत्रों के विकास और उनकी स्थिति की जाँच के लिए भारत सरकार ने आर.आर. दिवाकर की अध्यक्षता में एक जाँच समिति नियुक्त की। उक्त समिति ने 9 मार्च, 1966 को संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसने सिफारिश की 'पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण' को पुनः लागू किया जाए। छोटे

पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण की व्यवस्था हो। समिति की यह भी सिफारिश थी कि छोटे पत्रों को सजावटी विज्ञापनों का 50 प्रतिशत भाग दिया जाना चाहिए।

भारत में प्रेस की स्थिति पर पहली बार अध्ययन और उसका विश्लेषण प्रथम प्रेस आयोग के गठन के कारण संभव हो सका। आयोग ने जो संस्तुतियाँ की थीं वह भारतीय पत्रकारिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। भारत सरकार ने आयोग की कुछ ही सिफारिशें स्वीकार कीं और कुछ पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया।

'ट्रिब्यून' (अम्बाला) के तत्कालीन सम्पादक जे. नटराजन ने प्रथम प्रेस आयोग के द्वितीय खण्ड में 'भारतीय पत्रकारिता का इतिहास' (अंग्रेजी भाषा में) तैयार किया, उसे कुछ संशोधित कर प्रेस आयोग ने स्वीकार किया।

भारतीय पत्र प्रेस के विकास और प्रेस–जगत् पर पुनः अध्ययन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनता सरकार ने 29 मई, 1978 में द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की।

द्वितीय प्रेस आयोग :

भारत सरकार ने 29 मई, 1978 को एक अधिसूचना जारी कर द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.के. गोस्वामी थे। अन्य सदस्य थे–

- अबू अब्राहम, तत्कालीन कार्टूनिस्ट, इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली
- प्रेम भाटिया, तत्कालीन संपादक, ट्रिव्यून, चण्डीगढ़
- एस.एच. वात्स्यायन, तत्कालीन संपादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
- वी.के नरसिंहन, संपादक, डेन हेरल्ड, बैंगलौर
- मोइनिउद्दीन हरीस, उर्दू पत्रकार
- एस.एन. द्विवेदी, पूर्व सांसद
- प्रो. रवि जे. मथाई, तत्कालीन प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद
- फाली एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
- यशोधर एन. मेहता, अधिवक्ता
- अरूण शोरी, तत्कालीन सीनियर फैलो, इण्डियन कौंसिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च (सितम्बर, 1978 तक)
- निखिल चक्रवर्ती, संपादक, मेनस्ट्रीम, दिल्ली (शोरी के त्यागपत्र देने के बाद दिसम्बर, 1978 में नियुक्ति)।

सातवें लोकसभा चुनावों में नई सरकार के गठन के बाद पी.के. गोस्वामी ने 14 जनवरी, 1980 को त्यागपत्र दे दिया। फलस्वरूप आयोग का पुनर्गठन किया गया। 21 अप्रैल, 1980 को गठित इस आयोग के सदस्य इस प्रकार थे–

- शिशिर कुमार मुखर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
- पी.वी. गाडगिल, पत्रकार
- ईशरात अली सिद्दीकी, संपादक, कौमी आवाज, लखनऊ
- राजेन्द्र माथुर, तत्कालीन संपादक, नई दुनियस, इंदौर
- गिरिलाल जैन, तत्कालीन संपादक, टाइम्स ऑफ इण्डिया, बम्बई
- रणवीर सिंह, संपादक, मिलाप, दिल्ली
- के.आर. गणेश, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
- मदन भाटिया, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
- प्रो. एच.के. परांजपे, अर्थशास्त्री
- अमृता प्रीतम, उपन्यासकार।

मदन भाटिया के त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ के अध्यक्ष प्रेमचन्द वर्मा को इस आयोग का सदस्य बनाया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.एन. मुल्ला को भी आयोग का सदस्य बनाया गया। इस

प्रकार आयोग के सदस्यों की संख्या 11 हो गई। अमृता प्रीतम के 29 जनवरी, 1981 को त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के बाद आयोग की सदस्य संख्या फिर 10 हो गयी।

उद्देश्य –

न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रेस आयोग ने 3 अप्रेल, 1982 को अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया। आयोग का यह प्रतिवेदन आठ भागों में लगभग 2500 पृष्ठों का है। द्वितीय प्रेस आयोग को विभिन्न विषयों पर विचार करके अपने सुझाव देने थे, जिससे प्रेस के विकास और स्तर में सुधार लाया जा सके। विचार के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार थे–

- विकासशील तथा प्रजातान्त्रिक समाज में प्रेस की भूमिका।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में वर्तमान संवैधानिक संरक्षणों की उपयुक्तता और कमियाँ।
- प्रेस की स्वतंत्रता को आर्थिक, राजनैतिक एवं मालिकों और व्यवस्थापकों के दबाव से मुक्त रखने के लिए साधन एवं उपाय।
- प्रकाशकों, संपादकों, व्यवस्थापकों एवं व्यावसायिक पत्रकारों के बीच संबंध।
- छोटे एवं मध्यम वर्ग के समाचारपत्रों को अतिरिक्त संरक्षण।

- प्रेस को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यूज प्रिण्ट, विज्ञापन एवं सूचना नीति और पृष्ठ मूल्यसची की वैधानिकता।
- समाचार समितियों, फीचर समितियों की संरचना, समाचार का सीमा–क्षेत्र तथा समाचारों का आदान–प्रदान।
- पत्रकारिता का प्रशिक्षण और उसका विकास, जनसंचार में अनुसंधान।

आयोग की मुख्य सिफारिशें –

1. **प्रेस की भूमिका** – आयोग की मान्यता है कि लोकतान्त्रिक और विकासशील राष्ट्र में प्रेस की भूमिका सरकार के प्रति न तो शत्रुतापूर्वक हो और न ही मित्रतापूर्ण। उसका कार्य रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए। आयोग प्रेस से इस बात की अपेक्षा करता है कि उसे न तो सरकार का 'अविचारित विरोध' करना चाहिए और न उसका अन्ध समर्थन।

आयोग के अध्यक्ष मैथ्यू ने आपातकाल में लगी प्रेस–सेन्सरशिप पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। उनका मानना था कि यह आपातकाल की वैधानिकता पर विचार करना था जिसे संसद ने अपनी स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी। गिरिलाल जैन तथा अन्य कुछ सदस्य मैथ्यू के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आपातकाल में लगी प्रेस सेंसरशिप से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में तमिलनाडु सरकार द्वारा

बनाए गए प्रेस कानूनों का उल्लेख किया और इसे प्रेस विरोधी बताया। सभी सदस्यों ने राजनीतिक व सामाजिक जीवन मूल्यों में निरन्तर होने वाले ह्रास को रोकने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

2. **समाचारपत्र विकास आयोग** – प्रेस आयोग ने छोटे एवं मध्यम समाचारपत्रों के प्रसार–प्रचार और विकास के लिए समाचारपत्र विकास आयोग के गठन का सुझाव दिया।

प्रस्तावित समाचारपत्र विकास आयोग छोटे तथा मध्यम पत्रों को सस्ती दरों पर दूर मुद्रण सेवाएँ उपलब्ध कराने, समाचारपत्रों को अखबारी कागज उपलब्ध कराने, समाचार समितियों की दूर मुद्रण लाइनें दूर–दराज क्षेत्रों तक फैलाने और छोटे एवं मध्यम समाचारपत्रों के छपाई एवं छापाखाना तकनीक के विकास में सहयोग करेगा। इस प्रकार समाचारपत्र विकास आयोग छोटे एवं मध्यम समाचारपत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

3. **पृष्ठानुसार मूल्य एवं विज्ञापन समाचार–अनुपात** – आयोग ने संविधान में संशोधन कर समाचारपत्रों के पृष्ठों तथा मूल्य के मध्य उचित अनुपात लागू करने का सुझाव दिया। उसने निश्चित आकार के अनुरूप पृष्ठों की संख्या तय करके न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाचारों और विज्ञापनों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखने का विचार रखा। यह अनुपात बड़े समाचारपत्रों के लिए 60 : 40 मध्यम समाचारपत्रों के

लिए 50 : 50 तथा छोटे समाचारपत्रों के लिए 40 : 60 रखा गया है। आयोग ने यह भी कहा कि प्रेस की आजादी की दृष्टि से यह जरूरी है कि समाचारपत्र विज्ञापनों पर नहीं प्रसार संख्या पर अधिक निर्भर रहें।

प्रेस आयोग की रिपोर्ट पर राज्यसभा में दिए बयान में पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री गाडगिल ने 4 मई, 1986 को बताया कि समाचारपत्रों की पृष्ठ संख्या और उनके दाम तथा समाचार और विज्ञापन के बीच अनुपात निर्धारित किया जाए या नहीं इसके बारे में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जा रही है।

4. **विदेशी धन पर रोक** – आयोग ने समाचारपत्र में विदेशी धन के उपयोग पर चिन्ता व्यक्त की है और इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सिफारिश की।

5. **पत्र सूचना कार्यालय का पुनर्गठन** – आयोग ने समाचारपत्र सूचना कार्यालय के पुनर्गठन का सिफारिश की है ताकि छोटे एवं मध्यम समाचारपत्रों के हितों का ध्यान रखा जा सके। उसका मानना था कि पत्र सूचना कार्यालय का स्वरूप सूचना एवं समाचार कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए, जो रात–दिन कार्य करता रहे। इसकी सेवाएँ जिला और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रकाशित समाचारपत्रों व पत्रिकाओं को बराबर मिलती रहें। यह कार्यालय इन पत्र–पत्रिकाओं के प्रति उत्तरदायी रहे। आयोग का यह भी कहना था कि एक ऐसी सलाहकार समिति का गठन किया जाए,

जो समय–समय पर इनके कार्यो का मूल्यांकन करती रहे और सुझाव देती रहे।

6. **समाचार समिति** – आयोग ने अधिक समाचार समितियों के गठन करने का सुझाव दिया है ताकि इनके द्वारा समाचारपत्रों को समाचार व विचार व्यापक एवं विभिनन आयामों में दिए जा सकें। इनके माध्यम से फोटो, नक्शे आदि भी भेजे जा सकें। आयोग ने समाचार समितियों से इस बात की अपेक्षा की है कि वह ग्रामीण जीवन तथा उनकी समस्याओं को अपने समाचारों में समुचित स्थान दें। प्रेस आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं की एक प्रथम श्रेणी की समाचार समिति का गठन शीघ्र किया जाए। आयोग ने अंग्रेजी समाचार समिति पी.टी. आई. तथा यू.एन.आई. से अपेक्षा की है कि वे भारतीय भाषाओं की आधुनिक एवं उच्च स्तरीय समाचार समिति के गठन में पहल करे। आयोग की इसी सिफारिश के आधार पर यू.एन.आई. ने 1 मई सन् 1982 से हिन्दी समाचार समिति, 'यूनीवार्ता' और पी.टी.आई. ने 18 अप्रैल, 1986 से 'भाषा' प्रारंभ कर दी है। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री गाडगिल ने राज्यसभा में 14 मई, 1986 को घोषणा कि सरकार संवाद समितियों को अपना काम–काज करने में पूरा सहयोग देगी। सरकार ने इस सुझाव पर भी ध्यान दिया है कि जहाँ तक अंग्रेजी समाचार समितियों, 'यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया' और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का सवाल है, उन्हें उनके देश के भीतर

प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से समाचार सेवा प्रदान करने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए।

7. **चित्रकथाएँ तथा भविष्यवाणियाँ** – आयोग ने भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित चित्रकथाओं (Comic Strips) पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। उसने सुझाव दिा है कि जासूसी और अपराधी चित्रकथाएँ हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वथा प्रतिकूल हैं। उसकी मान्यता है कि भारतीय कथाओं, ऐतिहासिक महापुरूषों की जीवनियों व घटनाओं के चित्र–कथाओं में प्रस्तुत किया जाए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि पत्रों में भविष्यवाणियाँ, राशिफल के प्रकाशन को बंद कर देना चाहिए। ये अंधविश्वास और भाग्यवादिता के प्रतीक हैं।

8. **विज्ञापन नीति और विज्ञापनों में नारी** – प्रेस आयोग ने एक निश्चित विज्ञापन नीति तय करने का सुझाव सरकार को दिया है। उसका मानना है 'दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय' का विभाजन कर देना चाहिए तथा सरकारी विज्ञापन का भार स्वायत्तशासी संस्था को सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा गठित स्वायत्तशासी संगठन के अनुरूप ही राज्य–सरकारों को भी ऐसे संगठन का गठन करना चाहिए।

डी.ए.वी.पी. को विभाजित करने तथा सरकारी विज्ञापनों की जिम्मेदारी एक स्वायत्तशासी निगम को सौंपने की सिफारिश सरकार ने स्वीकार नहीं की। उक्त घोषणा पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री

गाडगिल ने 14 मई, 1984 को राज्य सभा में की। आयोग ने विज्ञापनों में भारतीय नारी की छवि के दुरूपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उसने फिल्मी पत्रिकाओं व सेक्स पत्र–पत्रिकाओं को रियायती मूल्य पर अखबारी कागज नहीं देने की भी सिफारिश की है।

9. **पत्रकारों को आवास सुविधाएँ** — आयोग ने श्रमजीवी पत्रकारों को दी जाने वाली सरकारी आवास सुविधा समाप्त करने की सिफारिश की है। उसका कहना है कि पत्रकारों को जो सरकारी आवास सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उनके लिए सरकार को पत्रकारों से बिना रियायती दर पर किराया वसूल किया जाना चाहिए। पत्रकार द्वारा सरकारी मकान खाली कर देने पर यह व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए।

10. **प्रेस परिषद्** — आयोग ने प्रेस परिषद द्वारा संवैधानिक सीमाओं में अब तक किए गए कार्यो की प्रशंसा की और उसे उपयोगी बताया तथा इस संस्था को जारी रखने का सुझाव दिया।

पत्रकार आचार–संहिता पर आयोग का मानना था कि समाचारपत्रों के लिए किसी प्रकार की आचार–संहिता तैयार करना वांछनीय नहीं है।

11. **समाचारपत्रों को अन्य उद्योगों से पृथक व न्यासाधिकारियों की नियुक्ति** — प्रेस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण

एवं विवादास्पद प्रस्ताव समाचारपत्रों को अन्य उद्योगों से अलग करने से है। आयोग का मानना है कि समाचारपत्र प्रकाशक के दस प्रतिशत से अधिक हित अन्य व्यवसायों व उद्योगों में निहित नहीं होने चाहिए, ना ही समाचारपत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यावसायिक हितों द्वारा नियंत्रित हो अर्थात् समाचारपत्र प्रकाशक के दस प्रतिशत से शेयर अधिक अन्य क्षेत्रों में नहीं होने चाहिए। उल्लेखनीय है कि बड़े समाचारपत्रों की इकाइयाँ पत्र–प्रकाशन के अतिरिक्त अन्य विभिनन उद्योगों में काफी धन नियोजित करती हैं। गाडगिल ने 14 मई, 1986 को राज्यसभा में बताया कि बड़े उद्योग समाचारपत्रों पर कब्जा न कर लें, इसके बारे में आयोग की सिफारिशों पर विचार का काम भी विशेषज्ञों की एक समिति को सौंपा जाएगा। आयोग ने समाचारपत्र के स्वामियों को लिखित रूप में अपने पत्र की नीतियाँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। पत्र स्वामियों तथा उसे संपादकों के मध्य न्यासाधिकारियों (Board of Trustees) के गठन का सुझाव दिया। बोर्ड पत्र की नीतियों की परिपालना पर ध्यान देगा। पत्र के स्वामियों और संपादकों के मध्य पैदा हुए किसी भी प्रकार के विवाद, मतभेद का समाधान भी इसी के द्वारा किया जाएगा। समाचारपत्र के स्वामित्व को अन्य उद्योगों से पृथक करने और न्यासाधिकारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर राजेन्द्र माथुर, तत्कालीन संपादक, नई दुनियाँ, एच.के. परांजपे, अर्थशास्त्री, तथा शिशिर कुमार मुखर्जी (कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) ने अपनी असहमति व्यक्त की।

12. **विदेश नीति और सुरक्षा** – आयोग ने राष्ट्रीय संकट के समय प्रेस से पूर्ण उत्तरदायित्व की अपेक्षा की है, जिसके प्रकाशन अथवा समाचार से शत्रु राष्ट्रों को युद्ध के दौरान लाभ होने की संभावना हो। उसका मानना है कि सत्ताधारी दल की सरकार की विदेशी नीति का मात्र समर्थन ही हमारा अभीष्ट नहीं है। विदेशी नीति के किसी भी मसले पर समाचारपत्र सरकारी रूख से भिन्न मत रखने को स्वतंत्र है और इसे अराष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता है।

13. **प्रेस कानूनों में संशोधन** – प्रेस आयोग ने सरकारी गोपनीयता कानून, व्यक्तिगत गोपनीयता, न्यायालय की अवमानना तथा संसद के विशेषाधिकार आदि कानूनों में कुछ आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम में ऐसा संशोधन किया जाएं, जिसमें समाचारपत्रों को राज्यों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार मिल सके, जिससे जनता राज्य के कार्यो व उसकी गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित हो सके। गाडगिल ने 14 मई, 1986 को राज्यसभा में घोषणा की कि सरकारी गोपनीयता कानून प्रेस की आजादी में बाधक नहीं है। आयोग का मत था कि पत्रकार को अपने स्त्रोत का उल्लेख सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए लेकिन उसे इस संदर्भ में पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्रकार को अपने स्त्रोत की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। गिरिलाल जैन, राजेन्द्र माथुर, एस.के. मुखर्जी, एच.के. परांजपे तथा ईशरात अली

सिद्दिकी इस राय से असहमत थे। उनका कहना था कि पत्रकार को अपने स्त्रोत की जानकारी न देने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

द्वितीय प्रेस आयोग ने प्रेस से उत्तरदायित्वपूर्ण तरीकों से कार्य (समाचार संकलन व लेखन) करने की अपेक्षा की है। उसका कहना है कि प्रेस को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाचारों को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति से उसे दूर रहना चाहिए।

आंयोग ने अदालत की मानहानि कानून की धारा 2 (सी) के उपबन्ध (ii) तथा (iii) में फौजदारी अवमानना की परिभाषा को परिवर्तित करने का सुझाव दिया है।

आयोग ने संसद और विधानसभा के लिए विशेषाधिकारों का एक निश्चित तथा परिभाषित नियम शास्त्र बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उसका कहना है कि विशेषाधिकार का सामान्य अर्थ जनता में विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य से लिया जाता है। अतः विशेषाधिकार शब्द के स्थान पर अधिकार तथा सुविधाएँ शब्द का प्रयोग किया जाए।

सिफारिशें स्वीकार – गाडगिल ने 14 मई, 1986 को राज्यसभा में घोषणा की कि सरकार ने द्वितीय प्रेस आयोग की 278 सिफारिशों में से 91 सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि आयोग की 77 सिफारिशों को सरकार ने नोट किया है और उनको राज्य सरकारों तथा प्रेस से संबंधित संगठनों को भेजने का फैसला किया है, ताकि वे इन सिफारिशों पर विचार करके उपयुक्त कार्यवाही कर सकें।

गाडगिल ने कहा कि 26 सिफारिशें ऐसी हैं, जिनका गहराई से अध्ययन करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है। सरकार ने आयोग की 48 सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है। प्रेस की आजादी के प्रति वचनबद्धता और उसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति के अंतर्गत ही इस संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करने का निश्चय किया है। सरकार ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय प्रेस परिषद् ऐसे सिद्धांत बना सकेगी ताकि अपने लिए आचार–संहिता स्वयं बना सके।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 :

भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। यही वह स्वतंत्रता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। प्रेस व्यक्ति के विचारों के आदान–प्रदान का एक सशक्त मंच है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। साथ ही

प्रेस का दायित्व है कि वह पत्रकारिता की स्वस्थ। परम्परा को बनाये रखे तथा अपने स्तर को सदैव शीर्षस्थ पर रखे।

इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1978 में प्रेस परिषद अधिनियम बनाया गया है।

- **संक्षिप्त नाम और विस्तार** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 है।
- इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
- **'अध्यक्ष'** से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- **'परिषद्'** से धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय प्रेस परिषद् अभिप्रेस है;
- **'सदस्य'** से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है;
- **'विहित'** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- **'सम्पादक'** और 'समाचार–पत्र' पदों की वही अर्थ हैं जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में हैं और 'श्रमजीवी पत्रकार' पद का वही अर्थ है जो श्रमजीवी

पक्षकार और अन्य समाचार–पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955, (1955 का 45) में है।

3. **उन अधिनियमितों के संबंध में अर्थान्वयन का नियम जिनका विस्तार जम्मू–कश्मीर और सिक्किम राज्यों पर नहीं है**–इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश का, जो जम्मू–कश्मीर अथवा सिक्किम राज्यों में प्रवृत्त नहीं है, ऐसे राज्य के संबंध में अर्थान्वयन ऐसे राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति निर्देश से, यदि कोई हो, किया जाएगा।

प्रेस परिषद् की स्थापना :

4. **परिषद् का निगमन**–(1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, भारतीय प्रेस परिषद के नाम से एक परिषद की स्थापना की जाएगी।

(2) उक्त परिषद, शाश्वत उत्तराधिकारी और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

5. **परिषद् की संरचना** – (1) परिषद एक अध्यक्ष और अट्ठाईस अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति होगा जो समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और यह समिति राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के

अध्यक्ष और उपधारा (6) के अधीन परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति से मिलकर बनेगी और इस प्रकार किया गया नाम निर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा। जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(3) अन्य सदस्यों में से,—

(क) तेरह श्रमजीवी पत्रकार, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो विहित की जाए, जिनमें से छह समाचार—पत्रों के सम्पादक होंगे और शेष सात सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार होंगे, किन्तु भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार—पत्रां के संबंध में ऐसे सम्पादकों की और सम्पादकों से भिन्न ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या क्रमशः तीन और चार से कम नहीं होगी ;

(ख) छह उन व्यक्तियों में से, जो समाचारपत्रों के स्वामी हों या समाचार—पत्रों प्रबंध का कारबार करते हों, ऐसी प्रक्रियया के अनुसरण में नामविर्दिष्ट किए जाएँगे जो विहित की जाए, किन्तु यह इस प्रकार किया जाएगा कि बड़े समाचार—पत्रों, माध्यम समाचार—पत्रों, और छोटे समाचार—पत्रों के प्रत्येक प्रवर्ग में से दो प्रतिनिधि होंगे ;

(ग) एक उन व्यक्तियों में से, जो समाचार एजेन्सियों का प्रबन्ध करते हों, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो विहित की जाए;

(घ) तीन ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो और इनमें से क्रमशः एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक भारत की विधिज्ञ परिषद द्वारा और एक साहित्य अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ड.) पाँच संसद सदस्य होंगे जिनमें से तीन लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएँगे और दो राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएँगे :

परन्तु कोई श्रमजीवी पत्रकार, जो किसी समाचार–पत्र का स्वामी हो या उसके प्रबन्ध का कारबार करता हो, खंड (क) के अधीन नामनिर्देशन का पात्र न होगा;

परन्तु यह और कि खंड (क) और (ख) के अधीन नामनिर्देशन इस प्रकार किए जाएँगे कि नामनिर्देशित व्यक्तियों में से एक से अधिक ऐसे व्यक्ति न हों जो किसी किसी समाचार–पत्र में यह एक ही नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन समाचार–पत्रों के किसी समूह में हितबद्ध हों।

[58](स्पष्टीकरण– खण्ड (अ) के प्रयोजनार्थ किसी समाचार पत्र को उसके प्रत्येक अंक के परिचलन क आधार पर बड़े, मध्यम अथवा छोटे समाचारपत्र के रूप में इस तरह वर्गीकृत किया गया समझा जायेगा जैसा केन्द्रीय सरकार समस–समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करें।)

(4) उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई नामनिर्देशन करने के पूर्व, प्रथम परिषद् की दशा में, केन्द्रीय सरकार, और किसी पश्चात्वर्ती परिषद की दशा में पूर्ववर्ती परिषद का निवृत्त होने वाला अध्यक्ष, उक्त खंड (क), (ख) या खंड (ग) में ोर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियों क ऐसे संगमों में, जो प्रथम परिषद की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा और पश्चातवर्ती परिषदों की दशा में स्वयं परिषद् द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएँ, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की दुगुनी संख्या में नामों के पेनल विहित रीति से आमंत्रित करेगा;

परन्तु जहाँ उक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों का कोई संगम नहीं हैं, वहाँ ऐसी समाचार एजेन्सियों से, जो उपर्युक्त रूप में अधिसूचित की जाएँ, नामों के पेनल आमंत्रित किए जाएँगे।

(5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) के अधीन सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम,राजपत्र में अधिसूचित करेगी और ऐसा

[58] प्रेस परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रत्येक नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिसूचित किया जाता है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित परिषद् के सदस्य उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को अपने में से ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में निर्वाचित करेंगे जो विहित की जाए और ऐसे निर्वाचन के प्रयोजन के लिए परिषद के सदस्यों के अधिवेशन का सभापतित्व वह व्यक्ति करेगा जो उनके द्वारा अपने में से चुनाा गया हो।

6. **सदस्य की पदाविध और निवृत्ति** — इस धारा में जैसा उपबिन्धत है उसके सिवाय, अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु अध्यक्ष, ऐसा पद, धारा 5 के उपबन्धों के अनुसरण में परिषद् के पुनर्गठित होने तक या छह मास की अवधि के लिए, इनमें से जो जो भी पूर्वतर हो, धारण करते रहेंगे।

(2) यदि धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क), (ख) या खंड (ग) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति धारा 14 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन परिनिन्दित किया जाता है तो वह परिषद का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसी समय समापत हो जाएगी ज

बवह उस सदन का सदस्य न रह जाए जिससे वह नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(4) यदि कोई सदस्य किसी ऐसे प्रतिहेतु के बिना, जो परिषद की राय में पर्याप्त हो, परिषद के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसनके अपना स्थान रिक्त कर दिया है।

(5) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और कोई भी अन्य अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, यथास्थिति सरकार या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद त्याग दिया है।

(6) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन या अन्यथा होने वाली कोई रिक्ति यथाशक्यशीघ्र, उसी रीति से नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी जिस रीति से पद रिक्त करने वाले सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया गया था और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, पद धारण करता।

(7) निवृत्त होने वाला सदस्य अधिक से अधिक एक पदाविध के लिए पुनः नामनिर्देशित किए जाने का पात्र होगा।

7. सदस्य की सेवा की शर्तें – (1) अध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे ऐसा वेतन दिया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, और अन्य परिषद के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करेंगे जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदस्यों की सेवा की शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाएँ।

(3) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि परिषद् के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या रहने के लिए निरर्हित नहीं करेगा।

8. परिषद की समितियाँ – (1) परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों में से साधारण या विशेष प्रयोजनों के लिए ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित प्रत्येक समिति ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो परिषद उसे सौंपे।

(2) परिषद को उतनी संख्या में, जितनी वह ठीक समझे, ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो परिषद के सदस्य नहीं हैं, उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी।

(3) किसी भी ऐसे सदस्य को उस समिति के किसी भी अधिवेशन में, जिसमें उसे इस प्रकार सहयोजित किया गया, हाजिर

होने का और वहाँ पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

9. **परिषद और समितियों के अधिवेशन** — परिषद् या उसकी किसी समिति का अशिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएँ।

10. **परिषद के सदस्यों में रिक्तियाँ होने या उसके गठन में त्रुटि होने से परिषद से कार्यों और कार्यवाहियों का अधिमान्य न होना**— परिषद् का कोई भी कार्य या उसकी कोई भी कार्यवाही परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

11. **परिषद् के कर्मचारीवृन्द** — (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निमित्त बनाए जाएँ, परिषद् एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे।

(2) कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएँ।

12. परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन– परिषद के सभी आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन अध्यक्ष या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से होगा और परिषद् द्वारा निकाली गई अन्य लिखितों का अधिप्रमाणन सचिव या परिषद् के किसी अन्य ऐसे अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से होगा जो इस निमित्त उसी रीति से प्राधिकृत हो।

अध्याय 3 : परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य :

13. परिषद के उद्देश्य और कृत्य – परिषद् का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार–पत्रों तथा समाचार एजेसियों के स्तर बनाए रखना तथा उनमें सुधार करना होगा।

(2) परिषद् अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात–

(क) समाचार–पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में उसकी सहायता करना ;

(ख) समाचार–पत्रों, समाचार एजेन्सियों और पत्रकारों के लिए उच्च वृत्तिक स्तर के अनुसार एक आचार संहिता बनाना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समाचार–पत्रों, समाचार एजेन्सियों और पत्रकारों की ओर से लोक–रूचि के उच्च स्तर बनाये रखे जाएं और नागरिक अधिकारों, उत्तरदायित्वों दोनों की सम्यक् भावना का पोषण करना ;

(घ) उन सब व्यक्तियों में जो पत्रकारिता की वृत्ति में लगे हैं, उत्तरदायित्व और लोक–सेवा की भावना प्रोत्साहित करना;

(ड.) ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक–महत्व के समाचार के प्रदान और प्रसार का निर्बन्धन सम्भावय हो, विचार करते रहना;

- भारत के किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसियों द्वारा किसी विदेशी स्त्रोत से प्राप्त सहायता के मामलों का, जिनके अंतर्गत वे मामले भी हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किये जाएं या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाए जाएं, पुनर्विलोन करते रहना: परन्तु इस खंउ की कोई बात भारत के किसी भी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी द्वारा किसी विदेशी स्त्रोत से प्राप्त सहायता के किसी मामले में किसी अन्य रीति से, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, कार्यवाही करने से केन्द्रीय सरकार को प्रवारित न करेगी;
- विदेशी समाचार पत्रों के, जिनके अंतर्गत किसी राजदूतावास द्वारा या भारत में विदेशी राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा निकाली गई पत्रिकाएँ भी हैं, अध्ययन का भार अपने ऊपर लेना, उसका परिचलन और प्रभाव।
- समाचार–पत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्वामित्व के संकेन्द्रण या उसके अन्य पहलुओं से संबंधित ऐसी घटना पर निगाह रखना जिनका प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता हो ;

- ऐसे अध्ययन–कार्य हाथ में लेने जो परिषद को सौंपे जाएँ और किंसी ऐसे विषय के बारे में अपनी राय प्रकट करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जाएँ;
- ऐसे अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त कृत्यों के निर्वहन में आनुषंगिक या साधक हों। प्रेस की स्वतंत्रता अबाध नहीं है। उसे किसी भी प्रकार के अश्लील एवं अभद्र लेख अथवा समाचार प्रकाशित करने की छूट नहीं है।

किसी भी समाचार को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। सम्पूर्ण समाचार पढ़कर उसका अर्थ लगाया जाता है। अतः प्रेस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिये।[59]

14. **परिनिन्दा करने की शक्ति** : जहां परिषद को उसक किये गये परिवाद के प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी समाचार–पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता सदाचार या लोक–रूचि का अतिवर्तन किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार को कोई वृत्तिक अवचार किया है वहाँ परिषद सम्बद्ध समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस रीति से जाँच कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित हो और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे

[59] अजय गोस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 493)

कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएँगे, यथास्थिति उस समाचार–पत्र, समाचार एजेन्सी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकेगी, उसकी भर्त्सना कर सकेगी या उसकी परिनिन्दा कर सकेगी, या उस सम्पादक या पत्रकार के आचरण का अनुमोदन कर सकेगी :

परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में जाँच करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो परिषद् किसी परिवाद का संज्ञान नहीं कर सकेगी।

(2) यदि परिषद् की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह किसी समाचार–पत्र से अपेक्षा कर सकेगी कि वह समाचार–पत्र या समाचार एजेंसी, सम्पादक या उसमें कार्य करने वाले पत्रकार के विरूद्ध इस धारा के अधीन किसी जाँच से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों को, जिनके अंतर्गत उस समाचार–पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार का नाम भी है, उसमें ऐसी रीति से, जैसी परिषद् ठीक समझे, प्रकाशित करे।

(3) उपधारा (1) की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह परिषद को किसी ऐसे मामले में जाँच करने की शक्ति प्रदान करती है जिसके बारे में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित हो।

(4) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायाय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

15. परिषद की साधारण शक्तियाँ — (1) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन या कोई जाँच करने के प्रयोजन के लिए परिषद को निम्नलिखित बातों के बारे में सूपूर्ण भारत में वे ही शक्तियाँ होंगगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित हैं, अर्थात् :–

(क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर करना तथा उनकी शथ्प पर परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण;

(ग) साक्ष्य का शपथ पर लिया जाना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना;

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी समाचार–पत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को, उस समाचार–पत्र द्वारा प्रकाशित या उस समाचार एजेंसी सम्पादक या पत्रकार द्वारा प्राप्त या रिपोर्ट

किए गए किसी समाचार या सूचना का स्त्रोत प्रकट करने के लिए विवश करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(3) परिषद् द्वारा की गई प्रत्येक जाँच भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(4) यदि परिषद् अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अंतर्गत सरकार भी है, आचारण के संबंध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

16. फीसों का उद्ग्रहण – (1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए फीस ऐसी दर पर और रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत समाचार–पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों से उद्ग्रहीत कर सकेगी और विभिन्न समाचार–पत्रों के लिए विभिन्न दरें, उसके प्रचार और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, विहित की जा सकेंगी।

(2) परिषद् को उपधारा (1) के अधीन संदेय कोई फीस भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

शब्द 'उदग्रहण' (Levy) से अभिप्राय वसूल या संग्रहीत करने से है।[60]

फिर शुल्क (फीस) का न्यायसम्मत होना भी आवश्यक है।[61]

17. परिषद् को संदाय – केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशियों को संदाय अनुदानों के रूप में कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों का पालन के लिए आवश्यक समझे।

18. परिषद् की निधि – (1) परिषद की अपनी निधि होगी और परिषद् द्वारा संग्रहित फीस, और ऐसी बात राशियाँ, जो समय–समय पर उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त की जाएँ और सभी अनुदान तथा अग्रिम धन, जो किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा दिए गए है, निधि में जमा किए जाएंगे, और परिषद् द्वारा सभी संदाय उस निधि में ऐ किए जाएँगे।

---

[60] मेहताब सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदष। (1979) 4 एस.सी.सी. 597)
[61] मेहता इस्पात लि. बनाम सी.एम.ओ. (ए.आई.आर. 1981 मध्यप्रदेष 62)

(2) परिषद् ऐसी राशियाँ व्यय कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ठीक समझे और ऐसी राशियाँ परिषद् की निधि में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

19. बजट – प्रत्येक वर्ष में परिषद् ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में एक बजट तैयार करेगी, जिसमें प्राक्कलित आय और व्यय दर्शित होंगे और उसकी प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएँगी।

20. वार्षिक रिपोर्ट – परिषद् प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पूर्व वर्ष में किए गए अपने कार्य–कलापों का संक्षेप और समाचार–पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों के स्तर पर और उन पर प्रभाव डालने वाली बातों का लेखा होगा और उसकी प्रतियाँ धारा 22 के अधीन विहित संपरीक्षित लेखा विवरण सहित केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएँगी और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

21. अन्तरिम रिपोर्ट – धारा 20 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् एक वर्ष में किसी भी समय, उस वर्ष के दौरान अपने ऐसे क्रिया–कलापों का संक्षेप में देते हुए रिपोर्ट तैयार कर सकेगी जिन्हें वह लोक महत्व का समझे और उसकी प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

22. लेखा और संपरीक्षण – परिषद् के लेखे ऐसी रीति से रखे और सम्परीक्षित किए जाएँगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श से विहित की जाए।

अध्याय 4 :

प्रकीर्ण

23. सद्भावनापूवक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण – (1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, परिषद् या उसके किसी भी सदस्य या परिषद् के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी समाचार–पत्र में परिषद् के प्राधिकार से प्रकाशित किसी भी विषय के बारे में उस समाचार–पत्र के विरुद्ध नहीं होगी।

24. सदस्य आदि लोक सेवक होंगे– परिषद् का प्रत्येक सदस्य और परिषद द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

25. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियमके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी :

परन्तु जब परिषद् स्थापित कर दी गई हो तब ऐसे कोई भी नियम परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएँगे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए भी उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख), और खंड (ग) के अधीन परिषद् के सदस्यों के नाम–निर्देशन की प्रक्रिया;

(ख) वह रीति जिससे धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन नामों के पेनल आमंत्रित किए जा सकेंगे;

(ग) धारा 5 की उपधरा (2) में निर्दिष्ट समिति के सदस्य की उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन निर्वाचित करने की प्रक्रिया;

(घ) वे भत्ते और फीसें जो परिषद् के सदस्यों को परिषद् के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए संदत्त की जाएँ और धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अधीन ऐसे सदस्यों के सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ.) धारा 11 के अधीन परिषद् के सचिव और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति;

(च) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट विषय;

(छ) वे दरें जिन पर परिषद् द्वारा धारा 16 के अधीन फीस उद्ग्रहीत की जा सकेगी और रीति जिससे ऐसी फीस उद्ग्रहीत की जा सकेगी ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर बजट और वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः धारा 19 और 20 के अधीन परिषद् द्वारा तैयार किए जाने है;

(झ) वह रीति जिससे परिषद् के लेखे रखे जाएँगे और धारा 22 के अधीन उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, ज बवह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप

में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. विनियम बनाने की शक्ति – परिषद् निम्नलिखित के लिए ऐसे विनियमन बना सकेगी जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों, अर्थात् :–

(क) परिषद् या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों और उनमें कामकाज की प्रक्रिया का धारा 9 के अधीन विनियमन;

(ख) परिषद् द्वारा नियुक्त किए गये कर्मचारियों की सेवा के निबन्धों और शर्तों का धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्देश;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कोई भी जाँच करने की रीति का विनियमन;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, परिषद, के अध्यक्ष या सचिव को धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन अपनी शक्तियों में से किसी का प्रत्यायोजन;

(ङ.) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जा सकता है;

परन्तु खंड (ख) के अधीन बनाए गए विनियम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही बनाए जाएँगे।

27.1867 के अधिनियम 25 का संशोधन– प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1967 की धारा–8 ग की उपधारा (1) में, ''केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य को मिलकर बनेगा'' शब्दों के स्थान पर ''प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नाम–निर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा'' शब्द और अंक रखे जाएँगे।

इकाई – 5

विज्ञापनों की आचार संहिता :

विज्ञापन में जो कुछ लिखा जाए तथा जो चित्रित किया जाए या जो भी प्रदर्शित किया जाए वह सामाजिक–आचार–व्यवहार के अनुरूप हो अन्यथा विज्ञापन देखते ही उपभोक्ता की विज्ञापनकर्ता के प्रति अप्रिय धारणा बनेगी। इस दृष्टि से विज्ञापन–जगत के लिए विज्ञापन विषयक कानून तथा आचार–संहिता की आवश्यकता होती है। विज्ञापनों पर भी संविदा कानून, लॉ ऑफ टार्टस, ट्रेडमार्क, ट्रेडनेम्स, डिजाइन कानून, कापीराइट, खाद्य तथा पेय संबंधी कानून, मान–हानि कानून आदि लागू होते हैं।

विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण न हो और उन्हें धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े ; इस प्रयोजन हेतु अनेक विज्ञापन विषयक कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह तथा शोषण से बचाना है। ये कानूना हैं–

1. स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986–

इस कानूना का नारी–विज्ञापन विषय से प्रत्यक्ष संबंध है। आजकल नारी विज्ञापन से इतनी अधिक जुड़ गई है कि टेलीविजन चैनल एवं प्रिन्ट मीडिया में बना नारी के कोई विज्ञापन की कल्पना नही की जा सकती है। एड एशिया–2003 (जयपुर में आयोजित) के अनुसार, "विज्ञापन के दिग्गज, औरत को विज्ञापन में दिखाना जरूरी

मानते है।''[62] मेडिसन कम्यूनिकेशन प्रा.लि. के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सैम बलसारा का मत है कि आज के दौर में प्रोडक्ट की पहचान बनाने में सफल वही विज्ञापन माना जाता है, जिसमें महिला पात्र होती है। भले ही यह टी.वी. हो, कपड़े हों अथवा शेविंग क्रीम या ब्लेड। परिवार में बच्चों के लिए यदि किसी प्रोडक्ट को दिखाना हो तो उसमें माँ की भूमिका दर्शाए बिना विज्ञापन अधूरा ही माना जाता है। एडवरटाइजिंग एवन्यूज के गौतम रक्षित का मानना है कि विज्ञापन में ग्लैमर शामिल होता है और बिना नारी के किसी विज्ञापन और उससे जुड़ी कंपनी की सफलता की गारन्टी नहीं दी जा सकती।

स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 के मुख्य बिन्दु ये हैं–

- स्त्री के ऐसे रूप को चित्रित करना जिससे किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से चित्रण करना, अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव अशिष्ट होगा या स्त्रियों हेतु असम्मानजनक या अपमानकारी होगा अथवा किसी वर्ग या आयु समूह के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को दुराचारी या भ्रष्ट बनना या लोक नैतिकता के द्वारा संभाव्य है चाहे उससे किसी अन्य वर्ग या आयु समूह के व्यक्ति पर वैसा ही प्रभाव न पड़े।

[62] दैनिक भास्कर, 13 नवम्बर, 2003 ।

- यह अधिनियम ऐसे सभी विज्ञापनों—प्रकाशनों आदि को बंधित करता है, जिसमें किसी भी स्त्री के अशिष्ट रूप का वर्णन चित्रण है।
- यह ऐसी पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के, जिनमें स्त्री के अशिष्ट रूपण को लिया गया है, का विक्रय, वितरण, परिचालन प्रतिबंधित करता है।
- इस अधिनियम के अधीन अपराधों के पहली बार दोष सिद्ध होने पर दोनों में से किसी भी पकार के कारावास के, जिसकी अवधि दो वर्ष तक ही हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय प्रावधान किया गया है। दूसरी व उसके बाद के अपराधों की दोष सिद्धि पर भारी दंड का प्रावधान होगा।

2. एकाधिकार व अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1969—

इस अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला आर्थिक शक्ति के आधुनिकीकरण को रोकना ताकि एकाधिकार वाले व्यापारिक व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सके और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप विकासों को बढ़ावा मिले। दूसरे ऐसे गलत व्यापारिक व्यवहारों पर रोक लगाना जो उपभोक्ता हितों के विरूद्ध हैं।

3. व्यापार एवं व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम, 1958–

व्यापार के लिए प्रयोग में लाए जा रहे व्यापारिक चिन्हों को यह अधिनियम सुरक्षा प्रदान करता है। एक व्यापारिक चिन्ह पर उसके निर्माता का स्वामित्व होता है और उसे केवल निर्माता द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उसका दुरूपयोग किया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986–

यह अधिनियम उपभोक्ता हितों के बेहतर संरक्षण के लिए निर्मित किया गया है। उपभोक्ता से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों व अन्य प्राधिकरणों की स्थापना और इससे जुड़े विषयों के उपबन्ध करने हेतु है।

यह उपभोक्ता से जुड़े मसलों के साथ–साथ उपभोक्ता अधिकारों का संवर्धन व संरक्षण करने के लिए युक्तियाँ भी निश्चित करता है; जैसे–

- ऐसे उत्पाद के विपणन के विरूद्ध सुरक्षा का अधिकार जो जीवन व संपत्ति के लिए संकटकारक है।
- खरीदे जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक व मूल्य के विषय में सूचना दिए जाने का अधिकार जिससे कि उपभोक्ता को ऐसे अनुचित व्यापारिक व्यवहारों से बचाया जा सके, जिसमें उसकी हानि होती है।

- यदि संभव हो तो प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर माल की पहुँच का आश्वासन दिए जाने का अधिकार।
- सुने जाने और यह आश्वस्त किए जाने का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर उचित माध्यमों व मंचों द्वारा सम्यक् विचार किया जाएगा।
- अनुचित व्यापारिक तरीकों व शोषण के विरुद्ध न्याय का अधिकार।
- उपभोक्ता जागरूकता व शिक्षा का अधिकार।

उपर्युक्त उद्देश्यों के संवर्द्धन व संरक्षण हेतु परिषदों की स्थापना केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर पर की जाएगी। उपभोक्ता विवादों को निपटाने और सरल प्रतितोषण हेतु अर्द्धन्यायिक मशीनरी, जिला, राज्य व केन्द्रीय स्तर पर गठित की जाएगी। यह अर्द्धन्यायिक निकाय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे, साथ ही उन्हें एक विनिर्दिष्ट प्रकृति का अनुदेश देने के लिए और जहाँ उचित हो वहाँ उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए सशक्त किया गया है। अर्द्धन्यायिक निकायों द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।

5. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 –

इस नियम के माध्यम से भी उपभोक्ता हितों को सुनिश्चित किया गया है। अधिनियम का मुख्य संबंध में निर्मित औषधियों के

मानकों व शुद्धता से तथा उनके निर्माण, विक्रय, वितरण नियंत्रण से है। सरकार किसी भी ऐसे औषधि या प्रशाधन सामग्री के आयात, उत्पादन, वितरण आदि पर रोक लगा सकती है, यदि वह उत्तम स्तर की नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि सरकारी रिपोर्टों का इस्तेमाल अपराध है।

6. औषधि एवं जादुई इलाज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 –

इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाना है, जिनमे बीमारियों हेतु जादुई इलाज संबंधी दोवे किए जाते हैं। यह अधिनियम सरल व अशिक्षित व्यक्तियों को हानिप्रद दवाएँ लेने व नीम–हकीमों को हतोत्साहित करने में मदद करता है।

7. बाट व माप अधिनियम, 1976 –

यह अधिनियम वाणिज्यिक व्यवहारों, औद्योगिक मापों और जनता तथा मानव सुरक्षा हेतु आवश्यक मापों में मीट्रिक शुद्धता सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। अमानवीय बाट मापों के द्वारा वस्तुओं के विक्रय व दिए जाने जैसे गंभीर अपराधों हेतु दंड का प्रावधान किया गया है।

8. खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1986 –

उपभोक्ता के हित में यह ऐसा विधान है, जो खाद्य वस्तुओं में अपमिश्रण के निवारण हेतु निर्मित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठनों को विधि अनुसार नमूने लेने और जहाँ आवश्यक हो वहाँ अभियोजन का अधिकार नहीं था; किन्तु संशोधन के पश्चात् खाद्य वस्तु का क्रेता भी विहित फीस का भुगतान करके लोक विश्लेषक के लिए नमूने ले सकता है। यदि विश्लेषण की रिपोर्ट में अशुद्धि या मिलावट पाई जाती है तो न्यायालय में विधिक कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है।

9. चिन्ह एवं नाम (अनुप्रयुक्त प्रयोग पर रोक) अधिनियम, 1950 –

जिन कम्पनियों के विज्ञापनों में संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति व अन्य ऐसे संगठनों आदि के नाम या चिन्ह के प्रयोग पर रोक है। इसी तरह भारत सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपालों के नाम, उनकी मुहर और राष्ट्रीय ध्वज आदि का अनाधिकृत प्रयोग वर्जनीय है। अशोक चक्र, धर्म चक्र, जिनसे भारत सरकार के संरक्षण का आभास मिलता है, निजी विज्ञापनों में उनका प्रयोग वर्जित है। राष्ट्रीय सम्मान को

बचाने के भी प्रावधान विद्यमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान दंडनीय विधान है।

अन्य कानून –

अन्य ऐसे प्रावधान जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध विज्ञापनों से है, वे इस प्रकार हैं–

- भारत सुरक्षा अधिनियम, 1971
- ठेकेदारी श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957
- आबकारी अधिनियम, 1962
- आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955
- भारतीय दंड संहिता, 1860
- भारतीय गोपनीयता अधिनियम, 1963
- भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898
- भारतीय तार (टेलीग्राफ) अधिनियम, 1885
- पेटेण्ट अधिनियम, 1970
- प्रेस व पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1868
- प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978
- युवा व्यक्ति (हानिप्रद प्रकाशन) अधिनियम, 1956
- पुरस्कार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1955

- पैकेटबन्ध वस्तुओं का नियमन से संबंधित अधिनियम, 1976
- बाट व माप मानक (संशोधन) अधिनियम, 1986
- बम्बई लॉटरीज (नियंत्रण व कर) और पुरस्कार प्रतिस्पर्धा (कर) अधिनियम, 1958
- विदेशी विनियम रेगुलेशन अधिनियम ।
- तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक।

विज्ञापन विषयक आचार संहिताएँ :

विज्ञापनकर्ताओं के लिए इण्डियन न्यूजपेपर सोसायटी, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस् कौंसिल ऑफ इण्डिया, डी.ए.वी.पी., एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया आदि ने आचार संहिताएँ बनाई हैं। एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस कौंसिल ऑफ इण्डिया की स्थापना विज्ञापनकर्ताओं, विज्ञापन एजेंसियों, समाचारपत्र–पत्रिकाओं द्वारा द्वारा की गई है। इस संस्था ने विज्ञापन संबंधी आचार संहिता बनाई है.। देश के प्रमुख समाचार–पत्र, दूरदर्शन व रेडियों आदि की आचार संहिताएँ हैं, जो उनके विज्ञानदाताओं पर लागू होती हैं। एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस् कौंसिल ऑफ इण्डिया के द्वारा बनाई गई संहिता में विज्ञापन कार्यवाही के विषय में कई सावधानियों का उल्लेख किया गया है। आचार संहिता में कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापनों के विरूद्ध उपभोक्ता को सुरक्षा मिले। विज्ञापित सच्चाई और ईमानदारी के दावों को सुनिश्चित करे। विज्ञापनों में सैक्स के भौंडे प्रदर्शन का विरोध एवं यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक शिष्टता के

सर्वमान्य स्तर को अपनाए। समाज के लिए या लोगों के लिए हानिकाकर वस्तुओं के विज्ञापन के बेतहाशा उपयोग के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करें । यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापन प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी बरतें ताकि उपभोक्ता को बाजार में अपनी जरूरत और पसंद की वस्तु प्राप्त हा सके और व्यापार में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित हो सके।

'एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस् कौंसिल ऑफ इण्डिया' के द्वारा विज्ञापनों के लिए कुछ आदर्श बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। उनमें प्रमुख हैं–

- विज्ञापनों के डिजायन इस प्रकार तैयार किए जाएँ कि देश के कानूनों के अनुकूल तो हों ही, साथ ही नैतिक सौन्दर्यपरक तथा धार्मिक संवेदनाओं के भी अनुरूप हों।
- ऐसे विज्ञापनों को जिनमें मानहानि या असम्मान की भावना प्रदर्शित होने की संभावना हो, अनुमति नहीं देने चाहिए। विज्ञापनों के द्वारा आम जनता के अंधविश्वासों अथवा अनभिज्ञता का फायदा नहीं उठाना चाहिए।
- आम जनता के अंधविश्वासों का फायदा उठाते हुए निजी स्वार्थो की पूर्ति के लिए विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए।

- विज्ञापन में सतही एवं सत्य को तोड़–मरोड़ कर तथा गुमराह करने वाले तथ्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उदाहरणर्थ– झूठे व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जाए।
- विज्ञापनों में ऐसे अतिरिक्त दावे ने हों जिनसे जनता के मध्य निश्चित रूप से निराशा पनपे।
- विज्ञापन इस प्रकार के नहीं बनाए गए हों जिनसें उपभोक्ताओं के मन में एक ही वस्तु, जो दो अलग–अलग निर्माताओं ने निर्मित की है, के मध्य किसी प्रकार का संशय पैदा हो।
- विज्ञापनों में वस्तुओं की योग्यता के आधार पर जनता का सद्भाव अथवा विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न हो। अन्य प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं अथवा कम्पनियों से प्रत्यक्ष तुलना की अनुमति किसी परिस्थिति में भी न दी जाए।
- अश्लील, भद्दी, उत्तेजक, घृणास्पद तथा आक्रामक विषय वस्तु से विज्ञापनों को दूर रखना उचित हो।
- दी गई राशि के पुनः भुगतान का आश्वासन विज्ञापन में नहीं देना चाहिए।
- विज्ञापनों अथवा ट्रेडमार्कों (सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त) राष्ट्रीश़ चिन्हों का प्रयोग कानूनन वर्जित है। यह नियम उन पुस्तकों, फिल्मों या अन्य चीजों पर लागू नहीं होता, जिनमें इनका व्यक्तित्व मुख्य विषय होता है। बिना अनुमति के महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के चित्रों का प्रयोग भी वर्जित है।

झूठे, अशिष्ट और गुमराह करने वाले विज्ञापनों की शिकायत कौंसिल में कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित विज्ञापदनदाता या एजेंसी को बुलाया जाता है। पूछताछ करने पर अगर आपत्ति सही पाई गई तो विज्ञापन को वापस लेने, आगामी मुद्रण एवं प्रसारण पर रोक लगाने की राय दी जाती है। कौंसिल के आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित मीडिया से संपर्क किया जाता है कि वह आपत्तिजनक विज्ञापन का प्रसारण या मुद्रण रोके। भ्रामक, झूठे विज्ञापनों संबंधी शिकायतें स्थानीय ग्राहक परिषदों से भी की जा सकती है।

रेडियो एवं टी.वी. के लिए आचार संहिता :

दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा लागू आचार संहिता के प्रमुख बिन्दु हैं—

विज्ञापनों की संरचना इस प्रकार की जाएगी कि वह देश के कानूनों के अनुसार हो और जनता की धार्मिक भावनाओं और नैतिकता को आघात न पहुँचाती हो। कोई ऐसा विज्ञापन प्रसारित (टेलीकास्ट) नहीं किया जाएगा जो किसी जाति, व्यक्ति, रंग और राष्ट्रीयता की निंदा करता हो। जो भारत के संविधान में दी गई किसी व्यवस्था के प्रतिकूल हो, जो लोगों को अपराध, हिंसा या दंगों के लिए उकसाने वाला हो, जो राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय नेता के व्यक्तित्व का दुरूपयोग करता हो, जिसका संबंध सिगरेट, तम्बाकू, मदिरा और दूसरी नशीली वस्तुओं के सेवल से हो।

ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नही दी जाएगी, जो नारी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाए, ऐसे विज्ञापनों जिनमे नारी और पुरूष के बीच भेदभाव को उजागर किया गया हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापनों में नारी के रूप को शिष्ट, सभ्य और मर्यादित ढंग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

धर्म या राजनीति से संबंधित विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

कोई विज्ञापन–संदेश, समाचार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

निम्न विषयों (सेवाओं) से संबंधित विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाएँगे–

- चिट फण्ड/कर्जदाताओं के विज्ञापन।
- केन्द्र और राज्य सरकार की संस्थाएँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों की।
- बचत और लॉटरी योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी बचत एवं लॉटरी योजनाएँ।
- शादी–ब्याह कराने वाली एजेंसियों के विज्ञापन।
- गैर–लाइसेंस प्राप्त रोजगार सेवाओं के विज्ञापन।
- भविष्यवाणियाँ और सम्मोहन का दावा आदि करने वाले विज्ञापन।

- विदेशी बैंकों और वस्तुओं के विज्ञापन।
- घुड़दौड़, किस्मत के खेल आदि जैसे विज्ञापन।
- किसी बुराई या कमी से ग्रसित विज्ञापन।
- जादुई इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन।
- ऐसे विज्ञापन जो दोहरना मतलब निकलते हों, जो गुमराह करते हों और जिनमें बेबुनियाद दावे किए जाते हों।
- विज्ञापन में दूसरे निर्माता के उत्पादकों या सेवाओं के बारे में भी अपमानजनक नहीं कहा जाएगा। विज्ञापन में सदाचार और प्रामाणिकता आवश्यक है। जहाँ मूल्य तुलनाएँ की जानी हैं, वे संबंधित कानूनों के अनुसार होनी चाहिए।

  हिंसा, चीखें, रौद्र, अट्ठहास, अपराध आदि वाले विज्ञापनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे विज्ञापन जो बच्चों पर बुरा असर डालते हों या बच्चों में हीन–भावना पैदा करते हों या बच्चों को समाज–विरोधी और खराब आदतों के लिए उकसाते हों और जिनसे बच्चों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, स्वीकार्य नहीं होंगे।
- ऐसे विज्ञापन जिनमें दूसरे विज्ञापनों की नकल आती है या जिनमें तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया जाता हो, प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं किये जाएँगे।
- जो विज्ञापन जनहित में न हो, स्वस्थ, व्यावसायिक व व्यापारिक मानदण्डों के विरूद्ध है या दर्शकों, श्रोताओं पर बुरा असर

डालता हो, टी.वी. चैनलों और रेडियो पर प्रसारित या दिखाया नहीं जाएगा या रोक लगा दी जाएगी।

- अश्लील, भ्रामक व झूठे विज्ञापनों को नियंत्रित करने के गैर–सरकारी प्रयास भी हुए हैं। इनमें विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियाँ, टी.वी.चैनल एवं विभिन्न उपभोक्ता संगठन शामिल हैं।

विज्ञापनदाताओं की संस्था 'भारतीय विज्ञापन प्रमाप अधिकरण' की उपभोक्ता शिकायत परिषद के 14 सदस्यों में से 8 विज्ञान क्षेत्र से बाहर के होते हैं। इस परिषद का उद्‌देश्य है– अनैतिक विज्ञापन देने वाले विज्ञापनदाताओं से ऐसे विज्ञापन बंद करने या सुधार करने के लिए कहा जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1980 में एक विज्ञापन, नीति लागू की है, जो देशभर की पत्र–पत्रिकाओं पर समान रूप से लागू होती है। उक्त नीति सही ढंग से कार्यान्वित हो रही है या नहीं, इसकी देख–रेख दृश्य प्रचार निदेशक या (डी.ए.वी.पी.) करता है।

टी.वी. विज्ञापनों का फैसला चुनाव आयोग करेगा –

चुनाव के दौरान टी.वी. चैनलों पर छद्‌म और कीचड़ उछालू राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2004 को दिशा–निर्देश जारी किए। कोर्ट ने विज्ञापनों को साफ–सुथरा बनाए रखन का जिम्मा चुनाव आयोग को सौंपा है। नए नियमों के तहत प्रसारण से पहले विज्ञापन आयोग को दिखाने होंगे।

पहले चरण के चुनाव के लिए चैनलों पर विज्ञापन देने के इच्छुक उम्मीदवार या दल को प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले विज्ञापन का ब्यौरा और उसकी पटकथा आयोग या उसके द्वारा नामांकित अधिकारी के सामने पेश करनी होगी। वहीं, बाकी चरणों के लिए तीन दिन और अन्य मामलों में ब्यौरा सात दिन पहले पेश करना होगा। कोर्ट ने विज्ञापनों का भुगतान नकद के बजाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट से करने के निर्देश दिए। आयोग को राज्य–स्तर पर उपसमिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जो विज्ञापनों की नामंजूरी से संबंधित शिकायतें सुनेगी। विज्ञापनों को मंजूरी कलेक्टर देगा। समिति के खिलाफ किसी तरह की शिकायत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। विज्ञापन देने वाले दल या उम्मीदवार को चुनाव आयुक्त के सामने हलफनामा देना होगा।

क्या होगा हलफनामे में –

- विज्ञापन बनाने की लागत।
- विज्ञापन पर कुल खर्च।
- किस दल या उम्मीदवार का है।
- विज्ञापन जारी करने वाले व्यक्ति या न्यास (ट्रस्ट) को बताना होगा कि उसे किस दल ने चंदा दिया है या नहीं अथवा क्या इसे उम्मीदवारों के लाभ के लिए निकाला गया है।

जनसम्पर्क की आचार–संहिता :

जनसंपर्क की भी अपनी आचार–संहिता है। पहली बार 'अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क संघ' (International Public Relation Association) ने वेनिस में मई, 1961 में अपनी बैठक में आचार–संहिता की रूपरेखा बनाई थी। कालान्तर में मई, 1965 में यूरोपियन पब्लिक रिलेशन सेन्टर तथा आई.पी.आर.ऐ. ने संयुक्त रूप से एक आचार–संहिता बनाई। 21 अप्रैल, 1968 को अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें जनसंपर्क के लिए निम्न आचार–संहिता निश्चित की गई।

समिति के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा है कि वह–

- इस प्रकार के सांस्कृतिक एवं नैतिक वातावरण का निर्माण करें, जिसमें व्यक्ति मानवाधिकारों के विश्वजनीय घोषणा–पत्र के अधीन अपना पूरी तरह विकास तो हो ही, साथ में इन अधिकारों का प्रयोग भी बिना किसी बाधा के कर सके।
- संचार–व्यवस्थाओं को इस प्रकार आयाम दे कि आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति में कोई रूकावट न हो। वर्ग का प्रत्येक सदस्य इस बात का अनुभव कर सके कि उसे पूरी तरह सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं। साथ ही वह भी अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भली–भाँति कर रहा है।

- वह किसी भी प्रकार की स्थिति एवं वातावरण में अपना व्यवहार संतुलित रखेगा ताकि संपर्क में आने वाले लोग उसका विश्वास अर्जित कर सकें।
- वह इस बात को हमेशा दृष्टिगत रखेगा कि उसके व्यवहार से कार्य के दौरान एवं व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क में आने वाले लोग उसका विश्वास अर्जित कर सके। वे जनसंपर्क के प्रति सकारात्मक अवधारणा को लेकर जाएँ।
- अपने व्यवसाय के कर्तव्यों का पालन करते समय मानवाधिकारों के विश्वसनीय घोषणा–पत्र में इंगित किए गए सिद्धांतों व नियमों की अनुपालना करेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति के स्व–निर्णय के अधिकार की रक्षा करेगा।
- विभागीय परस्पर आदान–प्रदान के लिए नैतिक, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक माहौल की रचना में सहयोग देगा। साथ ही संबद्ध क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार को मान्यता देगा।
- विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वह अपने संस्थान के लिए तथा उससे जुड़े हितधारियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा।
- अपनी रीति–नीति एवं कार्य में वह शाब्दिक अभिव्यक्ति की 'उचितत' का ध्यान रखेगा ताकि किसी भ्रम की संभावना न रहे। अपने कार्य से वह समाज के सामने अपनी निष्ठा एवं ईमानदारी को प्रस्तुत करेगा।

- सत्य के पक्ष को सदा सर्वोपरि रखेगा।
- ऐसे तथ्य जो सत्य पर आधारित न हों तथा जिनकी सच्चाई जाँची न जा सके, उन्हें वह सूचना के रूप में प्रयुक्त न करेगा।
- अनैतिक, बेईमानी तथा मानव की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने वाले किसी भी कार्य को नहीं करेगा।

संदर्भ :

- प्रो. रमेश जैन, भारत में मीडिया कानून, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
- डा. नंदकिशोर त्रिखा, प्रेस विधि, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणासी।
- डा. निशांत सिंह, मीडिया विधि, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली।
- एस.एन.जैन, भारतीय संविधन और राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- गंगा प्रसाद ठाकुद, भारत में प्रेस कानून और पत्रकारिता, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

- प्रो. रमेश जैन, मीडिया कानून एवं सूचना की स्वतंत्रता, गंगलदीप पब्लिकेशन, जयपुर।
- डॉ. हरवंश दीक्षित, प्रेस विधि एवं अभिव्यक्ति स्वांतत्र्य, वाणी प्रकाशन, भोपाल।
- आर. सी. सरकार, द प्रेस इन इण्डिया, चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
- दुर्गा दास बसु, लॉ ऑफ प्रेस, वाधवा एण्ड कम्पनी, नागपुर।
- जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, प्रेस एण्ड लॉ, विकास पब्लिशिंग हॉउस।
- विदिशा बरूआ, प्रेस एण्ड मीडिया लॉ मेन्यूल, यूनिर्वसिटी लॉ पब्लिशिंग कं. दिल्ली

———00———

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY

RAJA BHOJ MARG (KOLAR ROAD), BHOPAL- 462016